ELECTRICITY CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM : CHANDBAD : BHOPAL 462 010.

Phone:-2747352, E-mail ecgrfbpl.bhopal@gmail.com,

No.ECGRF/Orders/919Bhopal, Date:05-01-2018

To,
The Webmaster,
O/o DGM (IT),
MPMKVVCL, NishthaParisar,
Govindpura, Bhopal 462 023.

Sub:- Submission of Orders passed by the Forum, Bhopal in the month of December'2017
…

In compliance to provision made under clause 3.32 of Electricity Regulation (Revision-I) 2009, the orders passed by this forum during the month of December'2017 as detailed below are being sent herewith, both in hard and soft copy (E-mail) for uploading on the company's web site.

December'2017

S.No.	Case No.&Dt.	Name of Applicant	Name of Non-applicant	Order Date
1	बी.टी./21 16.10.2017	श्रीमतिज्योतिजाधवपगारेइन्द्र बिहारकालोनी, एयरपोर्टरोड़ भोपाल।	उपमहाप्रबंधकशहरसंभाग (उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.भोपाल।	04.12.2017
2	बी.टी./16 15.09.2017	श्रीगोपीकिशन, पुत्र श्रीबटटूलालमालवीय ग्राम खेड़ातह. इटारसी।	उपमहाप्रबंधक (सं./सं.)संभाग म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.इटारसी।	05.12.2017
3	बी.टी/22 16.10.2017	श्रीराजकुमारसराठे, न्यासकालोनी, इटारसी।	उपमहाप्रबंधक (सं./सं.)संभाग म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.इटारसी।	11.12.2017
4	जी.टी./24 16.09.2017	श्रीआशाराम/स्व. श्रीभोंदेराम, ग्राम व पोस्टहस्तिनापुरग्वालियर	उपमहाप्रबंधक (सं./सं.)संभाग म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.ग्वालियर।	14.12.2017
5	जी.टी./27 16.09.2017	श्रीमतिगोमतीबाई, कंपूरोड़, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.ग्वालियर।	14.12.2017
6	जी.टी./34 19.09.2017	श्रीमतिविमलाभटनागर, लश्कर, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.ग्वालियर।	15.12.2017
7	जी.टी./37 17.10.2017	श्रीमतिप्रेमवतीकुशवाहपत्नी स्व. श्रीशिशुपाल,ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (दक्षिण)म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.ग्वालियर।	16.12.2017
8	जी.टी./41 17.10.2017	श्रीरामसिंहकुशवाहग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.ग्वालियर।	18.12.2017
9	जी.टी./4217. 10.2017	श्रीमतिरमादेवीचौहानग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग(दक्षिण)म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.ग्वालियर।	18.12.2017
10	जी.टी./43 17.10.2017	श्रीमंगतूराम (सुरेश गर्गग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग(दक्षिण)म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.ग्वालियर।	20.12.2017
11	जी.टी./45 17.10.2017	श्रीश्यामपंवारलश्कर,ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.ग्वालियर।	20.12.2017
12	जी.टी./5917. 10.2017	श्रीअरविन्दकिशोरअग्रवाल, डबरा, जिलाग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक (सं./सं.)संभागम.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.डबरा।	21.12.2017
13	जी.टी./60 13.11.2017	श्रीराधाकिशनहोजरी, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (केन्द्रीय) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.ग्वालियर।	21.12.2017
14	जी.टी./6313. 11.2017	श्रीब्रिजमोहनमहोबिया, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.ग्वालियर।	23.12.2017
15	जी.टी./68 13.11.2017	श्रीमतिअंगूरी धाकड़ फोर्डरोडग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.ग्वालियर।	23.12.2017
16	जी.टी./3116. 09.2017	श्रीमतिहेमलतागुप्ता, विनय नगरग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.ग्वालियर।	26.12.2017
17	जी.टी./5017. 10.2017	श्रीमुकेशकुमार, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.ग्वालियर।	26.12.2017
18	जी.टी./5317. 10.2017	श्रीमतिज्योति खुराना (उपयोगकर्ता) ग्वालियर	उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (केन्द्रीय) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.ग्वालियर।	28.12.2017

19	जी.टी./5417. 10.2017	श्रीराजकुमारपुत्र श्रीग्याप्रसाद, लश्कर, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (केन्द्रीय) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.ग्वालियर।	28.12.2017
20	जी.टी./5717. 10.2017	श्रीपूरन सिंह, लश्कर, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.ग्वालियर।	29.12.2017
21	जी.टी./6913. 11.2017	श्रीमति शीलादेवी शर्मा, मुरार, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.ग्वालियर।	29.12.2017
22	जी.टी./70 13.11.2017	डॉ. श्रीआलोकपुरोहित, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.ग्वालियर।	30.12.2017
23	जी.टी./70 13.11.2017	श्रीराजेन्द्र सिंह, लश्कर, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.ग्वालियर।	29.12.2017

Encl: (23) Orders A/a.

CHAIRPERSON

ECGRF BHOPAL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 041/2017

17.10.2017

श्रीरामसिंह पुत्र श्री पतीराम कुशवाह,
शंकर कॉलोनी,
लश्कर, ग्वालियर, 474011 (म.प्र) **(आवेदक)**

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग दक्षिण),
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.) **(अनावेदक)**

आदेश

आज दिनांक 18.12.2017 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/41दिनॉक 17.10.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 09.11.17 एवं 07.12.17 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :-**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में प्रार्थी का निवेदन निम्नानुसार हैं:-

25 अगस्त 2014 से दिसम्बर 2016 तक 3598 यूनिट आंकलित खपत आरोपित की गई हैं। इस समय प्रार्थी के मीटर के डिस्प्ले में रीडिंग नहीं आ रही थी, जबकि मीटर गारंटी पीरियड में था। नया मीटर बदलने पर पुराने मीटर के लेब में चैक किये जाने पर 1715 यूनिट रीडिंग बिल में और दर्शायी गई एवं इस 1715 यूनिट रीडिंग का आंकलित खपत के भुगतान के बावजूद दिया गया। इस वजह प्रार्थी पर विद्युत व्यय का डबल भार

पड़ रहा हैं और नियत प्रभार विद्युत शुल्क आदि का भार भी बढ़ गया हैं। इस अवधि में प्रार्थी के द्वारा 23273/– रूपये के बिल का भुगतान भी किया गया एवं जबकि अभी 11407/– रूपये का कंपनी द्वारा बिल जुलाई माह में और जारी कर दिया गया जबकि प्रार्थी द्वारा समय समय पर आंकलित खपत का विरोध कंपनी कार्यालय में लिखित रूप में कई बार किया गया हैं, परन्तु कोई सुनवाई न होने से व्यथित होकर आपको न्याय दिलाने हेतु प्रार्थना कर रहा हूॅ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास हैं कि प्रार्थी पर आपके द्वारा न्याय किया जायेगा। अतः आपसे अनुरोध हैं कि प्रार्थी को इस संकट से मुक्त करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें।

5. **अनावेदक का कथन** :–अनावेदक द्वाराफोरम को लिखित में कथन किया गया कि उपभोक्ता की विद्युत बिल की शिकायत का अवलोकन करने पर पाया कि माह 3/2017 में उसकी इकठ्ठी खपत 1715 यूनिट दर्ज होकर इकठ्ठा बिल आया था तथा पूर्व में उक्त कनेक्शन के बिल में आंकलित खपत की बिलिंग हुई थीं। उपभोक्ता की शिकायत के निराकरण में इकठ्ठी दर्ज खपत को माह 3/16 से 3/17 के मध्य Bifurcate करते हुए तथा आंकलित खपत की राशि को समायोजित करते हुए रूपये (–) 10143/– का समायोजन माह 03/17 में कर दिया गया हैं तथा उसके बाद उपभोक्ता को मीटर वाचन के आधार पर वास्तविक खपत के बिल जारी हो रहे हैं। वर्तमान में उपभोक्ता का बिल सही हैं। अतः कृपया प्रकरण समाप्त करने की कृपा करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय** :–प्रकरण में अनावेदक प्रतिनिधि श्रीमती शकून कुशवाह, जो आवेदक की पत्नी हैं, द्वारा कथन किया गया कि मैने एक साल मार्च 2016 से मार्च 2017 तक विद्युत बिल नहीं भरा। इसी दौरान फरवरी 2017 में मेरी विद्युत लाईन काट दी गई तथा मैंने रूपये 500/– माह फरवरी 2017 में जमा किये थें एवं मेरी विद्युत लाईन जोड़ दी गई थी। मेरी लाईन माह जून 2017 में फिर काट दी गई एवं रूपये 400/– जमा करने पर पुनः लाईन जोड़ दी गई। मैंने मार्च 2017 में सिकन्दर कंपू जोन में आंकलित खपत को हटाने के लिये आवेदन दिया था, जिसका संशोधित बिल मुझे दिया जावें। मेरे आंकलित खपत के बिल मार्च 2016 से मार्च 2017 तक के बिलों में लगाई गई आंकलित खपत को हटाकर संशोधित बिल दिया जावे, ताकि वह अपने विद्युत बिलों का भुगतान कर सकें।

अनावेदक ने कथन किया कि उपभोक्ता के मीटर रीडिंग माह मार्च 2017 में 1715 यूनिट इकठ्ठी दर्ज हुई, जिसका विद्युत बिल उपभोक्ता को जारी हुआ। उपभोक्ता की शिकायत पर प्रकरण में जॉच करने पर पाया गया कि उपभोक्ता का मीटर फरवरी 2016

में बदला गया है, किन्तु उपभोक्ता को नये मीटर की खपत के अनुसार बिल जारी नहीं हुए एंव माह मार्च 2017 में इकठ्ठी यूनिट का बिल दिया गया। अतः शिकायत के निराकरण में उपभोक्ता की सम्पूर्ण खपत माह फरवरी 2016 से फरवरी 2017 तक सम विभाजित करते हुए बिल में संशोधन किया गया हैं, जिसमें रूपये 10143/– का क्रेडिट समायोजन किया गया। इस तरह उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं।

दिनांक 07.12.2017 को आवेदक प्रतिनिधि ने फोरम के समक्ष कथन किया कि जुलाई 2014 से मीटर खराब था, जो कि फरवरी 2016 तक मीटर बदलने तक हर माह उक्त अवधि में लगाई गई आंकलित खपत को हटाकर नियमानुसार मीटर बंद होने पर ली जाने वाली आंकलित खपत लेकर विद्युत देयक संशोधित किये जावें तथा उक्त अवधि में आंकलित खपत की राशि को बिल संशोधित किये जाने के बाद भुगतान किये जाने वाली राशि में समायोजित की जावें। शेष माह फरवरी 2016 में मार्च 2017 तक मीटर में दर्ज खपत अनुसार संशोधित बिलों से आवेदिका सहमत हैं। अतः उपरोक्तानुसार मेरे विद्युत देयक संशोधित कर दिये जावें, ताकि मैं बिजली के बिल का भुगतान कर सकूँ।

प्रकरण में आवेदिका एवं अनावेदक द्वारा फोरम की समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि आवेदिका के विद्युत मीटर में डिस्प्ले 25 जून 2014 को 1760 रीडिंग के बाद बंद हो गया, जिसकी पुष्टि मीटर रीडिंग डायरी एवं उपभोक्ता पासबुक से होती हैं। माह अगस्त 2014 से मई 2015 तक अनावेदक ने आवेदिका को प्रति माह औसत खपत लगभग 106 यूनिट होती हैं, लगाकर विद्युत देयक जारी किये गये हैं, जो कि विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 8 की कण्डिका 8.35 (ब) के अनुसार हैं। अतः फोरम इस मान्य करता हैं। माह जून 2015 से फरवरी 2016 तक 9 माह में लगाई गई आंकलित खपत नियमानुसार न होने एवं अधिक होने के कारण इसे फोरम निरस्त करता हैं एवं नये मीटर में दर्ज खपत के तीन माह की औसत के अनुसार प्रति माह 133 यूनिट औसत खपत लेकर आवेदिका के विद्युत बिल संशोधित करना था, जो कि अनावेदक द्वारा नहीं किये गये। शिकायत का शेष भाग मीटर स्थापना के बाद माह मार्च 2016 से मार्च 2017 तक नये मीटर में दर्ज इकठ्ठी खपत को बराबर 13 माहों में विभाजित कर आवेदिका के विद्युत देयक को संशोधित कर रूपये 10143/– की क्रेडिट आवेदिका को दी जा रही हैं। ऐसा अनावेदक ने स्वीकार किया हैं, जो नियमानुसार हैं।

7. **फोरम का निर्णयः**–अनावेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि वह आवेदिका के विद्युत देयक माह जून 2015 से फरवरी 2016 तक 9 माह के प्रतिमाह औसत 133 यूनिट खपत

लेकर संशोधित करें एवं माह जून 2015 से मार्च 2017 तक की अवधि में जारी आंकलित खपत के बिलों के भुगतान की राशि को संशोधन उपरांत भुगतान की जाने वाली राशि में समायोजित कर संशोधित विद्युत देयक जारी करें।

इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण कर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर फोरम को प्रस्तुत करें । अतः प्रकरण निर्णीत होने के कारण समाप्त किया जाता है ।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 18 / 12 / 2017
स्थान : भोपाल

(एस.एस. मंडलोई) **(आर.के लढ़िया)** **(राजीव अग्रवाल)**
सदस्य(अभियांत्रिकी) **सदस्य(राजस्व एवं लेखा)** **अध्यक्ष**

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 854–55 भोपाल, दिनांक 18.12.2017

प्रति,

श्री रामसिंह पुत्र श्री पतीराम कुशवाह,
शंकर कॉलोनी,
लश्कर, ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 18 / 12 / 2017के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–41 / 2017) दिनांक17.10.2017 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 18 / 12 / 2017 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक, (शहर संभाग, दक्षिण), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.) – लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–41 / 2017 दिनांक 17.10.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 18 / 12 / 2017 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrf.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 878–79 भोपाल, दिनांक 29 / 12 / 2017

प्रति,

श्री पूरन सिंह,

मस्तान बाबा की दरगाह के सामने,

बहोड़ापुर, लश्कर,ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :फोरम के निर्णय दिनॉक29.12.2017 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–57 / 2017 दिनॉक 17.10.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक**29.12.2017** को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग, (उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–57 / 2017 दिनांक 17.10.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक **29.12.2017** इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.57/2017

17.10.2017

श्री पूरन सिंह, (आवेदक)
मस्तान बाबा की दरगाह के सामने,
बहोड़ापुर, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, शहरसंभाग, (उत्तर)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.)

आदेश

आज–29.12.2017 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/57 दिनॉक 17.10.17 को पंजीकृत कर दिनॉक, 10.11.2017,एवं 08.12.2017को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक का एक गैर घरेलूकृषि पम्प विद्युतसंयोजन है, मेरा विद्युत कनेक्शन स्थित मानपुर सागर ताल रोड़ ग्वालियर म.प्र. पर लगा हुआ है, जिसका सर्विस क्रमांक 12–7–7713303000 है, जो कि मेरे कनेक्शन को 20 साल हो गये है, तभी से आंकलित खपत ली जा रही है। कभी भी आज तक 20 साल से मीटर रीडर द्वारा रीडिंग नही ली गई है। मेरा मीटर चालू हालत में है, कई बार कंपनी के स्टाफ के लोग मीटर चैक करके गये, फिर भी रीडिंग नही ली जाती है।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

अतः श्रीमान जी से निवेदन है, कि मुझे मीटर रीडिंग के आधार पर बिल दिये जाये एवं पूर्व में जारी आंकलित खपत के बिलो को रीडिंग में समायोजित कर संशोधित बिल प्रदान करने का कष्ट करे।

5. अनावेदक का कथन :–अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किप्रकरण कि जांच करने व तथ्यों का अवलोकन करने पर पाया गया कि शिकायतकर्ता कंपनी का मीटरधारी उपभोक्ता है। उपभोक्ता के परिसर में लगा मीटर खराब रहने से उससे आंकलित खपत युक्त देयक भुगतान के लिये जारी किये जा रहे। पूर्व में जारी देयकों को उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया गया है तथा उक्त खपत पर म.प्र. शासन द्वारा दी जा रही सबसिडी का लाभ भी उसके द्वारा प्राप्त किया गया है।

उपभोक्ता द्वारा पूर्व में इस प्रकार की कोई शिकायत की गई ऐसा प्रमाण भी प्रस्तुत नही किया गया । माह 10/2017 में उसके द्वारा शिकायत करने के उपरांत उपभोक्त का मीटर बदला जा चुका है। व भविष्य में उसे मीटर के खपत के आधार पर देयक जारी किये जायेगे।

इस प्रकार उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण किया जा चुका है। अतः प्रकरण निराकृत माना जावे।

6. फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

आवेदक ने एक 5 एच.पी. का कृषि कनेक्शन अनावेदक कंपनी से प्राप्त किया था जो मानपुर सागर ताल रोड़ ग्वालियर में स्थित है। उपभोक्ता ने मीटर कनेक्शन लिया था। परन्तु मीटर रीडिंग से बिल न दिया जाकर आंकलित खपत का बिल दिया जा रहा था।

अनावेदक कंपनी द्वारा अपने लिखित कथन में यह स्वीकार किया है शिकायतकर्ता कंपनी का मीटरधारी उपभोक्ता है। उपभोक्ता के परिसर में लगा मीटर खराब होने के कारण उससे आंकलित खपत का बिल जारी किये गये थे। पूर्व में जारी देयकों का भुगतान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किये गये है तथा उक्त खपत पर म.प्र. शासन द्वारा दी जा रही सबसीडी का लाभ भी उनको प्राप्त हुआ है। माह अक्टूबर 2017 में उनके शिकायत के उपरांत उपभोक्ता का मीटर बदल दिया गया है।

फोरम ने अपनी समीक्षा में पाया कि उपभोक्ता को आंकलित खपत टेरिफ आदेश में दर्शाये अनुसार नही ली है। अतः यह निर्णय लिया जाता है कि टेरिफ आदेशानुसार शहरी

क्षेत्रों के लिए माह अप्रैल से सितम्बर तक 90 यूनिट प्रति हार्सपावर एवं अक्टूबर से मार्च तक 190 यूनिट प्रति हार्सपावर की दर से उपभोक्ता बिल संशोधित कर प्रदान करे एवं मीटर बदले जाने की दिनांक से उपभोक्ता को मीटर में दर्ज खपत के आधार पर ही बिल प्रदान की जावे।

अतः आवेदक की शिकायत निराकृत होकर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 29.12.2017
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस.मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 059/2017

17.10.2017

श्री अरविन्द किशोर अग्रवाल,
जवाहर गंज, डबरा,
जिला ग्वालियर, (म.प्र) **(आवेदक)**

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(संचा./संधा. संभाग), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
डबरा (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक21.12.2017 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/59दिनॉक 17.10.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 07.12.17 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :-**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि मेरा दुकान का मीटर रीडिंग ज्यादा बना रहा था। मैंने आवेदन दिया तो कहा मीटर बदलेगा। मैंने कहा मीटर चैक कर लोड चैक कर लो। उन्होंने कहा ऐसे चैक नहीं होगा। फिर मीटर की रसीद कटवाई सो मीटर बदल दिया गया। मीटर नया लगा, फिर भी रीडिंग ज्यादा आई। लाईट का ज्यादा उपयोग ही नहीं करा। मैं लाईट का ज्यादा बिल जमा नहीं कर सकता, जो गलत हैं बिल, अगर मेरे आवेदन पर जॉच करा देते और मेरा चलता मीटर और लोड चैक करते तब सही जानकारी होती। मीटर कहॉ

(एस.एस. मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**

निरन्तर.....

बिजली खा रहा हैं । घर में थ्री फेस मीटर लगा हैं। जो सही तरह बिल जमा कर रहा हैं, वहीं परेशान क्यों होता हैं। क्या बिजली अधिकारी की गलती मुझे भुगतना पड़ेगी। सही तरह से जॉच करते तो बिल इतना नहीं बढ़ता। कृपा मुझ पर रहम करो, जो उचित बिल कर भुगतान करावें।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष लिखित कथन किया गया कि शिकायतकर्त्ता द्वारा दिनांक 17.07.2017 को सहायक यंत्री डबरा शहर कार्यालय में आवेदन दिया था, जिसमें मीटर की कार्यप्रणाली में संदेह व मीटर फास्ट होना लिखा गया, जिसके आधार पर उपभोक्ता से मीटर परीक्षण शुल्क जमा कराकर दि. 21.07.2017 को मीटर टेस्टिंग लेब में परीक्षण कराया गया, जिसमें मीटर सही पाया गया।

उपभोक्ता द्वारा पुनः दिनांक 12.09.2017 को नये मीटर में संदेह प्रकट करते हुए नये मीटर को भी फास्ट बताकर आवेदन दिया गया, जिसका भौतिक परीक्षण श्री सुरेन्द्र शर्मा, परीक्षण सहायक द्वारा किया गया, जिसमें रीडिंग एवं एम.डी. उपभोक्ता की उपस्थिति में दर्ज की गई। रीडिंग व मांग को देखते हुए खपत सही पायी गयी व उपभोक्ता को हिदायत दी गयी की वह चाहे तो पुनः मीटर परीक्षण शुल्क जमा कराकर मीटर परीक्षण करा सकते हैं। अतः सभी बिन्दुओं को देखते हुए मीटर व रीडिंग सही पायी गयी। उपभोक्ता को मीटर खपत के आधार पर ही बिल जारी किये जा रहे हैं। शिकायत निराधार हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**दिनांक 07.12.2017 को आवेदक ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया कि माह जुलाई 2017 से माह अक्टूबर 2017 में अधिक राशि का बिल आ रहा हैं, जबकि पूर्व में मीटर बदल दिया गया हैं और नया मीटर लगा दिया गया हैं, फिर भी बिल अधिक आ रहा हैं। अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि मेरे बिल को कम करने की कृपा करें, ताकि मैं बिल का भुगतान कर सकूॅ।

अनावेदक ने फोरम के समक्ष कथन किया कि उपभोक्ता द्वारा पूर्व में मीटर में संदेह एवं तेज चलने की माह जुलाई 2017 के बिल के आधार पर कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई थीं। जिसके आधार पर उपभोक्ता को मीटर परीक्षण शुल्क जमा कर मीटर परीक्षण कराने की सलाह दी गई थीं। उपभोक्ता द्वारा इस हेतु अपनी सहमति प्रकट करते हुए मीटर की जॉच हेतु राशि कार्यालय में जमा कराई गई।

(एस.एस. मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**

निरन्तर.....

आवेदक के मीटर का परीक्षण दिनांक 21.07.2017 को मीटर परीक्षण लेब में कराया गया, जिसमें मीटर की कार्यप्रणाली सही पाई गई, जिसकी सूचना उपभोक्ता को भी दी गई। उपभोक्ता द्वारा पुनः दिनांक 21.09.2017 को नये मीटर में संदेह प्रकट करते हुए नये मीटर को भी फास्ट बताकर आवेदन दिया गया, जिस पर उपभोक्ता की उपस्थिति में रीडिंग एवं एम.डी.दर्ज की गई। रीडिंग व मांग को देखते हुए खपत सही पाई गई व उपभोक्ता को सलाह दी गई कि वह चाहे तो पुनः मीटर परीक्षण शुल्क जमा कराकर मीटर का परीक्षण करा सकता हैं। अतः सभी बिन्दुओं को देखते हुए मीटर व रीडिंग सही पाई गई। उपभोक्ता को मीटर खपत के आधार पर ही बिल जारी किये जा रहे हैं। अतः शिकायत निराधार हैं एवं प्रकरण समाप्त करने हेतु निवेदन हैं।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एंव आवेदक तथा अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की विवेचना करने पर पाया गया कि आवेदक के विद्युत देयक माह जुलाई 2017, अगस्त 2017 एवं सितम्बर 2017 के माहों में क्रमशः 341 यूनिट, 736 यूनिट एवं 719 यूनिट खपत मीटर में दर्ज हुई हैं। माह जुलाई 2017 एवं अगस्त 2017 के विद्युत देयक मीटर क्रमांक 623864 मेक एच.पी.एल. में दर्ज खपत के आधार पर आवेदक को जारी किये गये थें, जिस पर मीटर तेज चलने की शिकायत कर आवेदक ने मीटर परीक्षण शुल्क जमा कर मीटर परीक्षण लेब में परीक्षण करवाया गया। मीटर परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मीटर सही पाया गया तथा मीटर में रीडिंग के साथ उक्त माहों में अधिकतम मांग (KWH) भी मीटर में दर्ज हुई हैं, जो कि 4.00 किलोवॉट एवं 3.74 किलोवॉट पाई गई। इसी प्रकार दिनांक 21.07.2017 को स्थापित नये मीटर क्रमांक 16091A में भी अधिक रीडिंग दर्ज होने पर आवेदक के आवेदन पर श्री सुरेन्द्र शर्मा जी द्वारा दिनांक 12.09.2017 को आवेदक की उपस्थिति में मीटर की रीडिंग चैक की गई, जिसमें रीडिंग 549.7 एवं एम.डी. 0.48 पाई गई। मीटर की मेमोरी में दिनांक 31.08.2017 को रीडिंग 507 एवं एम.डी. 3.2 किलोवॉट तथा 31.07.2017 को रीडिंग 252 एवं एम.डी. 3.1 किलोवॉट पाई गई।

अतः उक्त विवेचना करने पर फोरम इस नतीजे पर पहुॅचा हैं कि पुराने मीटर क्रमांक 623864 में दर्ज खपत एवं एम.डी. माह जुलाई 2017 एवं अगस्त 2017 में क्रमशः 341 यूनिट, एम.डी. 4.00 किलोवॉट तथा 736 यूनिट, एम.डी. 3.74 किलोवाूट दर्ज हुई हैं एवं दिनांक 21.07.2017 को स्थापित मीटर क्रमांक 623864 मेक एच.पी.एल. में दिनांक 31.07.2017 को दर्ज रीडिंग 252 एवं एम.डी. 3.1 किलोवॉट तथा दिनांक 31.08.2017 को रीडिंग 507 एवं एम.डी. 3.2 किलोवॉट हैं। चूॅकि मीटर क्रमांक 16091A मीटर परीक्षण में

(एस.एस. मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**

निरन्तर.....

सही पाया गया हैं तथा दिनांक 21.07.2017 को आवेदक के परिसर में स्थापित मीटर में भी दर्ज खपत एवं एम.डी. लगभग समान हैं। अतः आवेदक के परिसर में जून बिल्ड इन जुलाई 2017 से अगस्त बिल्ड इन सितम्बर 2017 तक की अवधि में विद्युत भार अधिक रहा हैं, उसी के अनुसार दोनों मीटरों में दर्ज खपत भी लगभग समान हैं तथा उक्त अवधि के पूर्व एवं बाद में मीटर में दर्ज खपत भी लगभग समान हैं। अतः आवेदक का यह कहना स्वीकार करने योग्य नहीं हैं कि उनका मीटर खराब है। अतः आवेदक के परिसर में माह जुलाई 2017 से सितम्बर 2017 तक विद्युत भार अधिक होने के कारण ही मीटर में खपत अधिक दर्ज हुई हैं। अनावेदक द्वारा जारी विद्युत देयक मीटर में दर्ज खपत अनुसार ही जारी हुए हैं। अतः आवेदक की शिकायत निरस्त की जाकर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक :21 / 12 / 2017
स्थान : भोपाल

(एस.एस. मंडलोई)
सदस्य(अभियांत्रिकी)

(राजीव अग्रवाल)
अध्यक्ष

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)
पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल
(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 869–70 भोपाल, दिनांक 28.12.2017

प्रति,

श्री अरविन्द किशोर अग्रवाल,
जवाहर गंज, डबरा,
जिला ग्वालियर, (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 21 / 12 / 2017के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–59 / 2017) दिनांक13.11.2017 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 21 / 12 / 2017 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक, (संचा. / संधा. संभाग), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., डबरा (म.प्र.) – लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–59 / 2017 दिनांक 13.11.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 21 / 12 / 2017 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 060/2017

13.11.2017

श्रीराधा किशन होजरी,
म.नं. 3, गौरीशंकर स्कूल के पास,
समृद्धि मेंशन, कोटेश्वर मन्दिर रोड
विनय नगर, ग्वालियर, (म.प्र)

(आवेदक)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, केन्द्रीय),
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

(अनावेदक)

आदेश

आज दिनांक21.12.2017 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/60दिनॉक 13.11.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 07.12.17 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :-**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि प्रार्थी जीवाजीगंज में नगर निगम के परिसर में किराये से निवास करता था। प्रार्थी के पिता के नाम से उसमें मीटर लगा हुआ हैं।

यह कि प्रार्थी द्वारा वर्ष सितम्बर 2010 से उक्त स्थान से अपना निवास हटाकर विनय नगर में मकान नंबर 3, समृद्धि मेंशन, कोटेश्वर मंदिर रो, सदाशिव नगर में निवासरत हैं। उक्त नवीन परिसर में विद्युत कनेक्शन क्रमांक IVRS No. 1727492000 प्रार्थी के पुत्र नीरज गुप्ता पुत्र भारत भूषण गुप्ता के नाम से मीटर लगा हैं।

(एस.एस. मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**

निरन्तर.....

यह कि प्रार्थी के द्वारा माह सितम्बर 2010 से उक्त कनेक्शन से कोई विद्युत उपयोग नहीं किया हैं, किन्तु माह मई 2014 तक प्रार्थी जानकारी के अभाव में कनेक्शन काटने का आवेदन उस समय नहीं दे पाया था और माह मई 2014 तक नियमित भरता रहा हैं। मुझे विभाग से माह जून 2014 में 3966 यूनिट खपत का बिल राशि 30,408/– का प्राप्त हुआ तथा अक्टूबर 2015 में 500 यूनिट आंकलित खपत का और बिल विभाग से (पिछले बिलों को समाप्त न करते हुए) प्राप्त हुआ हैं।

यह कि मेरे द्वारा उपरोक्त कनेक्शन स्थाई रूप से काटने तथा अनावश्यक बढ़ाये गये बिलों को समाप्त करने का आवेदन दिनांक 22.09.2015 को विभाग में दिया था तथा विभाग द्वारा भी मेरा कनेक्शन माह दिसम्बर 2015 में काट दिया गया था। सिर्फ मीटर ही मौके पर लगा हुआ हैं, किन्तु विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से बिना उपयोग किये एवं कटे हुए कनेक्शन पर बिल बढ़ाया जा रहा हैं। प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.05.2017 को पुनः एक आवेदन विभाग में कटे हुए कनेक्शन के अवैध बिलों को समाप्त करने तथा मौके पर अनावश्यक लटके मीटर को हटाये जाने हेतु किया था, किन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं और अनावश्यक बिल बढ़ाया जा रहा हैं।

अतः पुनः निवेदन हैं कि मेरे उपरोक्त कटे हुए कनेक्शन का बिल समाप्त किया जावें और मौके पर लटके हुए मीटर को निकाल लिया जावें अन्यथा प्रार्थी माननीय विद्युत उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम की शरण में जाने हेतु बाध्य होगा। कृपया शीघ्र कार्यवाही करें।

5. **अनावेदक का कथन** :–अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष लिखित कथन किया गया कि विद्युत कनेक्शन क्रमांक 9593462000 को स्थाई रूप से विच्छेदित कराने हेतु कोई आवेदन एवं शपथ पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया हैं। उपभोक्ता के द्वारा स्थाई रूप से कनेक्शन विच्छेदित करने के लिये दिनांक 22.09.2017 एवं 15.05.2017 के जो आवेदन नोटिस के साथ संलग्न किये गये हैं, उन पर किसी भी कर्मचारी/अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, न ही कार्यालय की मुद्रा अंकित हैं। शिकायतकर्ता द्वारा बताया हैं कि कनेक्शन क्रमांक 6593462000 जो कि (पिताजी के नाम से) राधा किशन होजरी के नाम से हैं। शिकायतकर्ता श्री भारत भूषण गुप्ता के नाम से उपरोक्त विद्युत कनेक्शन नहीं हैं, न ही उन्होंने अपने नाम कनेक्शन को ट्रांसफर कराया गया है। उक्त कनेक्शन को स्थाई रूप से विच्छेदित कराने का अधिकार शिकायतकर्ता को नहीं हैं।

उक्त कनेक्शन पर माह नवम्बर 2017 की स्थिति में मय ब्याज 17,439/– बकाया हैं। राशि जमा कराने पर उनके पिताजी के नाम का आवेदन एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर कनेक्शन को स्थाई रूप से विच्छेदित किया जावेगा।

(एस.एस. मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**

निरन्तर.....

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :**–आवेदक ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया कि उन्हें जारी मिनिमम चार्ज एवं उस पर सरचार्ज लगाकर प्रतिमाह जून 2014 से जारी विद्युत बिलों का भुगतान करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें नियमानुसार संशोधित विद्युत बिल दिये जायें। उनका यही निवेदन हैं।

अनावेदक ने फोरम के समक्ष कथन किया कि शिकायतकर्ता हमारा उपभोक्ता ही नहीं हैं। शिकायतकर्ता द्वारा कार्यालय में स्थाई रूप से विद्युत कनेक्शन विच्छेदन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं। उपभोक्ता को मिनिमम चार्जेज के बिल जारी किये जा रहे हैं, जो माह नवम्बर 2017 की स्थिति में मय सरचार्ज राशि रूपये 17439/– की बकाया हैं। बकाया राशि जमा करने के पश्चात शिकायतकर्ता के पिताजी के नाम का आवेदन एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात कनेक्शन को स्थाई रूप से विच्छेदित किया जावेगा। आवेदक का कनेक्शन लगभग वर्ष 2010 से बंद पड़ा हैं।(जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया हैं।)

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं आवेदक तथा अनावदेक द्वारा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की विवेचना के बाद यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा आवेदक को जारी विद्युत बिलों के अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक को दिसम्बर 2013 में मीटर रीडिंग 3966 एवं 0 खपत दर्शाते हुए लगातार माह जनवरी 2015 तक विद्युत बिल जारी किये गये हैं तथा माह फरवरी 2015 में मीटर में दर्ज रीडिंग 4072 दर्शाकर 106 यूनिट का विद्युत देयक जारी किया गया है। मार्च 2015 से अगस्त 2017 तक मीटर में रीडिंग 4072 एवं 0 खपत दर्शाकर विद्युत देयक दिये गये हैं। सितम्बर 2017 के विद्युत बिल में मीटर में रीडिंग 4072 एवं आंकलित खपत 59 यूनिट का विद्युत देयक आवेदक को दिया गया हैं, जिसका भुगतान आवेदक द्वारा नहीं किया गया हैं। अतः उपरोक्त विवेचना से यह सिद्ध होता हैं कि आवेदक के परिसर में विद्युत का उपयोग नहीं हैं तथा अनावेदक ने भी कभी भी ऐसा जिक्र नही किया कि आवेदक के परिसर में विद्युत का उपयोग हुआ हो। आवेदक ने उन्हें जारी मिनिमम खपत के विद्युत देयकों का भुगतान माह मई 2014 तक किया जाता रहा है, जिसकी पुष्टि भी माह जून 2014 में जारी बिल से होती हैं। जिसमें माह मई 2014 के विद्युत देयक का भुगतान 28 मई 2014 को राशि रूपये 223/– का दिया गया हैं, अंकित हैं।

अतः आवेदक के आवेदन दिनांक 22.09.2015 को जो कि सहायक यंत्री, जीवाजीगंज जोन, लश्कर ग्वालियर को संबोधित हैं, को मान्य करते हुए आवेदक के विद्युत कनेक्शन को स्थाई रूप से विच्छेदन की कार्यवाही सितम्बर 2015 के बाद की जाने को फोरम उचित मानता हैं।

(एस.एस. मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**

निरन्तर.....

अनावेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि आवेदक को माह जून 2014 से सितम्बर 2015 की अवधि में जारी विद्युत देयक निरस्त किये जायें एवं तत्समय प्रचलित टैरिफ के अनुसार मिनिमम टैरिफ के अनुसार विद्युत देयक संशोधित करें एंव विद्युत देयकों के भुगतान उपरांत सितम्बर 2015 के पश्चात आवेदक द्वारा स्थाई रूप से विद्युत विच्छेदन की औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात आवेदक के विद्युत कनेक्शन को स्थाई रूप से सितम्बर 2015 के पश्चात ही मान्य किया जावें।

आवेदक की शिकायत निराकृत कर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर फोरम को प्रस्तुत करें ।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक :21 / 12 / 2017
स्थान : भोपाल

(एस.एस. मंडलोई)
सदस्य(अभियांत्रिकी)

(राजीव अग्रवाल)
अध्यक्ष

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 867–68 भोपाल, दिनांक 28.12.2017

प्रति,

श्री राधा किशन होजरी,
म.नं. 3, गौरीशंकर स्कूल के पास,
समृद्धि मेंशन, कोटेश्वर मन्दिर रोड
विनय नगर, ग्वालियर, (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 21 / 12 / 2017के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–60 / 2017) दिनांक13.11.2017 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 21 / 12 / 2017 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक, (शहर संभाग, केन्द्रीय), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.) – लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–60 / 2017 दिनांक 13.11.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 21 / 12 / 2017 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 063/2017

13.11.2017

श्रीब्रिज मोहन महोबिया,
सूरज नमकीन के पास **(आवेदक)**
फोर्ट रोड, ग्वालियर, (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, उत्तर), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक23.12.2017 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/63दिनॉक 13.11.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 07.12.17 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :-**आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया कि माह अक्टूबर 2017 में राशि रूपये 59708/- का बिल आया। बिल मिलने के पश्चात मेरे द्वारा बिल सुधार हेतु एक आवेदन तानसेन नगर जोन, ग्वालियर के कार्यालय में दिया गया। आवेदन दिये जाने के पश्चात जोन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मेरा मीटर चैक किया गया एवं लोड भी चैक किया गया एवं मुझे अवगत कराया गया कि आपका मीटर सही हैं। चैकिंग उपरांत मुझे बताया गया कि हमसे गलती हुई हैं एवं आपका बिल गलत हैं। इसको सुधार कर आपको दिया जाएगा, किन्तु मेरा बिल आज दिनांक तक नहीं सुधारा गया। फिर मुझे माह

नवम्बर 2017 में राशि रूपये 82185/– का बिल दे दिया गया। अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि माह अक्टूबर 2017 एवं नवम्बर 2017 में आये बिल को निरस्त कर मुझे संशोधित बिल प्रदाय किये जाने की प्रार्थना हैं।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष लिखित कथन किया गया कि उपभोक्ता द्वारा उन्हें माह 10/2017 में 6902 यूनिट का देयक भुगतान के लिए प्राप्त हुआ, जिसे लेकर उनके द्वारा फोरम में शिकायत दर्ज करायी गयी हैं। उक्त प्रकरण में जॉच करने तथा तथ्यों का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता को माह 10/2017 में 6902 यूनिट का देयक भुगतान के लिये जारी किया गया। उक्त माह में स्पाट बिलिंग के दौरान बिल में 8225 रीडिंग त्रुटिवश दर्ज हुई, जिसके कारण 6902 यूनिट का देयक उपभोक्ता को भुगतान के लिये जारी किया गया, जो गलत था।

उक्त त्रुटिपूर्ण देयक में सुधार करने हेतु उपभोक्ता द्वारा जोन कार्यालय में दिनांक 24.10.2017 को आवेदन किया गया, जिस पर जोन कार्यालय द्वारा कार्यवाही करते हुए उपभोक्ता को पूर्व में जारी (10/2017) देयक में लगाई गई खपत 6902 के स्थान पर न्यूनतम का देयक भुगतान के लिए जारी करते हुए देयक संशोधित किया गया, जिसके तहत उपभोक्ता को माह 11/2017 में राशि रूपये 59425/– का समायोजन किया जा चुका हैं। इस प्रकार उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण किया जा चुका हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–** आवेदक ने फोरम के समक्ष कथन किया कि माह अक्टूबर 2017 में राशि रूपये 59708 का बिल उन्हें दिया गया । फिर मेरे द्वारा बिल सुधार हेतु एक आवेदन तानसेन नगर जोन कार्यालय में दिया गया, जिस पर जोन के कर्मचारी/अधिकारी द्वारा मेरा मीटर एवं लोड चैक किया गया एवं बताया गया कि आपका मीटर सही हैं। हमसे गलती हुई हैं। आपका बिल ठीक हो जाएगा, किन्तु मेरा बिल आज दिनांक तक सुधार नहीं किया गया, फिर मुझे माह नवम्बर 2017 में राशि रूपये 82185/– का बिल दे दिया गया। अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि माह अक्ॅटूबर 2017, नवम्बर 2017 में अधिक आये बिल को निरस्त कर मुझे संशोधित बिल प्रदाय करने का कष्ट करें, यहीं मेरा निवेदन हैं।

अनावेदक ने प्रकरण में कथन किया कि आवेदक का माह अक्टूबर 2017 में जो 6902 यूनिट का देयक भुगतान के लिये जारी किया गया था, उसको संशोधित कर दिया गया हैं। जिसके तहत माह नवम्बर 2017 में राशि रूपये 59425/– की क्रेडिट दे दी गई हैं। इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण हो जाने के कारण प्रकरण को समाप्त किये जाने का निवेदन हैं।

(एस.एस. मंडलोई) (आर.के लढ़िया) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

आवेदक द्वारा प्रकरण में संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण करने के उपरांत कथन किया गया कि अनावेदक द्वारा मेरी शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं एवं मैं उनके द्वारा किये गये निराकरण से सहमत हूॅ और प्रकरण में आगे कुछ नहीं कहना हैं।

प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि अनावेदक ने आवेदक को माह अक्टूबर 2017 का विद्युत बिल गलत रीडिंग लेकर 6902 यूनिट खपत का भुगतान हेतु जारी किया गया।

अतः अनावेदक ने आवेदक के मीटर एवं परिसर का लोड चैक करने पर पाया गया कि रीडिंग गलत लेकर बिल जारी हुआ हैं। इसे संशोधित कर माह अक्टूबर 2017 में आवेदक को मिनिमम खपत का विद्युत देयक जारी कर माह नवम्बर 2017 के विद्युत देयक में राशि रूपये 59425/– का समायोजन करते हुए विद्युत देयक जारी किया गया हैं, जो न्याय संगत एवं नियमानुसार हैं। अनावेदक की इस कार्यवाही से आवेदक द्वारा सहमति प्रकट की हैं। आवेदक की शिकायत निराकृत कर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर फोरम को प्रस्तुत करें ।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक :23/12/2017
स्थान : भोपाल

(एस.एस. मंडलोई)	**(आर.के लढ़िया)**	**(राजीव अग्रवाल)**
सदस्य(अभियांत्रिकी)	**सदस्य(राजस्व एवं लेखा)**	**अध्यक्ष**

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 858–59 भोपाल, दिनांक 23.12.2017

प्रति,

श्री ब्रिज मोहन महोबिया,
सूरज नमकीन के पास **(आवेदक)**
फोर्ट रोड, ग्वालियर, (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 23 / 12 / 2017के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–63 / 2017) दिनांक13.11.2017 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 23 / 12 / 2017 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक, (शहर संभाग, उत्तर), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.) – लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–63 / 2017 दिनांक 13.11.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 23 / 12 / 2017 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrf.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 893–94 भोपाल, दिनांक 29 / 12 / 2017

प्रति,

श्री राजेन्द्र सिंह,
सचिन अग्रवाल साठे की गोठ,
कैथवाली गली, जादौन डेरी के पास,
लश्कर,ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :फोरम के निर्णय दिनॉक29.12.2017 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–65 / 2017 दिनॉक 13.11.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक**29.12.2017** को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग, (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–65 / 2017 दिनांक 13.11.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक **29.12.2017** इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.65/2017

13.11.2017

श्री राजेन्द्र सिंह, (आवेदक)
सचिन अग्रवाल साठे की गोठ,
कैथवाली गली, जादौन डेरी के पास,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, शहरसंभाग, (दक्षिण)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.)

आदेश

आज–29.12.2017 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/65 दिनॉक 13.11.17 को पंजीकृत कर दिनॉक, 07.12.2017,एवं 08.12.2017को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–** आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक का परिसर गत् 31.03.2012 से बंद पड़ा हुआ है एवं खाली है, और न ही वहां कोई रहता है। आवेदक ने पूर्व में भी कई बार आवेदन दिये कि मेरा परिवार दिल्ली में रह रहा है। अतः मुझे विद्युत कोई आवश्यकता नही है। आवेदक ने दिनांक 25.07.2017 को पी.डी.सी. करा लिया था उसके बावजूद भी मुझे आंकलित खपत

(एस.एस. मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

का बिल बराकर भेजा रहा है एवं मेरी सुरक्षा निधि रू.1617/– जो जमा की उसे भी मात्र रू.183/– दिया गया है। अतः महोदय जी, से निवेदन है कि मेरे बिल में सुधार कर पी.डी.सी करवाने एवं बिल में विगत् पॉच वर्षो से आज दिनांक 08.11.2017 तक लगी हुई आंकलित खपत हटाकर बिल में सुधार करने की कृपा करे।

5. अनावेदक का कथन :–अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किउपभोक्ता श्री राजेन्द्र सिंह ने जन–सुनवाई में अपील की थी, उपभोक्ता की जनवरी 2012 से लाईट कटी है। आर.सी./डी.सी. की रसीद उपभोक्ता की शिकायत संलग्न है। जिसके आधार पर 48X115=5040, 18X110=1980+5040–7020 बाकी फाल्स डिमांड है। जो समायोजन करने योग्य है। 16493–7020=9473

अतः 9473/– का समायोजन किए जाने योग्य है। जिसे बिल में कम कर दिया गया है।

6. फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

आवेदक विधिवत कनेक्शन अस्थाई रूप से विच्छेदित करने का आवेदन जून 2012 में दिया था। आवेदक के आवेदन पर अनावेदक कंपनी ने कनेक्शन विच्छेदित करने की कार्यवाही किये जाने हेतु उपभोक्ता को राशि रू. 200/– का डिमांड नोट 25.06.2012 को दिया एवं आवेदक ने रू. 200/– 25.06.2012 को जमा कर दिये। अनावेदक कंपनी द्वारा कनेक्शन को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत बिलिंग प्रत्रक से यह पाया गया कि माह दिसम्बर 2013 से आंकलित खपत के बिल कनेक्शन कटा होने के बाद भी दिये जा रहे थे। आंकलित खपत के बिल दिसम्बर 2017 तक उपभोक्ता को दिये गये। अनावेदक ने अपने कथन में आंकलित खपत होना स्वीकार किया एवं आंकलित खपत को हटाकर अनावेदक ने जून 2012 से दिसम्बर 2017 तक न्यूनतम चार्जेस का बिल संशोधित किया गया है। आंकलित खपत सहित उपभोक्ता का बिल रू. 21702/– जुलाई 2012 से दिसम्बर 2017 तक जारी किया गया। न्यूनतम चार्जेस का संशोधित बिल रू. 5065/– होता है। अतः अनावेदक ने रू. 16637/– गलत ली गई डिमांड को वापस लिया है। उपभोक्ता की सुरक्षा निधि की राशि रू. 1680/– का समायोजन उनके बिलों में किया गया है।

(एस.एस. मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

अतः फोरम इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कनेक्शन अस्थाई कटे हुए समय का उपभोक्ता की मांग को अनुसार न्यूनतम चार्जेस का बिल तत्काल दिया जावे एवं उपभोक्ता की रू. 1680/– सुरक्षा निधि राशि जो उनके बिलों में समायोजित की गई है उसका लाभ भी उपभोक्ता को दिया।अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि यदि आवेदक अपने विद्युत कनेक्शन को स्थाई रूप से विच्छेदित करवाना चाहता है तो उससे विद्युत कनेक्शन स्थाई विच्छेदन की औपचारिकताए पूर्ण करकर उसका कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जावे। आवेदक की शिकायत निराकृत होकर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 29.12.2017
स्थान : भोपाल।

(एस.एस.मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**
सदस्य (अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 068/2017

13.11.2017

श्रीमती अंगूरी धाकड़ पत्नी श्री विशम्भर दयाल धाकड़,
सूरज नमकीन के पास **(आवेदक)**
फोर्ट रोड, ग्वालियर, (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, दक्षिण), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 23.12.2017 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/68दिनॉक 13.11.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 07.12.17 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :**—आवेदिका ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि मेरे सर्विस क्रमांक 49—19—8751425009 में मेरे घर पर स्थापित मीटर की रीडिंग आज दिनांक को 0183 यूनिट आ रही हैं, जबकि मेरे बिल में खपत 0310 यूनिट दिखाई जा रही हैंख् जबकि मैं लगभग आठ दस माह से उक्त घर में मैं निवास ही नहीं कर रहा हूॅ, फिर मुझे ज्यादा रीडिंग का बिल दिया गया हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि मुझे मीटर रीडिंग के आधार पर बिल दिया जावें, ताकि मैं बिल का भुगतान कर सकूॅ।

(एस.एस. मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**

निरन्तर.....

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष लिखित कथन किया गया कि उपभोक्ता के विद्युत बिल में रीडिंग अनुसार सुधार करते हुए समस्त आंकलित खपत समाप्त कर दी गई हैं। कुल रूपये 8430/– की क्रेडिट उपभोक्ता के विद्युत देयक में कर दी गई हैं। उपभोक्ता द्वारा भी लिख कर दिया गया है कि उनकी शिकायत का निराकरण हो गया हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–** आवेदिका द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया कि उनके विद्युत बिल, मीटर में दर्ज खपत के अनुसार दिये जावें, जिसको मैं भरने के लिये तैयार हूॅ। जनवरी 2017 से नवम्बर 2017 तक लगी आंकलित खपत हटाकर बिलों में संशोधन किया जावें तथा आंकलित खपत के विद्युत बिलों के भुगतान की गई राशि को संशोधन उपरांत (मीटर खपत) के बिलों में समायोजित किये जावें। तदुपरांत जारी संशोधित बिल का भुगतान कर सकूॅ।

अनावेदक द्वारा कथन किया गया कि उपभोक्ता का बिल रीडिंग के अनुसार सुधार करते हुए जनवरी 2017 से नवम्बर 2017 तक लगाई गई आंकलित खपत को हटा दिया गया हैं। उपभोक्ता को 8430/– रूपये के क्रेडिट कर दी गई हैं तथा उपभोक्ता के विद्युत बिलों में संशोधन कर दिया गया हैं जिससे उपभोक्ता संतुष्ट हैं।

आवेदिका एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों तथा किये गये कथनों की समीक्षा करने पर पाया गया कि अनावेदक द्वारा आवेदिका को दिसम्बर 2016 बिल्ड इन जनवरी 2017 से लगातार मीटर रीडिंग न लेकर आंकलित खपत के विद्युत देयक नवम्बर 2017 तक जारी किये गये, जो कि उनकी सेवा में कमी को प्रदर्शित करता हैं। इन बिलों का भुगतान सितम्बर 2017 में रूपये 3690/– मात्र एक बार किया हैं। आवेदिका की शिकायत यह हैं कि उसे जारी आंकलित खपत के विद्युत देयकों में से आंकलित खपत हटाकर मीटर में दर्ज खपत के अनुसार संशोधित विद्युत बिल दिये जावें तथा उनके द्वारा उक्त बिलों के भुगतान की गई राशि को मीटर में दर्ज खपत अनुसार संशोधन के उपरांत भुगतान की जाने वाली राशि में समायोजित कर उसे संशोधित विद्युत देयक दिये जावें।

अनावेदक ने आवेदिका के बिलों में लगाई गई आंकलित खपत माह दिसम्बर 2016 से नवम्बर 2017 तक को हटाकर मीटर में दर्ज खपत अनुसार विद्युत देयक संशोधित कर रूपये 8430/– की क्रेडिट आवेदिका को उसके विद्युत देयकों में दी जाना स्वीकार किया गया। अनावेदक द्वारा आवेदिका को उनकी शिकायत के निराकरण में अनावेदक द्वारा की

(एस.एस. मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**

निरन्तर.....

गई कार्यवाही से उनके प्रतिनिधि श्री विश्म्भर दयाल धाकड़, जो कि आवेदिका के पति हैं, ने फोरम के समक्ष लिखित सहमति पत्र प्रस्तुत किया। अतः अनावेदक द्वारा आवेदिका की शिकायत का निराकरण कर मीटर में दर्ज खपत अनुसार विद्युत देयक संशोधित किये जाना स्वीकार किया हैं।

अतः अनावेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि आवेदिका को उनके विद्युत देयकों से आंकलित खपत हटाकर मीटर में दर्ज खपत अनुसार संशोधित करने के उपरांत भुगतान की जाने वाली राशि को पूर्व में आवेदिका द्वारा भुगतान की गई राशि में समायोजित कर विद्युत देयक जारी करें।

पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर फोरम को प्रस्तुत करें ।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक :23 / 12 / 2017
स्थान : भोपाल

(एस.एस. मंडलोई)
सदस्य(अभियांत्रिकी)

(राजीव अग्रवाल)
अध्यक्ष

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 871–72 भोपाल, दिनांक 28.12.2017

प्रति,

श्रीमति अंगूरी धाकड़,
पत्नि श्री विशम्भर दयाल धाकड़,
सूरज नमकीन के पास **(आवेदक)**
फोर्ट रोड, ग्वालियर, (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 23 / 12 / 2017के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–68 / 2017) दिनांक13.11.2017 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 23 / 12 / 2017 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक, (शहर संभाग, दक्षिण), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.) – लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–68 / 2017 दिनांक 13.11.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 23 / 12 / 2017 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrf.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 888–89 भोपाल, दिनांक 29 / 12 / 2017

प्रति,

श्रीमति शीलादेवी शर्मा,

परदेशीपुरा, संकट मोचन नगर,

मुरार,ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :फोरम के निर्णय दिनॉक29.12.2017 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–69 / 2017 दिनॉक 13.11.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक29.12.2017 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग, (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–69 / 2017 दिनांक 13.11.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 29.12.2017 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.69/2017

13.11.2017

श्रीमतिशीलादेवी शर्मा, (आवेदक)
परदेशीपुरा, संकट मोचन नगर,
मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, शहरसंभाग, (पूर्व)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.)

आदेश

आज–29.12.2017 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदिका के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/69 दिनॉक 13.11.17 को पंजीकृत कर दिनॉक, 08.12.2017को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदिका का कथन :–**आवेदिका ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि मेरा मीटर रीडिंग के अनुसार सही चल रहा था और मेरे द्वारा समय पर बिजली बिल राशि जमा की जा रही थी। विद्युत कंपनी के अधिकारी/कर्मचारी बिना किसी शिकायत के मीटर को बदला और कहां कि यह धीमा चलता है, जबकि मेरे घर के सभी सदस्य बाहर कार्य करते है, कभी–कभी आते है। नये मीटर की रीडिंग 200 यूनिट अतिरिक्त बिल जोड़ा जा रहा है। इसकी बार–बार शिकायत करने पर भी नही सुधारा गया, कहते है कि भरना पड़ेगा।

(एस.एस. मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

आवेदिका की बिल की राशि माह जुलाई तक जमा है। मेरे मीटर की वास्तविक रीडिंग निम्नानुसार है, माह अगस्त 52 यूनिट, माह सितम्ब्र 134–52=82 यूनिट, माह अक्टूबर 231–134=97 यूनिट, तथा माह नवम्बर 272–231=41 यूनिट, लोड़ की जांच करवाई गई परन्तु कम नही है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अतिरिक्त लगाई बिल की राशि को हटाकर वास्तविक रीडिंग का बिल जमा करने को तैयार हूॅ। अधिभार को भी हटाया जाये।

5. अनावेदक का कथन :–अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किउपभोक्ता का मीटर दिनांक 21.06.2017 को मीटर में कटे अंक आने के कारण बदला गया था। मीटर को कार्यालय में उपकरणों द्वारा चैक किया गया था जिसमें आखरी रीडिंग (FR-979) पाई गई (मीटर परिवर्तन रिपोर्ट संलग्न है) दिनांक 25.11.2017 को श्री मोहन अग्रवाल लाईन मेन द्वारा उपभोक्ता का कनेक्शन चैक किया गया था। (चैक रिपोर्ट संलग्न है) जिससे मीटर डिफेक्टिव होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। जिसके आधार पर पुनः दिनांक 27.11.2017 को उपभोक्ता का मीटर डिफेक्टिव होने के कारण बदला गया (मीटर परिवर्तन रिपोर्ट संलग्न है) इस अवधि में मीटर खराब होने की स्थिति को दिया गया शेष बिल वास्तविक रीडिंग के है।

6. फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

दिनांक 08.12.2017 को आवेदिका के पुत्र श्री ब्रजेश शर्मा फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं प्रकरण में कथन किया कि मेरा विद्युत कनेक्शन पर स्थापित मीटर सही चल रहा था। मै प्रति माह मीटर में दर्ज रीडिंग के अनुसार विद्युत बिलों का भुगतान करता रहा हूॅ। मेरे घर में सभी सदस्य अक्सर बाहर रहते है। एक दिन बिजली विभाग के कर्मचारी आकर मुझे बिना सूचना दिये एवं बिना कारण घर के बाहर लगे मीटर को निकाल ले गये और नया मीटर लगा गये। कुछ माह बाद बिल में 200 यूनिट (आंकलित खपत) अतिरिक्त बिल में लगाकर बिल दिया गया। मै कम्पनी के कार्यालय गया और अतिरिक्त बिल के सम्बंध में शिकायत की है। उन्होने कहां कि आप की आंकलित खपत 200 यूनिट समाप्त नही हो सकती है। मेरी वहा सुनवाई नही होने पर दिनांक 26.09.2017 को रोशनी घर कम्पनी कार्यालय में लिखित शिकायत दिया तथा मुख्यमंत्री हेल्प लाईन पर भी शिकायत कि गई है। उन्होने आंकलित खपत 200 यूनिट को हटाने एवं बिल में संशोधन करने के से मना किया और आपके मीटर में इतना ही रीडिंग थी। मैने आंकलित खपत का बिल सितम्बर 2017 का

बिल भी शिकायत है। मैने मीटर को दिखाने का कहा तो उन्होने कहा मीटर उपलब्ध नही हैह। कम्पनी कार्यालय के कर्मचारियॉ द्वारा मेरा परिसर दो से तीन बार निरीक्षण कटा गया था। मेरा आंकलित खपत का बिल सितम्बर 2017 में आंकलित खपत हटाकर बिल संशोधन करने की कृपा करे।

अनावेदक ने फोरम के समक्ष प्रकरण में कथन किया कि उपभोक्ता की शिकायत मीटर में आंकलित खप को लेकर एवं मीटर बदलने को लेकर थी। जिसके तारतम्य में उपभोक्ता का मीटर 21.06.2017 को एफ.आर. 979 एवं एस.आर. 0000 पर बदला गया एवं उपभोक्ता के बिल में आंकलित खपत को सुधारा जाकर बिल सही दिया गया। शिकायत का निराकरण कर दिया गया है।

आवेदिका प्रतिनिधि ने फोरम के समक्ष कथन किया कि मेरे बिल में जूड़ी आंकलित खपत 232 यूनिट हटाकर अब तक बिल संशोधित कर सरचार्ज हटाकर माहवार के हिसाब से संशोधन किया जावे, जिसका मे भुगतान कर सकू।

अनावेदक ने फोरम के समक्ष कथन किया कि आवेदिका प्रतिनिधि के कथनानुसार माह अगस्त 2017 से दिसम्बर 2017 तक के विद्युत देयकों को भी संशोधित करना स्वीकार किया गया एवं कथन किया कि आवेदिका की शिकायत निराकृत प्रकरण समाप्त किया जावे। फोरम से यही निवेदन है।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं आवेदिका तथा अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष किये गये कथनों कि विवेचना करने पर यह पाया गया कि उपभोक्ता पास बुक के अनुसार माह फरवरी 2017 में 50 यूनिट, अगस्त 2017 में 100 यूनिट एवं दिसम्बर 2017 में 174 यूनिट आंकलित खपत लगाकर विद्युत देयक जारी किये गये है। जो कि विवाद एवं शिकायत का कारण है।

आवेदिका का मीटर बंद एवं खराब होने के कारण 21 जून 2017 को बदला गया एवं 0000 रीडिंग पर नया मीटर स्थापित किया गया, जो कि जीनस कम्पनी का था, परन्तु यह मीटर भी डिफेक्टिव था। उपभोक्ता द्वारा अनावेदक के इस कृत्य की सी.एम. हेल्प लाईन में शिकायत दर्ज थी एवं दर्ज की गई शिकायत के आधार पर 27 नवम्बर 2017 को पुनः नया मीटर स्थापित किया गया। उपरोक्त परिस्थितियों से फोरम इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जून 2017 से नवम्बर 2017 तक मीटर डिफेक्टिव रहा।

अतः म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35 ब के अनुसार मीटर ठीक रहने या मीटर की सही कार्य करने की अवधि कातीन माह की औसत खपत के आधार पर उपभोक्त का बिल संशोधित किया जाना उचित होगा। अतः जुलाई 2017 से नवम्बर 2017 की अवधि में कनेक्शन औसत आधार पर बिलिंग की जावे।

(एस.एस. मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

उपरोक्त विवेचना उपरांत अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि आवेदिका को माह फरवरी 2017 में लगाई गई आंकलित खपत 50 यूनिट हटाकर मीटर में दर्ज यूनिट अनुसार विद्युत देयक संशोधित करे तथा मीटर सही कार्य करने की अवधि में मीटर खराब होने के पूर्व तीन माह की दर्ज खपत का औसत माह जुलाई 2017, 30 यूनिट, जून 2017 में, 34 यूनिट, एवं मई 2017 में, 26 यूनिट का औसत 30 यूनिट प्रति माह खपत लेकर माह जून 2017 बिल्ड़ जुलाई 2017 से नवम्बर बिल्ड़ दिसम्बर 2017 तक संशोधित करे आवेदिका को संशोधन उपरांत विद्युत देयक जारी करे। आवेदिका की शिकायत निराकृत प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

अनावेदक आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस में पालन प्रति वेदन की एक प्रति फोरम एवं एक प्रति आवेदिका को प्रेषित करें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 29.12.2017
स्थान : भोपाल।

(एस.एस.मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**
सदस्य (अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrf.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 890–91 भोपाल, दिनांक 30 / 12 / 2017

प्रति,

श्री डॉ. आलोक पुरोहित,

ई–3, हेल्थ डिपार्टमेंट कॉलोनी,

सिटी सेंटरग्वालियर (म.प्र.)

विषय :फोरम के निर्णय दिनॉक30.12.2017 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–70 / 2017 दिनॉक 13.11.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक**30.12.2017** को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :निर्णय की प्रति

–सही–
सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग, (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–70 / 2017 दिनांक 13.11.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक **30.12.2017** इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

–सही–
सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.70/2017

13.11.2017

श्री डॉ. आलोक पुरोहित, (आवेदक)
ई–3, हेल्थ डिपार्टमेंट कॉलोनी,
सिटी सेंटर ग्वालियर (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, शहरसंभाग, (पूर्व)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.)

आदेश

आज–30.12.2017 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदिका के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/70 दिनॉक 13.11.17 को पंजीकृत कर दिनॉक, 08.12.2017को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदिका का कथन :–**आवेदिका ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक का एक घरेलू विद्युत संयोजन है, जिसका संयोजन क्रमांक 639180591627 है। दिनांक 27.06.2017 से 31.07.2017 तक की रीडिंग गलत दी गई है। आवेदक द्वारा दिनांक 27.06.2017 को अपना सरकारी आवास E–6 से E–3 में शिफ्ट कर लिया था। जिसकी लिखित सूचना कार्यालय एवं मीटर शिफ्टिंग का आवेदन जमा किया था। कृपया करके गलत रीडिंग को सही करने का कष्ट करे।

(एस.एस. मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

5. अनावेदक का कथन :–अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किउपभोक्ता की शिकायत का अवलोकन करने पर पाया कि उपभोक्ता द्वारा शासकीय आवास जिसमें रहते थे। नया आवास आवाटित होने पर उपभोक्ता की आवेदन पर पुराना मीटर ही नये आवास परिसर में लगाया गया जिसमें शेष यूनिट थी, जिसका बिल माह अगस्त 2017 के देयक में लगाकर आया है। रीडिंग में कही कोई विसंगति नही है। इसी प्रकार दिनांक 25.11.2017 को चैक करने पर मीटर की रीडिंग 20527 यूनिट मीटर सही पाया गया बिल में सुधार किया जाना संभव नही है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि प्रकरण समाप्त किया जावे।

6. फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

दिनांक 08.12.2017 को आवेदक प्रतिनिधि श्रीमति रेखा पुरोहित ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया कि मेरा विद्युत बिल अगस्त 2017 में ज्यादा विद्युत खपत का दिया गया था। जबकि उस माह में,मै मकान में नही थी, मकान की शिफ्टिंग हो चूकि थी। मैने 27 जून 2017 को क्बाटर को शिफ्ट किया था जिसकी सूचना दे दी गई थी। मेरे बिल को संशोधित कर दिया जावे, ताकि मै उसका भुगतान कर सकू एवं मुझे बिल को किस्त में भुगतान करने की सुविधा दी जावे। मेरे बिलों में लगा सरचार्ज भी न लिया जावे।

अनावेदक ने फोरम के समक्ष कथन किया कि उपभोक्ता की शिकायत का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता की शिकायत शासकीय क्वाटर जिसमें रहते थ, नया क्वाटर आवंटित होने पर उपभोक्ता के आवेदन पर पुराने क्वाटर जिसमें रहते थे नये क्वाटर में शिफ्ट होने पर पुराने क्वाटर में लगा मीटर ही नये परिसर में लगवाया गया जिसमें शेष यूनिट थी जिसका बिल अगस्त 2017 के देयकों में लगाकर दिया गया है, रीडिंग में कही कोई विसंगति नही है। इसी प्रकार दिनांक 25.11.2017 को चैक करने पर मीटर की रीडिंग 20527, मीटर सही पाया गया। बिल में सुधार किया जाना संभव नही है। अतः प्रकरण समाप्त किया जावे।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं आवेदक तथा अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष किये गये कथनों कि विवेचना उपरांत यह पाया गया कि आवेदक ने अनावेदक को सूचना देकर की वह शासकीय आवास क्रमांक E–6 से आवास क्रमांकE–3 में शिफ्ट हो गये है। अतः हमारा आवास क्रमांकE–6 में लगा पुराना मीटर ही आवास क्रमांकE–3 में लगाया जावे का निवेदन दिनांक 27.06.2017 को किया गया। अनावेदक ने आवेदक के निवेदन पर आवास क्रमांक E–6 वाला पुरान मीटर आवास क्रमांक E–3 में लगा दिया गया। माह अगस्त 2017 में आवेदक को इसी मीटर में विद्युत की दर्ज खपत अनुसार 1446 यूनिट का विद्युत देयक जारी किया गया जो विवाद का विषय है। फोरम की विवेचना में यह पाया गया कि माह जुलाई एवं अगस्त में मीटर

(एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

की शिफटिंग के दौरान उपभोक्ता की रीडिंग ठीक से नही हुई एवं इक्ट्ठी खपत 1446 यूनिट का बिल माह अगस्त 2017 में पाया गया। इसकी पृष्टि माह मई 2017 एवं जून 2017 में आई कम खपत से होती है। अतः फोरम इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि 1446 यूनिट को माह मई, जून एवं अगस्त 2017 में समान रूप से विभाजित कर बिल संशोधित करे।

उपरोक्त विभाजन के पश्चात् यदि आवेदक के विद्युत संयोजन की उपभोक्ता पासबुक का अवलोकन किया जावे तो जनवरी 2017 से दिसम्बर 2017 तक खपत का पेटर्न लगभग एक समान रहेगा। मीटर चैक करने पर भी मीटर की कार्य प्रणाली सही पाई गई है। अतः उपरोक्त निर्णय के साथ प्रकरण निराकृत कर समाप्त किया जाता है।

अनावेदक को निदेर्शित किया जाता है कि वह आवेदक को विद्युत देयक के भुगतान करने हेतु नियमानुसार किस्तों में भुगतान करने की सुविधा दी जावे।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 30.12.2017
स्थान : भोपाल।

(एस.एस.मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**
सदस्य (अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 812–13 भोपाल, दिनांक 05 / 12 / 2017

प्रति,
श्री गोपी किशन, पुत्र श्री बटटूलाल,
ग्राम खेड़ा तह. इटारसी जिला होशंगाबाद,
(म.प्र.)

विषय :–प्रकरण क्रमांक BT-16/2017दिनॉक 15.09.2017 में फोरम के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक BT-16/2017दिनॉक 15.09.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 05.12.2017 को कर दिया गया है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि–

1. **उप**महाप्रबंधक (सं. / सं.)संभाग म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि इटारसी। (म.प्र.) –ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक बी.टी.–16 / 2017 दिनांक 15.09.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 05.12.2017इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.बी.टी/16/2017

15.09.2017

श्री गोपीकिशन, पुत्र श्री बटटूलाल मालवीय,
ग्राम खेड़ा, तह. इटारसी जिला , **(आवेदक)**
होशंगाबाद (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, (सं./सं.) संभाग,**(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., इटारसी। (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक05.12.2017 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/16दिनॉक 15.09.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 06.10.17, 30.10.17, 03.11.17 एवं 04.12.2017को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना–अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि :–

   1. आवेदक ने अनावेदक से इन्डस्ट्रीयल कनेक्शन क्रमांक 30655 स्वीकृत भार 30 एच.पी. का प्राप्त किया है। वास्ते प्रमाण बिल की प्रति अनेक्चर एक है।
   2. आवेदक ने अनावेदक को कास्ट आफ मीटर की राशि भुगतान कर मीटर को किराए पर प्राप्त किया है और इस आधार पर अनावेदक, आवेदक से माहाना मीटर किराया राशि प्राप्त कर रहा है जिसका इन्द्राज मासिक बिल में आता है। कृपया विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 55 देखने का कष्ट करे जो अनेक्चर दो है, अनावेदक आवेदक के संस्थान में मीटर की मासिक रिडिंग रिकार्ड करता है, और मासिक मीटर को देखता है।
   3. उक्त धारा में अनावेदक की यह कानूनी जिम्मेदारी बताई गई है कि वह आवेदक/उपभोक्ता के यहॉ स्थापित किए जाने वाले मीटर को स्थापित करने के पूर्व मीटर टेस्टिंग करके सही मीटर स्थापित करे। कृपया विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 55 देखे, धारा की प्रति अनेक्चर तीन है।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

4. आवेदक के यह स्थापित मीटर जिसे आगे विवादित मीटर से संबोधित किया जाावे। उक्त मीटर किस दिनांक को अनावेदक ने आवेदक के संस्थान में स्थापित किया था, और उक्त मीटर स्थापित करने के पूर्व विद्युत सप्लाए कोड के नियम 8.14 के मुताबिक टेस्ट नही किया गया था कृपया नियम की प्रति देखे जो अनेक्चर चार है।
5. अनावेदक ने आवेदक की ओर एक बिल दिनांक निरंक को जारी कर ''एम.आर.आई. के अनुसार मीटर के आर फेस पर वोल्टेज 0 दर्ज हो रहा है दिनांक 16.06.2014 रिडिंग 26649 से दिनांक 18.11.2016 रिडिंग 50920 तक मीटर के द्वारा एक फेस खपत दर्ज नही की गई है। दिनांक 18.11.16 को सुधार किया गया है पुष्टी दिनांक 07.12.2016 की एम.आर. आई. से की गई'' आधार बताकर आवेदक से 81876/– रू. की मांग की थी। बिल की प्रति अनेक्चर पॉच है।
6. आवेदक ने उक्त बिल की राशि को अनावेदक के वरिष्ट अधिकारी, श्रीमान प्रबंधक महोदय के यहॉ चैलेन्ज किया था और इस संबंध में दिनांक 28.02.2017 नगदी 16380/– रू. का भुगतान किया था। बिल और भुगतान की प्रति छेः, सात है।
7. अनावेदक द्वारा आवेदक की ओर पत्र क्रमांक 368 दिनांक 21.07.2017 का भेजकर 65496/– रू. की शेष राशि की मांग की है। पत्र की प्रति अनेक्चर आठ है।
8. अनावेदक ने आवेदक की ओर पत्र क्रमांक 1204–1205 दिनांक 25.08.2017 का भेज कर विवादित राशि 81876/– रू. की शेष राशि रू. 65496/– का भुगतान 07 दिन के अन्दर करने का उल्लेख किया है। पत्र की प्रति अनेक्चर नौ है।
9. आवेदक ने विवादित राशि को नियमों के विपरित होने से एवं अधिक अवधि की ओके जाने से उक्त राशि की अवधि को चैलेन्ज कर उसे पुनः रिवाइज्ड किए जाने बावत् एक आपत्ति दिनांक 28.08.2017 को अनावेदक के कार्यालय में प्रस्तुत की थी। जिसकी प्रति अनेक्चर दस है।
10. अनावेदक ने उपरोक्त आपत्ति पर कोई उत्तर आज दिनांक तक जारी नही किया है और विवादित राशि की 'शेष राशि की मांग को लेकर आवेदक के कनेक्शन को विच्छेदित करने की धमकी दे रहा है जो विधि और नियम के विपरित है।
11. अनावेदक द्वारा आवेदक से मांग की जा रही विवादित राशि रू. 81876/– निम्नलिखित कारणों से विधिवत नही होकर निरस्त/रिवाइज्ड किए जाने योग्य हैः–

(ए) मीटर की खराबी के संबंध में अनावेदक ने कोई सूचना आवेदक को नही दी है न ही विवादित मीटर की जांच अनावेदक ने आवेदक की हाजरी में कराई है। इस लिए विवादित राशि निरस्त किए जाने योग्य है, कृपया संलग्न न्यायदृष्टान्त देखे जो अनेक्चर ग्यारह है।

(बी) विवादित मीटर की एम.आर.आई., अनावेदक ने मासिक समय–समय पर आवेदक की हाजरी में नही ली है न ही उक्त एम.आर.आई. रिडिंग की पुष्टि आवेदक के यहॉ स्थापित मीटर से समय–समय पर टैली/मिलान की है, इस आधार पर कथित एम.आर.आई. के आधार पर आवेदक से उक्त एम.आर.आई. के आधार पर विवादित मांग विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अनेक्चर 11 ए है।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

(सी) कथि एम.आर.आई. की प्रति मासिक अनावेदक ने आवेदक को नही दी है इस आधार पर भी विवादित मांग विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

(डी) कथित एम.आर.आई. की रिपोर्ट के आधार पर पिछले 31 माहों की राशि गलत मीटर लगाकर अनावेदक ने गलती की है क्योकि धारा 55 विद्युत अधिनियम 2003 के मुताबिक सही मीटर स्थापित करने के कानूनी जिम्मेदारी जवाबदारी अनावेदक की है, आवेदक की नही है। इस आधार पर भी विवादित मांग विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

(ई) अनावेदक द्वारा जो मासिक बिल आवेदक की ओर भेजा गया था उसका भुगतान आवेदक ने निर्धारित समय अवधि में किया है अनावेदक की पिछली कोई राशि आवेदक की ओर बकाया नही है। वास्ते प्रमाण बिल 'शीट देखे, जो संलग्न कर प्रस्तुत है। जो अनेक्चर 11 बी है।

(एफ)मीटरखराबी के प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली और माननीय उच्च न्यायलय जबलपुर, दिल्ली अलाहबाद ने केवल 06 माह की अवधि निर्धारित की है इस आधार पर उरोक्त न्यायदृष्टान्तो की रोशनी में 31 माह के स्थान पर केवल 06 माह की अवधि ऑकी जाकर उक्त राशि को रिवाइज्ड की जावे।

(जी) अनावेदकद्वारा आवेदक को विवादित अवधि जुलाई 14 से सितम्बर 2016 के मासिक बिल जारी किए गए है उक्त माह का बिल अनेक्चर अवधि के मासिक बिलों में अनावेदक ने मीटर किराया राशि भी प्राप्त की है। इस आधार पर विवादित माहों में आवेदक का मीटर सही था। कृपया म.प्र. विद्युत प्रदाया संहिता की कंडिका क्रं. 8.6 देखे, जिसके आधार पर अनावेदक ने मीटर का किराया आवेदक से मासिक बिलों में वसूल किया है इस आधार पर विवादित अवधि की राशि निरस्त कर रिवाइज्ड किए जाने योग्य है। कृपया उक्त नियम की प्रति देखे जो अनेक्चर 39 है।

(एच)अनावेदक आवेदक से दिनांक 16.06.2014 से 31.01.2015 तक की अवधि की राशि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के मुताबिक समय बाधित होने से एवं विधि विरूद्ध होने से वसूल नही कर सकता है क्योकिं उक्त अवधि में अनावेदक ने उक्त अवधि की राशि मासिक बिलों के द्वारा वसूल कर ली गई है।

(आई) किसी कारणवश यह माना जाता है कि अनावेदक आवेदक से मीटर की खराबी के आधार पर राशि प्राप्त करने का अधिकारी है तो ऐसी सूरत में अनावेदक आवेदक से शिकायत आवेदन पत्र की कंडिका क्र. 11 एफ के आधार पर विवादित राशि 31 माह के स्थान पर आवेदक 06 माह अवधि की राशि वसूल कर सकता है और 'शेष राशि उपरोक्त न्यायदृष्टान्तों की रोशनी में निरस्त की जावे।

श्री मान से निवेदन है कि उपरोक्त आधारो पर अनावेदकगण द्वारा आवेदक से मांग की जा रही विवादित राशि निरस्त/रिवाइज्ड किए जाने के आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपया करेगे एवं 31 माह के स्थान पर 06 माह की अवधि की राशि आवेदक से वसूल करने के अवश्यक निर्देश अनावेदक को देवे एवं आवेदक द्वारा भुगतान की गई राशि रू.

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

16380/– का समायोजन किए जाने के भी आदेश प्रदान करने की कृपा करेगे। तदानुसार आपकी सेवा में शिकायत पत्र सादर प्रस्तुत हे।

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि :–

1. आवेदक के यहॉ स्थापित मीटर क्रमांक MPE-28044, मेक सेम्स दि.04.07.2013 को प्रारंभिक रीडिंग 13269 पर स्थापित किया गया था। कंपनी द्वारा नये मीटर की जॉच कराकर ही उपभोक्ता के यहॉ मीटर लगाया जाता हैं। उक्त मीटर किसी खराबी के कारण दूसरे उपभोक्ता के यहॉ से नहीं निकाला गया था। उक्त मीटर को कार्यालय में जॉच कर ही आवेदक के यहॉ लगाया गया था। वर्तमान में भी यह मीटर आवेदक के यहॉ स्थापित हैं एवं आवेदक को आपत्ति नहीं हैं। अतः अनावेदक ने म.प्र. विद्युत सप्लाई कोड 2013 के नियम 8.14 एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 55 का पालन किया हैं।
2. कंपनी द्वारा नये मीटर को रीजनल मीटर टेस्टिंग लेब में जॉच कराने के उपरांत सही मीटर को वितरण केन्द्र के कार्यालयों में आवंटित किया जाता हैं, इसके पश्चात ही यह मीटर उपभोक्ताओं के यहॉ स्थापित किया जाता हैं।
3. अनावेदक ने आवेदक के यहॉ स्थापित मीटर की जॉच 22.10.2016 को आवेदक की उपस्थिति में की थीं, परन्तु मौके पर आवेदक को उनके मीटर पर आर फेस पर वोल्टेज शून्य मिलने की जानकारी देने के पश्चात आवेदक द्वारा मौके पर उपस्थित अधिकारियों से वाद–विवाद किया गया एवं मौके पर बनाये गये जॉच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किये गये।
4. आवेदक को माह जून 2014 से नवम्बर 2016 के मासिक विद्युत बिलों में कम राशि की बिलिंग की गई हैं। उक्त बिलों में इनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज, विद्युत ड्यूटी एवं अन्य चार्ज के साथ साथ मीटर किराया भी लिया जाता हैं। आवेदक से निर्धारित टैरिफ शेड्यूल के अनुसार मीटर किराये की राशि ली गई हैं। यदि आवेदक चाहे तो उनके दिये गये अतिरिक्त विद्युत देयक की राशि के भुगतान के पश्चात उक्त अवधि में मीटर द्वारा एक फेज की खपत दर्ज न होने के कारण मीटर किराया राशि को समायोजित कर दिया जावेगा। आवेदक के यहॉ स्थापित मीटर पर दिनांक 16.06.2014 से आर फेज पर वोल्टेज शून्य हो गया था, जिसको 18.11.2016 को ठीक कर दिया गया। इससे मीटर टेम्पर रिपोर्ट में 16.06.2014 का आर फेज का टेम्पर दिनांक 18.11.2016 को दोपहर के 12.57 पर रि–स्टोर वर्णित हैं। इससे पूर्व के सभी टेम्पर अपने आप रि–स्टोर हो गये थें एवं इन सभी टेम्पर से आवेदक की बिलिंग यूनिट में कोई अंतर नहीं था।
5. बी.आई.सेल होशंगाबाद द्वारा दिनांक 22.10.2016 को आवेदक की उपस्थिति में उनके परिसर का निरीक्षण किया गया था एवं उनके मीटर क्रमांक MPE-28044, पर आर फेस पर वोल्टेज शून्य दर्शाने की बात आवेदक को बताने के उपरांत आवेदक द्वारा जॉच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना किया गया था। बी.आई. सेल होशंगाबाद द्वारा उनके पत्र क्रमांक 84, दिनांक 16.12.2016 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें आवेदक के यहॉ स्थापित मीटर की

एम.आर.आई. के आधार पर यह पाया गया कि दिनांक 16.06.2014 से रीडिंग 26649 से दिनांक 18.11.2016 रीडिंग 50920 तक मीटर के द्वारा एक फेस खपत दर्ज नहीं की गई हैं। इस आधार पर बी.आई. सेल होशंगाबाद द्वारा एक फेस की खपत मीटर में दर्ज न होने के कारण रूपये 81876 राशि की बिलिंग की गई थीं।

6. आवेदक द्वारा अण्डरप्रोटेस्ट 20 प्रतिशत बिलिंग की राशि 16380 रूपये दिनांक 28.02.2017 को प्रबंधक(शहर) इटारसी के कार्यालय में जमा किया। इसमें आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार की लिखित आपत्ति बी.आई.सेल होशंगाबाद एवं प्रबंधक (शहर) के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।
7. आवेदक को विवादित अवधि (जून 2014 से नवम्बर 2016) में समस्त विद्युत बिल म.प्र. सप्लाई कोड के नियम 8.42 क तहत भेजे हैं। चूँकि उक्त अवधि पर
मीटर द्वारा केवल दो फेज की खपत की जा रही थीं। इस कारण उनको केवल दो फेस की खपत, जो कि मीटर पर दर्ज हुई थी, के अनुसार बिल दिया गया था। चूँकि उपभोक्ता द्वारा उक्त अवधि में वास्तविक में तीनों फेसों का उपयोग किया जा रहा था, इस कारण बी.आई. सेल द्वारा उनको एक फेस की खपत का बिल राशि रू. 81876/– दिया गया हैं, जो कि उचित हैं।
8. आवेदक के प्रकरण की बिलिंग विद्युत अधिनियम 2013 के नियम 10(2.2) नहीं की गई हैं। चूँकि उक्त प्रकरण विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 एवं 138 के अन्तर्गत नहीं आता हैं। आवेदक की बिलिंग विद्युत सप्लाई कोड 2013 की कण्डिका 8.35 (ब) एवं (स) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया गया हैं।
9. आवेदक द्वारा लगाये समस्त न्याय वृतांत विद्युत अधिनियम 1910 के तहत किये गये हैं। इसके पश्चात विद्युत अधिनियम 2003 लागू हो गया हैं, इसके संदर्भ में आपके कार्यालय का प्रकरण क्रमांक–C- 0038110 दिनांक 15.03.2010 के आदेश दिनांक 05.05.2010 को आवेदक श्री संदेश जैन पिता श्री सुदेश जैन, परिसर में ओसवाल उद्योग ग्राम रैसलपुर के निर्णय में भी जुलाई 2004 से अक्टूबर 2006 तक की अवधि के दौरान एक फेस (आर) की वांछित खपत के लिये समय समय पर लागू टैरिफ के अनुसार नया पूरक देयक वसूली गणना उपरांत तुरन्त जारी करने के आदेश दिये गये थें, सुलभ संदर्भ हेतु आदेश प्रति संलग्न हैं। साथ ही संदेश जैन द्वारा रिड्रेसल फोरम में लगाया गया था, जिसका निर्णय भी कंपनी के हित में जारी किया गया हैं। केस नं. 00/7710 दिनांक 14.12.210 भी संलग्न हैं। इसके साथ साथ माननीय शिकायत निवारण फोरम भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक BT-09 /2017 दिनांक 03.07.2017 में आदेश दिनांक 25.09.2017 में आवेदक श्री जितेन्द्र गुप्ता पिता श्री नेमीचंद गुप्ता मेसर्स रवि ट्रेडर्स खेड़ा इटारसी के निर्णय में भी जुलाई 2014 से सितम्बर 2016 तक की अवधि के दौरान दो फेस की वांछित खपत के लिये समय समय पर लागू टैरिफ के अनुसार नया पूरक देयक वसूली हेतु गणना के उपरांत तुरंत जारी करने के आदेश दिये गये थें, सुलभ संदर्भ हेतु आदेश प्रति संलग्न हैं।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

10. आवेदक के परिसर में मीटर की एम.आर.आई. की जाकर ही बिलिंग की गई हैं, जो विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार पूर्ण सही हैं।
11. आवेदक द्वारा जून 2014 से नवम्बर 2016 तक की अवधि का विद्युत बिल सिर्फ दो फेस की खपत का दिया गया हैं। उसी राशि के विद्युत बिल का भुगतान आवेदक द्वारा किया गया हैं। जबकि आवेदक के परिसर में स्थापित तीन फेस मीटर हैं, जिसमें शेष एक फेस की मीटर रीडिंग का आंकलन एम.आर.आई. द्वारा किया जाकर ही बिल जारी किया गया हैं। दिये बिल में आवेदक द्वारा भुगतान की गई राशि कम कर दी गई हैं। अतः शेष राशि भुगतान योग्य सहीं हैं।
12. आवेदक द्वारा दिये गये न्याय दृष्टांत माननीय उच्चतम न्यायालय, दिल्ली म.प्र. एवं इलाहाबाद के निर्णय मान्य योग्य नहीं हैं, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये सभी निर्णय विद्युत अधिनियम 1910 के तहत दिये गये हैं, जो कि अब प्रचलन में नहीं हें। वर्तमान में विद्युत अधिनियम 2003 प्रचलन में हैं। इसी आधार पर आवेदक की बिलिंग राशि की गणना विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के नियम 8.35 (बी) एवं (सी) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार की गई हैं।

अतिरिक्त कथन

विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की धारा 10(2.2) के अन्तर्गत धारा 126/138/135 के वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत बिलिंग की जाती हैं। चूँकि उक्त प्रकरण विद्युत अधिनियम की धारा से संबंधित नहीं हैं, जबकि वास्तविक तथ्य यह हैं कि उनके परिसर में स्थापित मीटर दिनांक 16.06.2014 रीडिंग 26649 से दिनांक 18.11.2016 रीडिंग 50920 तक मीटर के आर.फेस के पी.टी. वायर अंदर से जल जाने के कारण मीटर को आर.फेस पर वोल्टेज आवेदक के यहॉ स्थापित केवल (सर्विस लाईन) से नहीं मिल पा रहा था। इस कारण मीटर आर.फेस की खपत दर्ज नहीं कर रहा था। बल्कि उपभोक्ता द्वारा इस अवधि पर तीनों फेस का उपयोग किया जा रहा था। उक्त अवधि में मीटर केवल 2 फेस की खपत

यूनिट 24271 दर्ज किया था। अतः 1 फेस की खपत (24271/2)= 12135 यूनिट की बिलिंग राशि रूपये 81876 उचित हैं एवं आवेदक से वसूली योग्य हैं। दिनांक 18.11.2016 को आर फेस के पी.टी. वाय को बदल कर मीटर के तीनों फेस चालू कर दिये गये हैं एवं वर्तमान में यही मीटर आवेदक के यहॉ स्थापित हैं, जिसमें आवेदक को कोई आपत्ति नहीं हैं। अतः आवेदक द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका 8.14 एवं विद्युत अधिनियम 2003 के नियम 55 का पालन किया गया हैं। आवेदक को माह जून 2014 में 1336, जुलाई 2014 में 1054, अगस्त 2014 में 1284, सितम्बर 2014 में 1554, अक्टूबर 2014 में 1210 के बिल जारी किये गये थें। अतः उनकी एक माह की औसत खपत लगभग 1261 यूनिट आ रही हैं। परंतु इसी मीटर में वर्ष 2013 के माह जून में 2420, जुलाई में 3025, अगस्त में 3552, सितम्बर में 2830, अक्टूबर में 1090, नवम्बर में 694 यूनिट के बिल जारी हुए थें। जिसकी औसत खपत 2268 यूनिट आ रही हैं। एवं वर्तमान 2017 वर्ष के माह जून में 2032, जुलाई

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

में 2716, अगस्त में 2818, सितम्बर में 2344, यूनिट के बिल जारी हुए। इनकी औसत खपत लगभग 2477 यूनिट हैं। इससे यह सिद्ध होता हैं कि आवेदक को जून 2014 से नवम्बर 2016 तक कम यूनिट खपत का बिल दिया गया था, जिसका उनके द्वारा भुगतान किया गया था। चूँकि उक्त अवधि में आवेदक द्वारा तीनों फेस का उपयोग किया गया हैं। इस कारण जून 2014 से नवम्बर 2016 तक की अवधि में मीटर द्वारा एक फेस दर्ज न होने के कारण एक फेस की अतिरिक्त बिलिंग राशि रूपये 81876/– सही हैं एवं वसूली योग्य हैं।

5. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

प्रकरण में फोरम द्वारा सुनवाई हेतु नियत दिनांक 06.10.2017 को आवेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नही हुआ।

अनावेदक की ओर से उपस्थित श्री डेलन पटेल, सहायक यंत्री (शहर) इटारसी द्वारा प्रकरण में कथन किया कि आवेदक का एक विद्युत कनेक्शन सर्विस क्रमांक 0306550000 स्वीकृत भार 30 एच.पी. इटारसी शहर में हैं, दिनांक 22.10.2016 को बी.आई. सेल होशंगाबाद द्वारा आवेदक के परिसर पर स्थापित मीटर क्रमांक MPE 28044 का निरीक्षण किया गया, जिसमें मीटर के आर–फेस पर वोल्टेज शून्य पाया गया एवं उनके द्वारा मीटर की MRI भी की गई। इसकी सूचना मौके पर उपस्थित आवेदक को दी गई। जिस पर आवेदक द्वारा वाद–विवाद किया गया। वाद–विवाद होने के कारण मौके पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा मीटर के आर–फेस के पी.टी. वायर को ठीक नहीं किया गया। बाद में दिनांक 18.11.2016 को मीटर के आर–फेस के पी.टी. वायर को ठीक कर मीटर के तीनों फेस चालू किये गये। जिसकी पुष्टि बी.आई. सेल द्वारा दिनांक 07.12.2016 को की गई MRI से की गई। मीटर की MRI से यह पाया गया कि आवेदक का मीटर एक फेस पर दिनांक 16.06.2014 से रीडिंग 26649 से दिनांक 18.11.2016 की रीडिंग 50920 तक एक फेस की खपत दर्ज नहीं कर रहा हैं। इस कारण बी.आई. सेल होशंगाबाद द्वारा उनके पत्र क्रमांक 84, दिनांक 16.12.16 के माध्यम से आवेदक को एक फेस की खपत की यूनिट लगभग 12135 यूनिट की राशि रूपये 81876/– का बिल जारी करने के निर्देश दिये गये। इसके पश्चात अनावेदक द्वारा आवेदक को राशि रूपये 81876/– का बिल जारी किया गया। इसके पश्चात आवेदक द्वारा दिनांक 28.02.2017 को Under Protest 20% राशि रूपये 16380/– कार्यालय में जमा की। आवेदक द्वारा राशि जमा करने के उपरांत दिनांक 20.03.2017 को वृत्त स्तरीय कमेठी द्वारा आवेदक को की गई बिलिंग को सही माना गया हैं एवं आवेदक से शेष बची राशि रूपये 65496/– जमा करने हेतु निर्देश दिये गये थें। चूँकि MRI रिपोर्ट से यह सिद्ध होता हैं कि आवेदक के यहॉ स्थापित मीटर पर एक फेस लगभग 29 माह से रिकार्ड नहीं हो रहा हैं। परन्तु आवेदक द्वारा लगातार तीनों फेस का उपयोग किया जा रहा हैं। इस कारण आवेदक को दिये गये बिल राशि रूपये 81876/– उचित हैं एवं वसूली योग्य हैं।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

वर्तमान में आवेदक की वर्ष 2017 के माह जून, जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर की एक माह की औसत खपत लगभग 2477 यूनिट आ रही हैं, परन्तु विवादित अवधि में वर्ष 2014 के माह जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, एवं अक्टूबर की एक माह की औसत खपत लगभग 1261 यूनिट आ रही हैं। इससे यह सिद्ध होता हैं कि आवेदक द्वारा विद्युत का उपयोग किया गया हैं एवं मीटर में एक फेस की खपत कम दर्ज होने के कारण आवेदक को जून 2014 से नवम्बर 2016 तक कम यूनिट के बिल जारी हुए हैं, जिसका आवेदक द्वारा भुगतान किया गया हैं। शेष बची एक फेस की खपत 12135 यूनिट की बिल राशि 81876/– आवेदक को भुगतान किया जाना हैं।

आवेदक के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण में सुनवाई हेतु 30.10.2017 नियत की गयी तथा आवेदक को पेशी की लिखित सूचना प्रेषित की गयी।

प्रकरण में फोरम द्वारा सुनवाई हेतु नियत की गयी तिथि दिनांक 30.10.2017 के पूर्व आवेदक की ओर से उनके अधिवक्ता श्री बी.एच.अंसारी द्वारा दिनांक 28.10.2017 को फोरम के कार्यालय में अपनी लिखित बहस जमा की गयी। जिसे प्रकरण की सुनवाई हेतु नियत दिनांक 30.10.2017 को फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर रिकार्ड पर लिया गया तथा जिसकी एक प्रति अनावेदक को प्रदान की गयी। आवेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस निम्नानुसार हैः–

1. जवाबदावे की कंडिका क्र. 4 में आवेदक के यहॉ स्थापित मीटर क्रमांक एम.पी.ई 28044 दिनांक 04.07.2013 को रीडिंग 13269 पर स्थापित किया गया था 'उक्त मीटर नया और टेस्टेड मीटर नही थाा किसी अन्य उपभोक्ता के यहॉ से निकाला हुआ था।

   अनावेदक ने म.प्र. विद्युत सप्लाए कोड के नियम 8.14 के मुताबिक उपभोक्ता के यहॉ मीटर स्थापित करने के पूर्व उक्त नियम का पालन नही किया है विवादित मीटर किसी दूसरे उपभोक्ता के यहॉ स्थापित होने के बाद खराब पर निकाला जाकर आवेदक के संस्थान में सही मीटर विद्युत अधिनियम की धारा 55 के मुताबिक स्थापित नही किया गया था, इसलिए आवेदक से मांग की जा रही विवादित राशि निरस्त किए जाने योग्य है।
2. अनावेदक ने जवाब की कंडिका क्र. 4 में विद्युत सप्लाए कोड के नियम 8.14 का पालन किया जाने क उल्लेख किया है, परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी प्रणाम उनके द्वारा माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है न ही उसकी कोई प्रति अनावेदक ने आवेदक को दी है।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

3. अनावेदक ने आवेदक के विवादित मीटर के टेस्टींग आवेदक की गैर हाजरी में दिनांक 22.10.2016 को की है इस आधार पर विवादित टेस्टींग आवेदक पर बंधनकारक नही है। कृपया संलग्न न्यायदृष्टांत देखने का कष्ट करे।
4. अनावेदक ने आवेदक के यहॉ दिनांक 04.07.2013 को स्थापित मीटर को विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के नियम 8.15 के मुताबिक टेस्टिंग नही की है इसलिए विवादित राशि निरस्त किए जाने योग्य है।
5. अनावेदक ने आवेदक से जून 2014 से नवम्बर 2016 तक की समस्त अवधि के मासिक बिलों में इन्र्जी चार्ज, फिक्स चार्ज, इलेक्ट्रीसिटी ड्युटी चार्ज एवं अन्य चार्ज की राशि के साथ मीटर किराया की राशि भी वसूल की है इस आधार विवादित अवधि में मीटर खराब हो नही सकता है क्योकि मीटर खराब होने पर अनावेदक, आवेदक से मीटर का किराया विद्युत सप्लाए संहिता के नियम 8.6 के मुताबिक मीटर किराया वसूल नही कर सकता है।
6. म.प्र. विद्युत सप्लाए कोड के नियम 8.15 के मुताबिक अनावेदक ने आवेदक के मीटर की निर्धारित समय अवधि में मीटर की टेस्टिंग नही की है। जो सेवा में कमी है, जैसा कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत कियुमिलीट टेम्पर टेस्ट रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2010 में तीन बार, वर्ष 2011 में एक बार, वर्ष 2013 में दो बार, वर्ष 2014 में दो बार, वर्ष 2015 में कोई टेस्टींग नही हुई है, और वर्ष 2016 में एक बार टेस्टींग की गई है।
7. अनावेदक ने जवाब की कंडिका क्र. 5 में विवादित मीटर की टेस्टींग रिपोर्ट दिनांक 16.12.2016 को पेश की जाना बताई है परन्तु उक्त दिनांक की कोई रिपोर्ट फोरम के रिकार्ड पर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत नही है। इस आधार पर विवादित राशि निरस्त किए जाने योग्य है।
8. आवेदक चैकिंग रिपोर्ट दिनांक 22.10.2016 को चैलेन्ज करता है, क्योकि उक्त रिपोर्ट पर आवेदक ने कोई हस्ताक्षर नही किए है न ही उक्त दिनांक को कोई चैकिंग स्वतंत्र रिपोर्ट साक्षियो की हाजरी में की गई है इस आधार पर चैकिंग रिपोर्ट के आधार पर मांग की जा रही विवादित राशि निरस्त किए जाने योग्य है।
9. अनावेदक ने जवाब की कंडिका क्र. 9 में आवेदक के कथन की पुष्टी की है अर्थात अनावेदक ने विवादित राशि नियमों के विपरित होने से एवं अधिक अवधि की आंकी है का समर्थन किया है।
10. अनावेदक के वरिष्ट कार्यालय की टीप दिनांक 20.03.2017 के अवलोकन से श्रीमान फोरम यह पाएगे की अनावेदक के उक्त कार्यालय द्वारा आवेदक के नेचरल जस्टिस के आधार पर कोई अवसर प्रदान नही किया गया है न ही सूचना देकर उसे अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है इस लिए उक्त कार्यवाही विधि के विरूद्ध होने से स्वीकार किए जाने योग्य नही है।
11. आवेदक के परिसर का कथित निरीक्षण दिनांक 22.10.2016 शंकास्पद है क्योकि उक्त दिनांक की राइटिंग ओवर राइटिंग है आवेदक या अन्य दो स्वतंत्र साक्षी का अभाव है।
12. म.प्र. विद्युत सप्लाए कोड के नियम 8.24 के मुताबिक अनावेदक को मासिक बिल जारी करना है।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

13. अनावेदक द्वारा विवादित अवधि (जून 2014 से नवम्बर 2016) के समस्त बिल म.प्र. सप्लाए कोड के नियम 8.42 के तहत भेजे गए थे, जिसका भुगतान आवेदक ने निर्धारित समय अवधि में किया है और आवेदक की ओर अनावेदक की कोई राशि बकाया नही है क्योकि यदि आवेदक की ओर अनावेदक की कोई राशि बकाया रहती है तो अनावेदक आवेदक के मासिक बिल में उक्त नियम 8.42 के तहत जारी करता। परन्तु अनावेदक की ओर कोई बिल पुरानी बकाया राशि जोडकर नही भेजी है। इस आधार पर भी विवादित राशि निरस्त की जावे।

14. अनावेदक ने जवाब के अतिरिक्त कथन में विवादित राशि को ऑकने का आधार, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 10 (2.2) के अंतर्गत होना बताई है जबकि उक्त संहिता 2003 की कोई अस्तित्व में नही है इस आधार पर विवादित राशि निरस्त की जावे।
15. अनावेदक के अनुसार मीटर की सी.टी. (करंट ट्रांसफार्मर) खराब होने से मीटर सही रीडिंग नही दर्शा रहा था इस संबंध में आवेदक का यह कथन है कि विद्युत अधिनियम की धारा 55 के मुताबिक, लायसेंसी की यह कानूनी जिम्मेदारी जवाबदारी है कि उपभोक्ता के यहॉ स्थापित मीटर को सही रूप से स्थापित रखे (मीटर के अंतर्गत सी.टी. भी मीटर का एक आवश्यक अंग है) और सी.टी. को भी मीटर का पार्ट और मीटर माना गया है। कृपया संलग्न न्यायदुष्टान्त देखे।
    1. ए.आई.आर. 2001 मुम्बई 240 पेज नं.
    2. ए.आई.आर. 2010 पी. एन्ड एच. पेज नं. 22
    3. ए.आई.आर. 1998 उच्चतम न्यायालय पेज नं. 597
    4. ए.आई.आर. 2003 सुपरिम कोर्ट पेज नं. 1581
    5. ए.आई.आर. 2009 ..... पेज नं. 155
    6. ए.आई.आर. 1987 दिल्ली पेज नं. 219
    7. 205 (2) .....934 पेज नं. 12
    8. ए.आई.आर. 2000 पेज नं. 271
16. वर्ष 2014 की एम.आर.आई. की रीडिंग की सत्यता का सत्यापन अनावेदक ने उक्त अवधि में उपभोक्ता के यहॉ स्थापित मीटर की रीडिंग से नही किया है इस लिए कथित एम.आर.आई. रीडिंग वास्तविकता से परे होने से निरस्त किए जाने योग्य है। इस तथ्य के प्रमाण में आवेदक आर.के. वर्मा साहब का एक प्रिफेस पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करता है।
17. अनावेदक ने जून 2014 से नवम्बर 2016 तक की अवधि की देयक राशि, खपत अनुसार मासिक बिलों में आवेदक से वसूल कर लिए है इस आधार पर पुनः उसी अवधि की राशि मीटर की कथित खराबी बताकर या कथित एम.आई.आर. की रिपोर्ट के आधार पर नही की जा सकती है यह बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निम्नलिखित न्यायदृष्टान्त में कही है जिसकी प्रति संलग्न कर प्रस्तुत है।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

बम्बई विद्युत आपूर्ति बनाम लाफांस इंडिया प्रा.लि. पेज नं. 934 देखने का कष्ट करे। इसी एक मात्र आधार पर मांग की जा रही विवादित राशि निरस्त की जावे।

18. माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली और माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली, म.प्र. और इलाहबाद ने भी मीटर खराबी के प्रकरण में केवल 6 माह की अवधि को विधिवत माना है। इस आधार पर 27 माहों के स्थान पर विवादित राशि केवल 6 माह की राशि अनावेदक, आवेदक से वसूल कर सकता है एवं अधिक माहों की राशि को निरस्त किया जावे एंव अधिक भरी गई राशि को आवेदक को लौटाने के आवश्यक आदेश अनावेदक को जारी करने की कृपा की जावे।
19. म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के नियम 8.15 मे सी.टी. को भी मीटर माना गया है और मीटर के साथ उसको टेस्टींग करने का उल्लेख किया है। कृपया बहस की कंडिका क्र. 5 देखने का कष्ट करे।
20. प्रत्येक श्रेणी के विद्युत देयक म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के नियमों 8.24 के मुताबिक दी गई तालिका के अनुसार जारी किए जाएगे एवं आवेदक के कनेक्शन की श्रेणी के देयक को प्रत्येक माह में जारी किए जाने का उल्लेख है। इस आधार पर माह जून 2014 से नवम्बर 2016 तक के समस्त मासिक देयक अनावेदक ने खपत अनुसार आवेदक की और जारी किए है उक्त समस्त देयको में अनावेदक ने आवेदक से इन्र्जी चार्ज, फिक्स चार्ज, इलेक्ट्रीसिटी डियुटी सेस चार्जेस के साथ–साथ विद्युत प्रदाया संहिता के नियम 8.6 के अनुसार मीटर किराया राशि भी वसूल किया है इस नियम के अनुसार यदि अनावेदक ने आवेदक से मीटर किराया वसूल कर किया है तब यह प्रमाणित माना जाावेगा। कि उक्त अवधि में मीटर सुचारू रूप से कार्य कर रहा था और उक्त अवधि में मीटर सही था मीटर का किराया वसूल करने के बाद दोबारा किसी भी प्रकार का कारण उक्त मीटर को खराब/बंद नही कहा जा सकता है। क्योकिं यदि मीटर खराब/बंद पाया जाता है तो अनावेदक की यह कानूनी जिम्मेदारी जवाबदारी बनती है कि वह मीटर को उसी समय उसी महीने परिवर्तन करे और उस माह में मीटर खराब होने पर मीटर का किराया वसूल न करे और देयक में मीटर किराए का इन्द्राज न करे।

अतः उपरोक्त उच्चतम, उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टान्तों, विद्युत अधिनियम की धाराओं एवं विद्युत प्रदाय संहित 2013 के नियमों की रोशनी में अनावेदक द्वारा मांग की जा रही राशि निरस्त की जाकर आवेदक द्वारा भुगतान की गई राशि रू.16380/– का ब्याज सहित लौटाने के आवश्यक निर्देश अनावेदक को जारी करने की कृपा की जावे एवं इस शिकायत के खर्च के रूप में राशि रू.10,000/– भी आवेदक को अनावेदक से दिलाया जावे। तदानुसार आपकी सेवा में लिखित बहस सादर प्रस्तुत है।

अनावेदक की ओर से उपस्थित श्री डेलन पटेल, सहायक यंत्री (शहर) इटारसी द्वारा प्रकरण में कथन किया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज(लिखित बहस) का अवलोकन कर

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की गई, जिसे फोरम द्वारा स्वीकार करते हुए अनावेदक को निर्देशित किया कि दिनांक 03.11.2017 को फोरम के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करें।

फोरम द्वारा सुनवाई हेतु नियत दिनांक 03.11.2017 को आवेदक की ओर से कोई भी उपस्थिति नही हुआ।

अनावेदक की ओर से उपस्थित श्री डेलन पटेल सहायक यंत्री (शहर) इटारसी द्वारा प्रकरण में कथन किया गया किः–

1. आवेदक के यहॉ स्थापित मीटर क्रमांक MPE-28044, मेक सेम्स दि.04.07.2013 को प्रारंभिक रीडिंग 13269 पर स्थापित किया गया था। कंपनी द्वारा नये मीटर की जॉच कराकर ही उपभोक्ता के यहॉ मीटर लगाया जाता हैं। उक्त मीटर किसी खराबी के कारण दूसरे उपभोक्ता के यहॉ से नहीं निकाला गया था। उक्त मीटर को कार्यालय में जॉच कर ही आवेदक के यहॉ लगाया गया था। वर्तमान में भी यह मीटर आवेदक के यहॉ स्थापित हैं एवं आवेदक को आपत्ति नहीं हैं। अतः अनावेदक ने म.प्र. विद्युत सप्लाई कोड 2013 के नियम 8.14 एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 55 का पालन किया हैं।

2. कंपनी द्वारा नये मीटर को रीजनल मीटर टेस्टिंग लेब में जॉच कराने के उपरांत सही मीटर को वितरण केन्द्र के कार्यालयों में आवंटित किया जाता हैं, इसके पश्चात ही यह मीटर उपभोक्ताओं के यहॉ स्थापित किया जाता हैं।
3. अनावेदक ने आवेदक के यहॉ स्थापित मीटर की जॉच 22.10.2016 को आवेदक की उपस्थिति में की थीं, परन्तु मौके पर आवेदक को उनके मीटर पर आर फेस पर वोल्टेज शून्य मिलने की जानकारी देने के पश्चात आवेदक द्वारा मौके पर उपस्थित अधिकारियों से वाद–विवाद किया गया एवं मौके पर बनाये गये जॉच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किये गये।
4. आवेदक को माह जून 2014 से नवम्बर 2016 के मासिक विद्युत बिलों में कम राशि की बिलिंग की गई हैं। उक्त बिलों में इनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज, विद्युत ड्यूटी एवं अन्य चार्ज के साथ साथ मीटर किराया भी लिया जाता हैं। आवेदक से निर्धारित टैरिफ शेड्यूल के अनुसार मीटर किराये की राशि ली गई हैं। यदि आवेदक चाहे तो उनके दिये गये अतिरिक्त विद्युत देयक की राशि के भुगतान के पश्चात उक्त अवधि में मीटर द्वारा एक फेज की खपत दर्ज न होने के कारण मीटर किराया राशि को समायोजित कर दिया जावेगा। आवेदक के यहॉ स्थापित मीटर पर दिनांक 16.06.2014 से आर फेज पर वोल्टेज शून्य हो गया था, जिसको 18.11.2016 को ठीक कर दिया गया। इससे मीटर टेम्पर रिपोर्ट में 16.06.2014 का आर फेज का टेम्पर दिनांक 18.11.2016 को दोपहर के 12.57 पर रि–स्टोर वर्णित हैं। इससे पूर्व के सभी टेम्पर अपने आप रि–स्टोर हो गये थें एवं इन सभी टेम्पर से आवेदक की बिलिंग यूनिट में कोई अंतर नहीं था।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

5. बी.आई.सेल होशंगाबाद द्वारा दिनांक 22.10.2016 को आवेदक की उपस्थिति में उनके परिसर का निरीक्षण किया गया था एवं उनके मीटर क्रमांक MPE-28044, पर आर फेस पर वोल्टेज शून्य दर्शाने की बात आवेदक को बताने के उपरांत आवेदक द्वारा जॉच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना किया गया था। बी.आई. सेल होशंगाबाद द्वारा उनके पत्र क्रमांक 84, दिनांक 16.12.2016 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें आवेदक के यहॉ स्थापित मीटर की एम.आर.आई. के आधार पर यह पाया गया कि दिनांक 16.06.2014 से रीडिंग 26649 से दिनांक 18.11.2016 रीडिंग 50920 तक मीटर के द्वारा एक फेस खपत दर्ज नहीं की गई हैं। इस आधार पर बी.आई. सेल होशंगाबाद द्वारा एक फेस की खपत मीटर में दर्ज न होने के कारण रूपये 81876 राशि की बिलिंग की गई थीं।
6. आवेदक द्वारा अण्डरप्रोटेस्ट 20 प्रतिशत बिलिंग की राशि 16380 रूपये दिनांक 28.02.2017 को प्रबंधक(शहर) इटारसी के कार्यालय में जमा किया। इसमें आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार की लिखित आपत्ति बी.आई.सेल होशंगाबाद एवं प्रबंधक (शहर) के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।
7. आवेदक को विवादित अवधि (जून 2014 से नवम्बर 2016) में समस्त विद्युत बिल म.प्र. सप्लाई कोड के नियम 8.42 के तहत भेजे हैं। चूॅकि उक्त अवधि में मीटर द्वारा केवल दो फेज की खपत की जा रही थीं। इस कारण उनको केवल दो फेस की खपत, जो कि मीटर पर दर्ज हुई थी, के अनुसार बिल दिया गया था। चूॅकि उपभोक्ता द्वारा उक्त अवधि में वास्तविक में तीनों फेसों का उपयोग किया जा रहा था, इस कारण बी.आई.सेल द्वारा उनको एक फेस की खपत का बिल राशि रू. 81876/– दिया गया हैं, जो कि उचित हैं।
8. आवेदक के प्रकरण की बिलिंग विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के नियम 10(2.2) से नहीं की गई हैं। चूॅकि उक्त प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के अन्तर्गत नहीं आता हैं। आवेदक की बिलिंग विद्युत सप्लाई कोड 2013 की कण्डिका 8.35 (ब) एवं (स) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया गया हैं।
9. आवेदक द्वारा लगाये समस्त न्याय वृतांत विद्युत अधिनियम 1910 के तहत किये गये हैं। इसके पश्चात विद्युत अधिनियम 2003 लागू हो गया हैं, इसके संदर्भ में आपके कार्यालय का प्रकरण क्रमांक–C- 0038110 दिनांक 15.03.2010 के आदेश दिनांक 05.05.2010 को आवेदक श्री संदेश जैन पिता श्री सुदेश जैन, परिसर में ओसवाल उद्योग ग्राम रैसलपुर के निर्णय में भी जुलाई 2004 से अक्टूबर 2006 तक की अवधि के दौरान एक फेस (आर) की वांछित खपत के लिये समय समय पर लागू टैरिफ के अनुसार नया पूरक देयक वसूली गणना उपरांत तुरन्त जारी करने के आदेश दिये गये थें, सुलभ संदर्भ हेतु आदेश प्रति संलग्न हैं। साथ ही संदेश जैन द्वारा रिड्रेसल फोरम में लगाया गया था, जिसका निर्णय भी कंपनी के हित में जारी किया गया हैं। केस नं. 00/7710 दिनांक 14.12.210 भी संलग्न हैं।इसके साथ साथ माननीय शिकायत निवारण फोरम भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक BT-09 /2017दिनांक 03. 07.2017 में आदेश दिनांक 25.09.2017 में आवेदक श्री जितेन्द्र गुप्ता पिता श्री

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

नेमीचंद गुप्ता मेसर्स रवि ट्रेडर्स खेड़ा इटारसी के निर्णय में भी जुलाई 2014 से सितम्बर 2016 तक की अवधि के दौरान दो फेस की वांछित खपत के लिये समय समय पर लागू टैरिफ के अनुसार नया पूरक देयक वसूली हेतु गणना के उपरांत तुरंत जारी करने के आदेश दिये गये थें, सुलभ संदर्भ हेतु आदेश प्रति संलग्न हैं।

10. आवेदक के परिसर में मीटर की एम.आर.आई. की जाकर ही बिलिंग की गई हैं, जो विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार पूर्ण सही हैं।
11. आवेदक द्वारा जून 2014 से नवम्बर 2016 तक की अवधि का विद्युत बिल सिर्फ दो फेस की खपत का दिया गया हैं। उसी राशि के विद्युत बिल का भुगतान आवेदक द्वारा किया गया हैं। जबकि आवेदक के परिसर में स्थापित तीन फेस मीटर हैं, जिसमें शेष एक फेस की मीटर रीडिंग का आंकलन एम.आर.आई. द्वारा किया जाकर ही बिल जारी किया गया हैं। दिये बिल में आवेदक द्वारा भुगतान की गई राशि कम कर दी गई हैं। अतः शेष राशि भुगतान योग्य सहीं हैं।
12. आवेदक द्वारा दिये गये न्याय दृष्टांत माननीय उच्चतम न्यायालय, दिल्ली म.प्र. एवं इलाहाबाद के निर्णय मान्य योग्य नहीं हैं, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये सभी निर्णय विद्युत अधिनियम 1910 के तहत दिये गये हैं, जो कि अब प्रचलन में नहीं हें। वर्तमान में विद्युत अधिनियम 2003 प्रचलन में हैं। इसी आधार पर आवेदक की बिलिंग राशि की गणना विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के नियम 8.35 (बी) एवं (सी) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार की गई हैं।

अतिरिक्त कथन :–विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की धारा 10(2.2) के अन्तर्गत धारा 126/138/135 के वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत बिलिंग की जाती हैं। चूँकि उक्त प्रकरण विद्युत अधिनियम की धारा से संबंधित नहीं हैं, जबकि वास्तविक तथ्य यह हैं कि उनके परिसर में स्थापित मीटर दिनांक 16.06.2014 रीडिंग 26649 से दिनांक 18.11.2016 रीडिंग 50920 तक मीटर के आर.फेस के पी.टी. वायर अंदर से जल जाने के कारण मीटर को आर. फेस पर वोल्टेज आवेदक के यहॉ स्थापित केवल (सर्विस लाईन) से नहीं मिल पा रहा था। इस कारण मीटर आर.फेस की खपत दर्ज नहीं कर रहा था। बल्कि उपभोक्ता द्वारा इस अवधि पर तीनों फेस का उपयोग किया जा रहा था। उक्त अवधि में मीटर केवल 2 फेस की खपत यूनिट 24271 दर्ज किया था। अतः 1 फेस की खपत (24271/2)= 12135 यूनिट की बिलिंग राशि रूपये 81876 उचित हैं एवं आवेदक से वसूली योग्य हैं। दिनांक 18.11.2016 को आर फेस के पी.टी. वाय को बदल कर मीटर के तीनों फेस चालू कर दिये गये हैं एवं वर्तमान में यही मीटर आवेदक के यहॉ स्थापित हैं, जिसमें आवेदक को कोई आपत्ति नहीं हैं। अतः अनावेदक द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका 8.14 एवं विद्युत अधिनियम 2003 के नियम 55 का पालन किया गया हैं। आवेदक को माह जून 2014 में 1336, जुलाई 2014 में 1054, अगस्त 2014 में 1284, सितम्बर 2014 में 1554, अक्टूबर 2014 में 1210 के बिल जारी किये गये थें। अतः उनकी एक माह की औसत खपत लगभग 1261 यूनिट आ रही हैं।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

परंतु इसी मीटर में वर्ष 2013 के माह जून में 2420, जुलाई में 3025, अगस्त में 3552, सितम्बर में 2830, अक्टूबर में 1090, नवम्बर में 694 यूनिट के बिल जारी हुए थें। जिसकी औसत खपत 2268 यूनिट आ रही हैं। एवं वर्तमान 2017 वर्ष के माह जून में 2032, जुलाई में 2716, अगस्त में 2818, सितम्बर में 2344, यूनिट के बिल जारी हुए। इनकी औसत खपत लगभग 2477 यूनिट हैं। इससे यह सिद्ध होता हैं कि आवेदक को जून 2014 से नवम्बर 2016 तक कम यूनिट खपत का बिल दिया गया था, जिसका उनके द्वारा भुगतान किया गया था। चूँकि उक्त अवधि में आवेदक द्वारा तीनों फेस का उपयोग किया गया हैं। इस कारण जून 2014 से नवम्बर 2016 तक की अवधि में मीटर द्वारा एक फेस दर्ज न होने के कारण एक फेस की अतिरिक्त बिलिंग राशि रूपये 81876/– सही हैं एवं वसूली योग्य हैं।

आवेदक श्री गोपीकिशन मालवीय की ओर से लिखित शिकायत प्राप्त होने पर फोरम द्वारा आवेदक को अनेकों बार लिखित में सूचना भेजकर फोरम के समक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु लेख किया गया, परंतु फोरम द्वारा प्रकरण में नियत की गयी किसी भी सुनवाई में आवेदक या उनका प्रतिनिधि कोई भी फोरम के समक्ष में उपस्थित नही हुआ। आवेदक का यह कृत्य विनियम 2009 के विपरीत है, जबकि म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचना दिनांक 28 अगस्त 2009 के माध्यम से जारी म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतो के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 3.25 (ग) में स्पष्ट प्रावधान हैः– 3.25 (ग) जहां शिकायतकर्ता फोरम के समक्ष सुनवाई की दिनांक को उपस्थित रहने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में फोरम या तो शिकायत को अनुपस्थिति–दोष के लिये खारिज कर सकेगा या इसे गुण–दोष के आधार पर निश्चित कर सकेगा।

प्रकरण में उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों और सुनवाई में अनावेदक द्वारा किये गये कथनों के आधार पर निम्न विचारणीय बिन्दु फोरम के समक्ष परिलक्षित हुये।

1. क्या उपभोक्ता को प्रदाय किया गया अतिरिक्त बिल विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के अनुसार अवधि बांधित है ?
2. क्या उक्त बिल/मांग राशि उपभोक्ता से वसूली योग्य है ?

प्रकरण में किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले यह आवश्यक होगा कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) का अवलोकन किया जायें, जो कि निम्नानुसार हैं।

धारा 56 (2) –"तत्समय प्रवृत् किसी अन्य कानून में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन किसी उपभोक्ता से शोध्य (due) (वसूली योग्य) कोई रकम उस तारीख से जब ऐसी रकम प्रथमतः (became first due) शोध्य हो गई है दो वर्ष की कालावधि के पश्चात वसूल किये जाने योग्य नहीं होगी। जब तक ऐसी रकम सप्लाई की गई विद्युत के बकाया चार्जेज के रूप में वसूली योग्य निरन्तर न दर्शायी गयी हों और लायसेंसी विद्युत की सप्लाई नहीं करेगा/काटेगा।"

निरंतर.....

56(2) "Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no sum due from any consumer, under this section shall be recoverable after the period of two years from the date when such sum became first due unless such sum has been shown continuously as recoverable as arrear of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the supply of the electricity."

इस धारा में प्रथमतः शोध्य (first due) शब्दों का अर्थ उपभोग के रूप में बनाया गया हैं। इसका मतलब यह होगा कि जिस पल से बिजली का उपभोग/सेवन किया जायेगा, उस क्षण से यह विद्युत शुल्क बन जायेगा एवं देय होगा।

फोरम के मत में विधान मण्डल (Lagislature) का यह इरादा कदापि नहीं हो सकता कि 'प्रथमतः शोध्य' (first due) शब्द को उसके प्रयोजन की विद्युत खपत के समतुल्य या बराबर रखकर देखा जायें। बिजली की खपत निश्चित रूप से भुगतान की देनदारी उत्पन्नकरेगी, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा टेरिफ आदेश अनुसार उपभोक्ता को उसके द्वारा की गई विद्युत खपत के लिये जारी किये गये बिल/मॉग के पश्चात ही राशि शोध्य व देय होगी।

यद्यपि, उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपभोग (खपत करने) से ही भुगतान करने की देनदारी उत्पन्न हो जाती हैं। परंतु उपभोक्ता से शोध्य (due) वसूली योग्य कोई रकम, उस तारीख से ही शोध्य होगी, जब उसे बिल भेजा जायेगा। बिजली की खपत करने के तीन साल बाद भी बिजली की खपत का बिल भेजा जा सकता हैं।

इस प्रकार, फोरम की राय में विद्युत शुल्क का भुगतान करने की देनदारी उस दिन से बनती हैं, जिस दिनांक से बिजली की खपत हेतु मीटर रीडिंग दर्ज हुई हैं या जिस दिनांक से मीटर दोषपूर्ण पाया गया या बिजली चोरी की दिनांक से, ऐसे सभी प्रकरणों में उपभोक्ता से वसूली योग्य राशि प्रथमतः तभी शोध्य (due) होगी, जब अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान के लिये बिल या डिमाण्ड नोट भेज दिया गया हो।

अतः आवेदक का यह तर्क, कि राशि की वसूली के लिये समय सीमा(अवधि) समाप्त हो गई हैं, फोरम द्वारा विधिसंगत न होने से मान्य योग्य नहीं पायी गयी।

प्रकरण में अनावेदक कंपनी के बी.आई सेल होशंगाबाद वृत्त द्वारा आवेदक उपभोक्ता के यहॉ स्थापित मीटर की जांच दिनांक 22.10.2016 को करने पर पाया गया कि उपभोक्ता के मीटर में 1 फेस की खपत दर्ज नही हो पा रही है। मीटर के आर फेज पर वोल्टेज शून्य पाया एवं अनावेदक द्वारा मीटर की एम.आर.आई. की गयी। बाद में दिनांक 18.11.2016 को मीटर के आर फेज के पी.टी. के वायर को ठीक कर मीटर के तीनों फेस चालू किये गये। जिसकी पुष्टि अनावेदक द्वारा दिनांक 07.12.2016 को की गई एम.आर.आई. से की गई।

निरंतर.....

मीटर कीएम.आर. आई के आधार पर आवेदक का मीटर दिनांक 16.06.2014 से दिनांक 18.11.2016 तक एक फेस पर खपत दर्ज नही कर रहा था। अतः उपभोक्ता को माह जून 2014 से नवम्बर 2016 तक की अवधि का एक फेस की बिलिंग राशि रू.81876/– का अतिरिक्त देयक जारी किया गया। जिसके विरूद्ध उपभोक्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर वृत्त स्तरीय समिति होशंगाबाद में दिनांक 20.03.2017 को विचार उपरांत उपभोक्ता को दिये गये अतिरिक्त बिल को यथावत रखा गया।

इस संबंध में अनावेदक द्वारा अपने कथन में बताया कि उनके परिसर में स्थापित मीटर दिनांक 16.06.2014 रीडिंग 26649 से दिनांक 18.11.2016 रीडिंग 50920 तक मीटर के आर.फेस के पी.टी. वायर अंदर से जल जाने के कारण मीटर को आर.फेस पर वोल्टेज आवेदक के यहॉ स्थापित केवल (सर्विस लाईन) से नहीं मिल पा रहा था। इस कारण मीटर आर.फेस की खपत दर्ज नहीं कर रहा था। बल्कि उपभोक्ता द्वारा इस अवधि पर तीनों फेस का उपयोग किया जा रहा था। उक्त अवधि में मीटर केवल 2 फेस की खपत यूनिट 24271 दर्ज किया था। अतः 1 फेस की खपत (24271/2)= 12135 यूनिट की बिलिंग राशि रूपये 81876 उचित हैं एवं आवेदक से वसूली योग्य हैं। दिनांक 18.11.2016 को आर फेस के पी. टी. वाय को बदल कर मीटर के तीनों फेस चालू कर दिये गये हैं एवं वर्तमान में यही मीटर आवेदक के यहॉ स्थापित हैं, जिसमें आवेदक को कोई आपत्ति नहीं हैं। अतः अनावेदक द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका 8.14 एवं विद्युत अधिनियम 2003 के नियम 55 का पालन किया गया हैं। आवेदक को माह जून 2014 में 1336, जुलाई 2014 में 1054, अगस्त 2014 में 1284, सितम्बर 2014 में 1554, अक्टूबर 2014 में 1210 के बिल जारी किये गये थें। अतः उनकी एक माह की औसत खपत लगभग 1261 यूनिट आ रही हैं। परंतु इसी मीटर में वर्ष 2013 के माह जून में 2420, जुलाई में 3025, अगस्त में 3552, सितम्बर में 2830, अक्टूबर में 1090, नवम्बर में 694 यूनिट के बिल जारी हुए थें। जिसकी औसत खपत 2268 यूनिट आ रही हैं। एवं वर्तमान 2017 वर्ष के माह जून में 2032, जुलाई में 2716, अगस्त में 2818, सितम्बर में 2344, यूनिट के बिल जारी हुए। इनकी औसत खपत लगभग 2477 यूनिट हैं। इससे यह सिद्ध होता हैं कि आवेदक को जून 2014 से नवम्बर 2016 तक कम यूनिट खपत का बिल दिया गया था, जिसका उनके द्वारा भुगतान किया गया था। चूॅकि उक्त अवधि में आवेदक द्वारा तीनों फेस का उपयोग किया गया हैं। इस कारण जून 2014 से नवम्बर 2016 तक की अवधि में मीटर द्वारा एक फेस दर्ज न होने के कारण एक फेस की अतिरिक्त बिलिंग राशि रूपये 81876/–का बिल जारी किया गया। जो सही है।

उपरोक्त विवेचना अनुसार अनावेदक द्वारा उपभोक्ता के अभ्यावेदन पर की गयी कार्यवाही विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार फोरम के मत में विधिसंगत होना पायी गयी।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

फोरम का निर्णय :–प्रकरण में फोरम द्वारा उपरोक्तानुसार की गयी विवेचना एवं गुण दोष के आधार पर आवेदक को प्रदाय किया गया मीटर की त्रुटिपूर्ण अवधि का रू.81876/– का अतिरिक्त बिल विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार एवं विधिसंगत पाये जाने तथा उपभोक्ता को जारी बिल विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के अंतर्गत अवधि बाधित न पाये जाने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त करने योग्य पाया गया। अतः आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।

फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि यदि उपभोक्ता से उपभोक्ता के यहॉ स्थापित मीटर की त्रुटिपूर्णअवधि में मीटरका किराया वसूला गया है तो वसूले गये ऐसे किराये की राशि उपभोक्ता के आगामी बिल/बिलों में नियमानुसार समायोजित करे।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 05.12.2017
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	**(एस.एस.मंडलोई)**	**राजीव अग्रवाल**
सदस्य(राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	(अध्यक्ष)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 808–09 भोपाल, दिनांक 04 / 12 / 2017

प्रति,
श्रीमति ज्योति जाधव पगारे,
पति श्री जाधव नारायण पगारे,
इन्द्र बिहार कालोनी, एयरपोर्ट रोड़,
भोपाल(म.प्र.)

विषय :–प्रकरण क्रमांक BT-21/2017दिनॉक 16.10.2017 में फोरम के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक BT-21/2017दिनॉक 16.10.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 04.12.2017 को कर दिया गया है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि–

1. **उप**महाप्रबंधक शहर संभाग (उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि भोपाल। (म.प्र.) –ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक बी.टी.–21 / 2017 दिनांक 16.10.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 04.12.2017इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.बी.टी/21/2017

16.10.2017

श्रीमति ज्योति जाधव पगारे,
पति श्री जाधव नारायण पगारे, **(आवेदक)**
इन्द्र बिहार कालोनी, एयरपोर्ट रोड़,
भोपाल (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,शहर संभाग (उत्तर)**(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,भोपाल। (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक04.12.2017 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/21दिनॉक 16.10.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 30.10.17, 03.11.17 एवं 28.11.2017को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना–अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक द्वारा एक कनेक्शन, घरेलू उपयोग हेतु अनावेदक कम्पनी से प्राप्त किया था। जिसका सर्विस क्रमांक 0828245000 का अगस्त 2017, रीडिंग बिल 839 यूनिट खपत 109 यूनिट का 03.09.2017 को रीडिंग ली गई। बिल रू. 740/– का है। जिसमें रू. 200/– नियत प्रभार वसूला गया है। यदि 31.08.2017 को रीडिंग ली जाती तो करीब 98–99 यूनिट खपत का बिल आना जिस पर नियत प्रभार रू. 90/– का भुगतान करना पड़ता लेकिन विद्युत विभाग की देरी के कारण रू. 110/– ज्यादा भुगतान करना पड़ा। ऐसे हजारों मध्य वर्गीय उपभोक्ताओं से रू. 110/– अधिक नियत प्रभार देना पड़ता है। एक माह में ही भोपाल शहर के करीवन 25000 उपभोक्ता x = 27.50 लाख एवं वर्ष का 3.30 लाख का अतिरिक्त नियत प्रभार 1–2 यूनिट बढाने से विद्युत विभाग के खाते में जा रही है तथा मध्य

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

वर्गीय उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है। अतः संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देश दे की वह प्रतिमाह 30 दिन के अंतराल पर रीडिंग ली जाये यदि देरी से रीडिंग हो तो उसे अनुमान से कम कर बिल सुधार किया जाये, ताकि मध्यवर्गीय उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिले तथा मुझे रू. 110/– वापस किये जायें।

सुरक्षानिधि जमाराशि में से प्रतिवर्ष जून/जुलाई/अगस्त माह के बिल में से वसूली क्यो की जारी रही है, जबकि उपभोक्ता माह का बिल पूर्ण राशि प्रतिमाह जमा कर रहा है। इस सम्बध में आई टी गोविन्दपुरा भोपाल में लिखित शिकायत दिनांक 01.06.2016, 02.09. 2016, 12.12.2016, एवं 14.03.2017 को की गई है। लेकिन अभी तक उचित जबाव नही दिया गया है। कृपया इस सम्बंध में भी विद्युत कर्मचारी से पूछाजाये कि क्यों ऐसा किया जा रहा है तथा शिकायत का निराकरण कर जबाव दिया जाये।

नियत प्रभार वर्तमान में बहुत बढ़ाकर मध्यवर्गीय उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा है। उसे न्याय संगत किया जाये। तकि बिल का भार कुछ कम हो सके। विद्युत विभाग में नियत प्रभार दर दुगनी कर दी है तथा यूनिट दर भी बढ़ा दी है। दोनों तरफ से विद्युत विभाग उपभोक्तओं का शोषण किया जा रहा है। नियत प्रभार प्रति यूनिट 50 पैसे की दर से वसूला जाये। मध्यवर्गी उपभेक्ताओं से 300 यूनिट खपत प्रतिमाह तक निम्न पत्रों की छायाप्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न है। 01.06.2016, 02.09.2016, 12.12.2016 एवं 14.03.2017 भगतान बिल मई 2017 से अगस्त 2017 तक अप्रैल 2015 से अगस्त 2015 तक मई 2016, से अगस्त 2016 से अगस्त 2016 तक, निष्ठा परिसर का पत्र 323 दिनांक 22.12.2016

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रकरण क्रमांक बी.टी. 21/2017 दिनांक 16.10.2017 श्रीमति ज्योति जाधव पगारे ए– 297 इन्द्र बिहार कालोनी एयरपोर्ट रोड़ भोपाल का शिकायत आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके निराकरण हेतु बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

1. आवेदक द्वारा सर्विस क्रमांक 0828245000 के अगस्त 2017 के विगत बिल में 109 यूनिट की खपत होने के कारण रू.110/– नियत प्रभार ज्यादा चार्ज करने की शिकायत की है।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. इन्द्रबिहार जोन के द्वारा दिनांक 27.10.2017 को आवेदक की शिकायत पर विचार कर माह अगस्त 2017 से अक्टूबर 2017 तक तीन माह की खपत का स्लब कर रू.168/– की क्रेडिट दी गई, जो सी.सी.एन.बी. सिस्टम की एडजस्टमेंट रिपोर्ट में प्रदर्शित है उपभोक्ता के नामांकित प्रतिनिधि श्री जाधव नारायण पगारे को कार्यालय में अवगत कराया गया था, तथा उन्हें संशोधित बिल की प्रति भी उपलब्ध कराई थी, जिससे उन्होने अपनी शिकायत के निराकरण की सहमति दी थी।

आवेदक के द्वारा काल्पनिक रूप से भोपाल शहर के करबिन 25000 उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त नियत प्रभार एक दो यूनिट बढ़ाकर लगाने की शिकायत कर लिखा है, कि मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है। यह सही नही है। क्योकि प्रतिमाह एक ग्रुप के रिडिंग साइकिल चक्र में लगभग 4000 उपभोक्ता होते है। जिनकी रिडिंग लेने में प्रतिमाह

6 से 7 दिन लगते है, जिसके कारण इसी रिडिंग साइकिल अनुसार ही रीडिंग की जाती है। कभी भी कम्पनी का यह ध्येय नही रहा है कि, हमारे सम्मानीय उपभोक्ता से किसी भी तरह का अत्यधिक चार्ज वसूला जावें।

2. म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के द्वारा निर्धारित नियमानुसार प्रतिवर्ष सुरक्षा निधि की राशि की गणना की जाती है, जिसमें विगत वित वर्ष में उपभोक्ता द्वारा खपत की गई विद्युत यूनिट के 45 दिवस के बराबर सुरक्षा निधि की खपत की राशि जमा होना अनिवार्य है, इस कारण से उक्त अंतर राशि का लेना/वापिस माह मई, जून एवं जुलाई में तीन समान किश्तों में गणना कर जोड़ा/घटायाा जाता है। जो कि नीति निर्धारण के अनुसार है।

3. नियत प्रभार वर्तमान में बढ़ाकर मध्यम वर्गीय उपभोक्ता से वसूला जा रहा है इस संबंध में शिकायत की है। नियत प्रभार की गणना म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के द्वारा आदेर्शित नियमों के अनुसार ही की जा रही है। म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं. भोपाल द्वारा नियत प्रभार का निर्धारण नही किया जाता है।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

दिनांक 30.10.17 को फोरम के समक्ष आवेदक की ओर से उपस्थित उनके पति श्री जाधव नारायण पगारे द्वारा प्रकरण में कथन किया कि हमारे घर पर स्थापित घरेलू कनेक्शन संयोजन की मीटर रीडिंग 30 दिन के अन्तराल पर होना चाहिये जो कि अनावेदक कंपनी द्वारा 30 दिन के अन्तराल पर नहीं ली जाकर 32–35 दिन के अंतराल पर की जा रही हैं, जो कि नियमानुसार उचित नहीं हैं। अनावेदक कंपनी द्वारा निर्धारित अवधि में मीटर रीडिंग नहीं लेने के कारण हमारा खपत स्लेब बढ़ जाता हैं, स्लेब बढ़ने के कारण अनावश्यक रूप से अधिक राशि जमा करना पड़ रही हैं, जिसके कारण हमें आर्थिक हानि हो रही हैं।

हमारे बिलों में प्रति वर्ष माह मई, जून, जुलाई एवं अगस्त के बिलों में सुरक्षा निधि की राशि जोड़कर दी जाती हैं, जिसका भुगतान हमारे द्वारा किया जाता हैं। जबकि हमारे द्वारा प्रतिमाह पूरी राशि का बिल जमा किया जाता हैं। हमारे द्वारा जमा सुरक्षा निधि राशि रू. 2000/– को बिल की राशि में क्यों समायोजित किया जा रहा हैं।

अनावेदक की ओर से उपस्थित श्री एल.एन. पाटीदार, उप महाप्रबंधक, उत्तर, भोपाल एवं श्री एस.के. पाराशर, विधि सहायक, उत्तर शहर संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण में कथन किया कि उपभोक्ता द्वारा वितरण केन्द्र कार्यालय में स्वतः सम्पर्क किया गया एवं बिल निराकरण उपरांत लिखित में संतुष्टि हेतु कथन कर आवेदन दिया गया। उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं, जिसका प्रतिवेदन की छायाप्रति उपभोक्ता को एवं माननीय फोरम को अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई।

फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया गया कि उपभोक्ता द्वारा माह जुन, जुलाई एवं अगस्त 2016 के बिल ऋणात्मक आने के बाद भी ए.टी.पी. मशीन के माध्यम से जमा किये गये हैं। जिसका विवरण आगामी तिथि को फोरम के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनावेदक को निर्देशित किया गया।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

दिनांक 28.11.2017 को अनावेदक की ओर से श्री बी.वी.तिवारी, सहायक यंत्री, इन्द्रविहार जोन, भोपाल द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया गया कि आवेदक द्वारा सर्विस क्र. 0828245000 के अगस्त 2017 के विगत बिल में 109 यूनिट की खपत होने के कारण रूपये 110 नियत प्रभार ज्यादा चार्ज करने की शिकायत की हैं।

अनावेदक द्वारा दिनांक 27.10.2017 को आवेदक की शिकायत पर विचार कर माह अगस्त 17 से अक्टूबर 17 तक तीन माह की खपत का स्लेब कर रूपये 168/– की क्रेडिट दी गई, अनावेदक द्वारा सी.सी.एन.बी. सिस्टम की एडजस्टमेण्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी जिसमें उक्त क्रेडिटदर्शित हैं। अनावेदक द्वारा यह भी कथन किया कि उपभोक्ता प्रतिनिधि श्री जाधव नारायण पगारे को कार्यालय में अवगत कराया गया था तथा उन्हें संशोधित बिल की प्रति भी उपलब्ध कराई थीं, जिससे उन्होंने अपनी शिकायत के निराकरण की सहमति दी थीं। आवेदक के द्वारा काल्पनिक रूप से भोपाल शहर के करीबन 25000 उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त नियत प्रभार एक दो यूनिट बढ़ाकर लगाने की शिकायत कर लिखा हैं कि मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा हैं, यह सही नहीं हैं। क्योंकि प्रतिमाह एक ग्रुप के रीडिंग सायकल चक्र में लगभग 4000 उपभोक्ता होते हैं। जिनकी रीडिंग लेने में प्रतिमाह 6 से 7 दिन लगते हैं। जिसके कारण इसी रीडिंग साईकिल अनुसार ही रीडिंग की जाती हैं। कभी भी कंपनी का ध्येय नहीं रहा हैं कि हमारे सम्माननीय उपभोक्ता से किसी भी तरह का अत्यधिक चार्ज वसूला जावें।

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के द्वारा निर्धारित नियमानुसार प्रतिवर्ष सुरक्षा निधि की राशि की गणना की जाती हैं। जिसमें विगत वित्त वर्ष में उपभोक्ता द्वारा खपत की गई। विद्युत यूनिट के 45 दिवस के बराबर सुरक्षा निधि की खपत की राशि जमा होना अनिवार्य हैं। इस कारण से उक्त अंतर राशि का लेना/वापिस करना माह मई, जून एवं जुलाई में तीन समान किश्तों में गणना कर जोड़ा/घटाया जाता हैं। जो कि नीति निर्धारण के अनुसार हैं।

नियत प्रभार वर्तमान में बढ़ाकर मध्यम वर्गीय उपभोक्ता से वसूला जा रहा हैं। इस संबंध में शिकायत की हैं। नियत प्रभार की गणना म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के द्वारा आदेशित नियमों के अनुसार ही की जा रही हैं। म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल द्वारा नियत प्रभार का निर्धारण नहीं किया जाता हैं।

फोरम द्वारा प्रकरण में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों का परीक्षण करने पर पाया गया कि अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत का विधिसंगत निराकरण कर दिया है तथा जिससे आवेदक द्वारा अपनी सहमति एवं सतुष्टि व्यक्त की गयी। अतः प्रकरण निराकृत होकर समाप्त किया जाता है।

फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि उपभोक्ता की नियत तिथि पर रीडिंग ली जायें एवं यदि रीडिंग लेने में किसी कारणवश देरी होती हैं तो ऐसी व्यवस्था की जाये कि फिक्स चार्ज का खामियाजा उपभोक्ता को न भुगतना पड़े।

उपभोक्ता के सुरक्षा निधि को फ्लेग किया जाये एवं बार बार इसको कम–ज्यादा न किया जायें। म.प्र. राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी **सुरक्षा निधि संबंधी विनियम जी 17, 2004** का पालन किया जावे।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 04.12.2017
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस.मंडलोई)	राजीव अग्रवाल
सदस्य(राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	(अध्यक्ष)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 814–15 भोपाल, दिनांक 16 / 12 / 2017

प्रति,
श्री राजकुमार सराठे,
अम्बडेकर नगर, झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्र,
न्यास कालोनी, इटारसी (म.प्र.)

विषय :–प्रकरण क्रमांक BT-22/2017दिनॉक 16.10.2017 में फोरम के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक BT-22/2017दिनॉक 16.10.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 11.12.2017 को कर दिया गया है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि–

1. **उप**महाप्रबंधक (सं. / सं.) संभाग म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि इटारसी। (म.प्र.) –ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक बी.टी.–22 / 2017 दिनांक 16.10.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 11.12.2017इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.बी.टी/22/2017

16.10.2017

श्री राजकुमार सराठे,,
अम्बेडकर नगर, झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्र, **(आवेदक)**
न्यास कालोनी, इटारसी (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,(सं./सं.) संभाग**(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,इटारसी। (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक11.12.2017 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/22दिनॉक 16.10.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 30.10.17, 03.11.17 एवं 04.12.2017को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना–अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक श्री राजकुमार सराठे निवासी अम्बेडकर नगर (झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्र) न्यास कालोनी, इटारसी, जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश गरीबी रेखान्तर्गत जीवन यापन करने वाला अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है।

   आवेदक की झोपड़ी में स्थापित विद्युत मापक सर्विस क्रमांक 8409050000 त्रुटिपूर्ण होकर अत्यंत तीव्र गति से चलने लगा था। पूर्व में उक्त विद्युत मापक द्वारा औसत मासिक खपत 90 यूनिट दर्शायी जाती रही थी, परन्तु अप्रैल 2015 में मासिक खपत 124 यूनिट होकर अक्टूबर 2015 में 298 यूनिट हो गयी थी। उक्त त्रुटिपूर्ण विद्युत मापक को बदलने के लिए कई बार मौखिक अनुरोध के बाद दिनांक 24.09.2015 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात ''सी.एम. हेल्पलाईन'' में शिकायत के बाद दिनांक 20.02.2016 को उक्त विद्युत मापक बदला गया था।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

सुचारू रूप से विद्युत मापक चलने की स्थिति में औसत मासिक खपत 90 यूनिट होकर देयक राशि लगभग रू.300/– प्रतिमाह थी। विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा नवम्बर 2015 तक की अवधि का रू.8,221/– का विद्युत देयक जारी किया गया था, जो कि सामान्य विद्युत देयक से कई गुना अधिक था।

उचित विद्युत देयक निर्धारित करने के लिए आवेदक ने आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया था। इस संबंध में ''AE Madam'' द्वारा आवेदक को बताया गया थ कि बी.पी.एल. उपभोक्ताओं के लिए विशेष योजना प्रचलित है, आप रू.3,500/– का भुगतान कर दें आपका पिछला अवशेष समाप्त हो जायेगा। इसलिए आवेदक ने दिनांक 27.02.2016 को रू.3,500/– का भुगतान कर दिया था, परन्तु इसकी पावती नही दी गयी थी।

मार्च 2016 के विद्युत देयक में वर्तमान देयक रू.395/– के साथ ही पिछला अवशेष रू.6886/– दर्शाया जाकर कुल देयक राशि रू.7581/– दर्शायी गयी थी। इस संबंध में ''AE Madam'' से सम्पर्क करने पर उन्होने आवश्वासन दिया कि अगले माह के विद्युत देयक में पिछला अवशेष घट जायेगा। ''AE Madam'' के आश्वासन के बाद भी पिछला अवशेष नही घटा था, उल्टे जून माह के देयक में बढ़कर रू.10,003/– हो गया था।

सुचारू रूप से चलने की स्थिति में पूर्ववर्ती विद्युत मापक द्वारा औसत मासिक खपत 90 यूनिट दर्शायी जा रही थी। त्रुटिपूर्ण विद्युत मापक बदलने के बाद नवीन विद्युत मापक द्वारा औसत मासिक खपत 85 यूनिट दर्शायी जा रही है। इससे स्पष्ट है कि त्रुटिपूर्ण विद्युत मापक द्वारा 9 माह की अवधि में दर्शायी गयी विद्युत खपत अवैध है।

''AE Madam'' के आवश्वासन के बाद आवेदक द्वारा दिनांक 27.02.2016 को रू. 3,500/– जमा किये गये थे, इसके बाद भी पिछला अवशेष समाप्त नही किया था। विगत 3 माह से आवेदक द्वारा विद्युत वितरण कंपनी के निरंतर चक्कर काटे जा रहे थे, परन्तु पिछला अवशेष समाप्त नही किया था। वर्तमान अवधि के विद्युत देयक के भुगतान के लिए आवेदक तत्पर था, परन्तु विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कुल देयक राशि की मांग की जा रही थी। इसी कारण मार्च 2016 से विद्युत देयक का भुगतान नही किया जा सका था। पिछला अवशेष समाप्त कर वर्तमान अवधि के विद्युत देयक जमा करवाने के स्थान पर दिनांक 09.08.2016 को विद्युत वितरण कंपनी पे विद्युत संयोजन विच्छेदित कर दिया है।

आवेदक गरीबी रेखान्तर्गत जीवन यापन करता है। आवेदक की झोपड़ी में 2 सी.एफ. एल., एक पंखा और सीमित अवधि के उपयोग हेतु एक टी.वी. है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विद्युत उपकरण नही है। इसलिए आवेदक की मासिक औसत खपत रू.300/– से अधिक नही है। इस आधार पर 9 माह का देयक रू.2700/– होता है, इसके विरूद्ध आवेदक से रू. 3500/– जमा करवाये गये थे, इसके बाद भी पिछला अवशेष यथावत् चला आ रहा है। इस प्रकार आवेदक के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है।

अस्तु उपर्युक्त तारतम्य में निम्नलिखित कार्यवाही प्रार्थित है :–

1. चार माह की देयक राशि जमा करवाकर विद्युत संयोजन पुनर्स्थापित करने की कृपा करे।
2. भुगतान के बाद भी अवैध रूप से चले आ रहे पिछले अवशेष को समाप्त करने की कृपा करे।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि आवेदक का कनेक्शन क्रं. 8409050000 स्वीकृत भार 1000 वॉट, अम्बेडकर नगर झुग्गी झोपड़ी न्यास कॉलोनी में दिनांक 25.12.2009 से है।

आवेदक श्री राजकुमार सराठे द्वारा अपने आवेदन दिनांक 12.08.2016 के माध्यम से बताया कि उनके यहा स्थापित मीटर तीव्र गति से चल रहा है जिस कारण उनको अधिक यूनिट का बिल आ रहा है। आवेदक के आवेदन पर दिनांक 20.02.2016 को आवेदक के यहॉ स्थापित मीटर को बदला गया एवं उक्त मीटर दिनांक 23.02.2016 को मीटर टेस्टिंग लैब इटारसी में टेस्ट किया गया जिससे मीटर धीमा पाया गया। जिसकी जॉच रिपोर्ट संलग्न है।

आवेदक द्वारा माह जुलाई 2015 से फरवरी 2016 तक के विद्युत बिलों का भुगतान नही किया गया। दिनांक 27.02.2016 को सहा. प्रबंधक श्रीमति ममता नेताम द्वारा वसूली अभियान के दौरान आवेदक से उनके घरेलू बिल जिसका सर्विस क्रं. 8409050000 में राशि रू. 2940/– एवं गैर घरेलू कनेक्शन क्रं. 8937150000 राशि रू. 1410/– का भुगतान प्राप्त किया गया एवं आवेदक को उसकी रसीद दी गई। आवेदक के कनेक्शनों की पास बुक संलग्न है जिसमें उक्त राशि भुगतान अंकित है। आवेदक द्वारा उनके घरेलू विद्युत बिल की बकाया राशि रू.9259/– के स्थान पर दिनांक 22.02.2016 को केवल 2940/– रूपये जमा किये गये।

आवेदक द्वारा लगातार विद्युत बिल न जमा करने कारण आवेदक का कनेक्शन अस्थाई रूप से माह अगस्त 2016 को विच्छेदित किया गया था।

आवेदक द्वारा अपने आवेदन में यह बताया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 27.02.2016 को 3500/– रूपये का भुगतान किया गया यह कथन असत्य है। आवेदक द्वारा यह भी बताया गया है कि उनको समाधान योजना का लाभ नही दिया गया है। बकाया राशि समाधान योजना दिनांक 25.02.2016 से लागू है इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं शहरी क्षेत्र में अधिसूचित झुग्गी–झोपड़ी में निवास करने वाले निम्नदाव घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा सम्पूर्ण बिजली बकाया विद्युत बिल का एक मुश्त भुगतान के निराकरण में उपभोक्ता की 30.12.2015 की स्थिति में मूल बकाया राशि को स्थिर करकर उपभोक्ता को प्रथम माह में चालू माह का विद्युत बिल (बकाया राशि व सरचार्ज को छोड़कर) का भुगतान करना होगा एवं उपभोक्ता को द्वितीय माह में चालू माह के बिजली बिल के साथ बकाया राशि का 50 प्रतिशत राशि भुगतान करना होगा, जिसमें उपभोक्ता की शेष 50 प्रतिशत बकाया राशि एवं 100 प्रतिशत सरचार्ज राशि माफ हो जावेगी। बकाया राशि समाधान योजना की सम्पूर्ण जानकारी संलग्न है।

आवेदक को 27.02.2016 से भुगतान लेते समय बकाया राशि समाधान योजना की जानकारी वितरण केन्द्र में नही थी। जानकारी मिलने के पश्चात् आवेदक से लगातार संम्पर्क कर इस येाजना के बारे में बताया गया एवं उनसे शेष बची राशि को भुगतान करने को भी कहा गया। उपभोक्ता द्वारा मई 2016 माह में कार्यालय में सम्पर्क किया गया। जिस पर कार्यालय द्वारा सी.सी.एन.बी. बिलिंग प्रणाली में देखकर आवेदक को राशि रू.2290/– भुगतान करने को कहा गया। जिससे उनकी मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत राशि रू. 3700/– एवं 100

प्रतिशत सरचार्ज राशि रू.1479/– माफ हो सकते है परंतु आवेदक द्वारा समजाईस के बाद भी राशि का भुगतान नही किया जिस कारण उनको बकाया राशि में समाधान योजना का लाभ नही मिल सका। आवेदक द्वारा जो पूर्व में दिनांक 27.02.2016 को राशि रू. 2940/– का जो भगुतान किया गया था। एव न ही उनके द्वारा अपना बी.पी.एल. कार्ड दिया एवं दिखाया गया था। इसके पश्चात बार–बार सम्पर्क करने पर आवेदक द्वारा प्रथम बार माह मई 2016 में कार्यालय में सम्पर्क किया गया था एव बी.पी.एल. कार्ड दिखाया गया था। उक्त योजना 31.05. 2016 तक प्रभावशील थी। इसके पश्चात बकाया राशि समाधान योजना दिनांक 16.09.2016 से पुनः प्रभावशील हो गई एवं दिनांक 30.05.2017 तक प्रभावशील रही इस दौरान आवेदक द्वारा माह दिसम्बर 2016 में पुनः कार्यालय में सम्पर्क कर समाधान योजना की जानकारी ली गई सी. सी.एन.वी. बिलिंग प्रणाली पर आवेदक को देखकर बताया गया कि उनकी बकाया राशि 9956/– में केवल उनको 5496/– रू. का भुगतान करना है जिससे उनको राशि रू. 6155/– माफ हो जावेगे।

आवेदक द्वारा बार–बार सम्पर्क करने के उपरांत भी विद्युत बिल जमा नही किया गया जिस कारण उनका कनेक्शन अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया। दिनांक 27.10.2017 को सहा.प्रबंधक श्री वीर वैभव मिश्रा एवं लाईनमैन श्री कमल आचार्य द्वारा आवेदक के परिसर का निरिक्षण किया गया। निरिक्षण उपरांत यह पाया गया कि आवेदक द्वारा नगर पालिका के पम्प के कनेक्शन से अवैध रूप से विद्युत का उपयोग किया जा रहा है। जिस पर सहा.प्रबंधक श्री वीर वैभव मिश्रा द्वारा धारा 138 के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।

अतिरिक्त कथन :– आवेदक द्वारा बार–बार सम्पर्क करने एवं योजना की जानकारी देने के उपरांत भी विद्युत बिल का भुगतान नही किया गया है। वर्तमान में आवेदक पर राशि रू. 14851 बकाया है एवं उनके द्वारा अवैध रूप से नगर पालिका के कनेक्शन से उपयोग किया जा रहा है इस कारण आवेदक पर बकाया विद्युत बिल की राशि बसूली योग्य है।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

दिनांक 30.10.2017 को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया कि मेरे द्वारा झुग्गी में एक घरेलू कनेक्शन जिसका सर्विस क्र. 8409050000 हैं। जिसका मीटर बहुत तीव्र गति से चलता हैं। मेरे यहॉ माह अप्रैल 2015 में मासिक खपत 124 यूनिट होकर अक्टूबर 2015 में खपत 298 यूनिट हो गई थीं। उक्त त्रुटिपूर्ण मापक को बदलने हेतु मेरे द्वारा कई बार मौखिक अनुरोध करने के बाद 24.09.2015 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर मेरा मीटर बदल दिया गया था। मीटर बदलने के पूर्व औसत मासिक खपत 90 यूनिट होकर देयक राशि लगभग 300 प्रतिमाह थीं। मीटर बदलने के बाद कंपनी द्वारा माह नवम्बर 2015 में रूपये 8221/– का विद्युत देयक जारी किया गया था।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

मेरे द्वारा कंपनी के अधिकारी से सम्पर्क करने पर बताया गया कि आप राशि रूपये 3500/– का भुगतान कर दें, आपका पिछला अवशेष समाप्त हो जायेगा। मेरे द्वारा दिनांक 27.02.2016 को राशि रूपये 3500/– का भुगतान किया गया, जिसकी मुझे कोई पावती नहीं दी गई थीं।

माह मार्च 2016 के विद्युत देयक में वर्तमान देयक रूपये 395 के साथ ही पिछला अवशेष 6886/– दर्शाया जाकर कुल देयक राशि रूपये 7581/– दर्शायी गयी थीं। जो कि गलत हैं। मेरे द्वारा कंपनी के अधिकारियों से मिलने पर उनके द्वारा मेरे बिल में कोई सुधार नहीं किया गया एवं मुझे माह जून 2016 में रूपये 10,003/– राशि हो गया। बिल जमा न करने के कारण दिनांक 09.08.2016 को मेरा कनेक्शन काट दिया गया। मेरा माननीय फोरम से निवेदन हैं कि मेरी मासिक औसत खपत 300/– रूपये से अधिक नहीं हैं। इस आधार पर 9 माह का देयक रूपये 2700/– होता हैं, इसके विरूद्ध आवेदक से 3500/– रूपये जमा कराये गये हैं, इसके बाद भी पिछला अवशेष यथावत चला आ रहा हैं, जो कि गलत हैं। मुझे मीटर की खपत के आधार पर बिल दिया जायें, जिसका मैं भुगतान कर सकूॅ।

अनावेदक की ओर से उपस्थित श्री डेलन पटेल, सहायक यंत्री शहर वि.के. इटारसी द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि आवेदक का कनेक्शनघरेलू कनेक्शन 8409050000 न्यास कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी इटारसी में स्थित हैं। आवेदक द्वारा दिनांक 27.02.2016 को अपने घरेलू बिल में 2950/– रूपये की राशि 9259/– रूपये बकाया बिल में जमा की थीं एवं उसके साथ साथ इसी दिनांक को उपभोक्ता द्वारा अपने गैर घरेलू कनेक्शन पर 1410/– रूपये जमा किये थें, जिसकी रसीद उपभोक्ता को दे दी गई थीं। उपभोक्ता को शासन द्वारा चलाई जा रही बकाया राशि समाधान योजना के अन्तर्गत माह मई 2016 में 2290/– रूपये जमा करने को कहा गया था, जिससे उनको लगभग 5179/– रूपये की छूट आवेदक के बिल में दी जा सकें। परन्तु आवेदक द्वारा समझाईश दिये जाने के बावजूद भी बिल का भुगतान नहीं किया गया। इसके पश्चात आवेदक द्वारा माह दिसम्बर 2016 में पुनः कार्यालय में सम्पर्क कर योजना की जानकारी ली गई, जिस पर उनको बताया गया कि वर्तमान बिल में केवल 5496/– रूपये का भुगतान करना हैं, जिससे उनको लगभग 6155/– रूपये राशि की छूट उनके बिल में दे दी जायेगी। परन्तु आवेदक द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिस कारण उनको समाधान योजना का लाभ नहीं मिल सका। आवेदक द्वारा बिल जमा न करने के कारण उनका कनेक्शन अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया।

आवेदक द्वारा दिनांक 03.11.2017 को प्रकरण में कथन किया गया कि पिछला अवशेष समाप्त होने के आश्वासन पर ही समाधान योजना के अन्तर्गत मेरे द्वारा रूपये 3500/– जमा किये गये थें। उल्लेखनीय हैं कि श्रीमती ममता नेताम ने आवेदक का आवेदन पत्र स्वयं भरा था, जो कि आपके अवलोकनार्थ संलग्न हैं। यह भी असत्य कथन हैं

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

कि आवेदक ने बी.पी.एल. राशन कार्ड नहीं दिखाया था, जबकि श्रीमती ममता नेताम द्वारा भरे गये आवेदन पत्र में बी.पी.एल. क्र. 215 का उल्लेख था। यह उल्लेख कि मई 2016 में आवेदक से रूपये 2940/– और जमा करने के लिये कहा गया था, पूर्णतः असत्य हैं। इसके विपरीत आवेदक द्वारा कार्यालय में सम्पर्क करने पर यह आश्वासन दिया जाता रहा था कि शीघ्र ही पिछला अवशेष समाप्त कर दिया जायेगा।

दिनांक 12.08.2016 को आवेदक ने विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, इसमें सभी सत्य तथ्यों का समावेश था। यदि आवेदक ने अभ्यावेदन में असत्य कथन किया था तो, उसका खण्डन करते हुए अभ्यावेदन का निराकरण किया जाना चाहिए था।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि आवेदक द्वारा दिनांक 27.02.2016 को केवल रूपये 2940/– जमा किये गये थें। कम राशि जमा करने के कारण आवेदक को समाधान योजना का लाभ नहीं मिल पाया। इसके बाद से आवेदक द्वारा अपने बकाया बिल राशि का कोई भी भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया हैं, जिसके कारण वर्तमान में आवेदक की बिल राशि 14581/– हो गई हैं। वर्तमान में आवेदक द्वारा अवैध रूप से नगरपालिका के पंप कनेक्शन से अपने घरेलू कनेक्शन पर विद्युत का उपयोग किया जा रहा हैं।

फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया गया किः–

1. उपभोक्ता को समाधान योजना में शामिल किये जाने के समय योजना के प्रावधान के अनुसार दिनांक 31.12.2015 की स्थिति में बकाया राशि कितनी थीं?
2. उपभोक्ता से राशि रूपये 2940/– क्या योजना के प्रावधान के अनुसार जमा कराई गई थीं ? यदि हॉ तो, उपभोक्ता को योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया ? स्पष्ट करें।
3. जैसा कि आपने (अनावेदक ने) अपने कथन में बताया कि मीटर के तीव्र गति से चलने के कारण उपभोक्ता के बिल में संशोधन की गुंजाईश है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में बकाया राशि कम होकर योजना में शामिल किये जाने योग्य हैं। परीक्षण करें।
4. अनावेदक विस्तृत जानकारी के साथ दिनांक आगामी तिथि को मय दस्तावेजों के फोरम के समक्ष उपस्थित हों।

फोरम द्वारा निर्देशित किया गया कि उपभोक्ता को फरवरी 2016 से अगस्त 2016 तक का खपत के आधार पर बिल बनाकर दिया जावें एवं अगली सुनवाई के पहले उक्त बिल की वसूली की जाना सुनिश्चित करें। एक पृथक बिल कनेक्शन विच्छेदित होने की दिनांक से आगामी तिथि तक, जब तक नियमानुसार कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित नहीं किया हैं, तक का बिल अगली सुनवाई के दौरान फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

उपभोक्ता की दिनांक 31.12.205 को बकाया राशि रूपये 8878/– थीं।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

उपभोक्ता को समाधान योजना का लाभ लेने हेतु राशि रूपये 3699/– मात्र जमा करना था, उस समय उपभोक्ता की मूल राशि 7399/– एवं सरचार्ज राशि रूपये 1479/– थीं। समाधान योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता की मूल राशि का 50% राशि रूपये 3700 एवं सरचार्ज राशि का 100% राशि रूपये 3699 जमा करना था, लेकिन उपभोक्ता द्वारा किश्त में राशि 2940/– रूपये दिनांक 27.02.2016 को जमा की गई। शेष राशि 759/– रूपये समाधान योजना में 31.05.2016 तक जमा करने हेतु उपभोक्ता को बार बार कहा गया, लेकिन उपभोक्ता द्वारा समाधान योजना समाप्त होने तक उक्त राशि जमा नहीं की गई। चूँकि समाधान योजना का सिस्टम कम्प्यूटराईज्ड हैं। अतः माफी योग्य राशि 5179/– समाधान योजना में अस्वीकार कर दी गई, जिस कारण उपभोक्ता को समाधान योजना का लाभ नहीं मिल सका।

उपभोक्ता के मीटर की दिनांक 23.02.2016 को मीटर टेस्टिंग लेब में जॉच कराई गई, जॉच उपरांत मीटर बंद–चालू हो रहा था, जिस कारण मीटर को डिफेक्टिव बताया गया(मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न हैं।) नये मीटर को फरवरी 2016 में बदलने के पश्चात माह मार्च 2016, अप्रैल 2016 व मई 2016 की वास्तविक खपत के औसत के आधार पर अप्रैल 2015 से नवम्बर 2015 तक के बिलों को संशोधन किया गया। जिसके अंतर्गत राशि रूपये 4171/–निरस्त कर तथा सितम्बर 2016 से अक्टूबर 2017 के बीच न्यूनतम बिलिंग कर रूपये 964/– समायोजित किया गया। इस प्रकार कुल 5135/– रूपये का लाभ उपभोक्ता को दे दिया गया। वर्तमान में देयक की राशि 8739/– में से राशि रूपये 5135/– कम करने के उपरांत राशि 3601/– रूपये ही जमा करने योग्य शेष हैं।

फोरम के निर्देशानुसार फरवरी 2016 से अगस्त 2016 तक के विद्युत देयक पृथक से बनाकर उपभोक्ता को रूपये 4891/– तथा कनेक्शन विच्छेदित अवधि सितम्बर 2016 से अक्टूबर 2017 तक की अवधि का पृथक विद्युत देयक रूपये 1645/– भी प्रेषित किया गया। दोनों विद्युत देयकों की कुल राशि रूपये 6536/– उपभोक्ता द्वारा दिनांक21.11.2017 को जमा कर दी गई हैं। इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण किया जा चुका हैं, अतः प्रकरण समाप्त करने हेतु फोरम से निवेदन हैं।

आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि अनावेदक द्वारा मेरी शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। किये गये निराकरण से मैं सहमत एवं संतुष्ट हूँ। शेष राशि को मैं शीघ्र ही जमा कर दूंगा। अतः प्रकरण में आगे मुझे और कुछ नहीं कहना हैं।

प्रकरण में सुनवाई के दौरान फोरम द्वारा नियम एवं प्रावधानों के अंतर्गत दिये गये निर्देशों के अनुसार अनावेदक द्वारा विधिसंगत कार्यवाही करते हुये आवेदक के त्रुटिपूर्ण बिलों में संशोधित किया गया। जिससे आवेदक द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करते हुये राशि रू. 6536/– का भुगतान कर भुगातन किये गये बिल की प्रति फोरम के समक्ष प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि प्रकरण में किये गये निराकरण से मै सहमत एवं सतुष्ट हूँ तथा शेष राशि भी शीघ्र जमा कर दूँगा।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

इस प्रकार अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया जिससे आवेदक द्वारा भी फोरम के समक्ष अपनी सहमति एवं संतुष्टि व्यक्त की गयी।

फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया जाता है, कि उपभोक्ता के मीटर के डिफेक्टिव होने से जो 5135/– रूपये की राशि अतिरिक्त बिल की गई थीं, उसके ऊपर लगे सरचार्ज को भी माफ किया जायें।

प्रकरण निराकृत होकर समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक :11.12.2017
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	**(एस.एस.मंडलोई)**	**राजीव अग्रवाल**
सदस्य(राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	(अध्यक्ष)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 024/2017

16.09.2017

श्री आशाराम/स्व. भोंदेराम
ग्राम व पोस्ट हस्तिनापुर,
ग्वालियर, (म.प्र)

(आवेदक)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
संचा./संधा. संभाग,
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

(अनावेदक)

आदेश

आज दिनांक 14.12.2017 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वाराप्रकरण क्रमांक जी.टी/24दिनॉक 16.09.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 12.10.17, 09.11.2017, 07.12.2017 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :-**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि प्रार्थी का मकान विगत छः माह अप्रैल 2017 से बंद हैं तथा मीटर बाहर लगा हुआ हैं। दिनांक 22.05.2017 को आंकलित खपत लगा कर 1650/- रूपये का बिल भेज दिया था। जब मैंने विद्युत मण्डल प्रभारी हस्तिनापुर से बात की तो उन्होंने कहा कि आप इस बिल को भर दो तो मैंने उनके कहने पर दिनांक 22.05.2017 को 1650/- का बिल भर दिया, जिसकी रसीद संलग्न हैं। मैं आगे बिना मीटर रीडिंग का बिल नहीं भिजवाउंगा तथा इसको भी एडजस्ट करा दूंगा। लेकिन दिनांक 12.09.2017 को बिल भरने गया तो बिल

(एस.एस. मंडलोई) **(आर.के लढ़िया)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

निकलवाया तो वहीं आंकलित खपत का बिल पकड़ा दिया। वर्णित दिनांक को मीटर रीडिंग करने रीडर को ले गया तो मीटर की रीडिंग 5554 थी। इस प्रकार मई 2017 के बिल की आंकलित खपत 5475 थी। इस प्रकार मई 2017 की रीडिंग को वर्तमान 5554–5475 घटाई जावें तो सिर्फ 79 यूनिट होती हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि 06 माह की खपत सिर्फ 79 यूनिट होती हैं। इस आधार पर प्रार्थी के बिल को भुगतान कराने की कृपा करें।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में दि. 07/12/17 को कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया कि उपभोक्ता श्री आशाराम पुत्र श्री भोंदे राम, ग्राम हस्तिनापुर, सर्विस क्र. सर्विस क्र. 90–7–104917, जो कि गैर घरेलू 1KW का कनेक्शन हैं। उपभोक्ता के परिसर एवं बिल की जॉच कर पाया गया कि उपभोक्ता के बिल में माह मई 2017 एवं अगस्त 2017 के बिल में 60–60 यूनिट के आंकलित खपत लगाई हैं, जिसका कारण पाया गया कि उपभोक्ता का मीटर परिसर के अन्दर लगा था, जिसके कारण उचित रीडिंग नहीं हो पायी। चूॅकि उपभोक्ता का बिल गैर घरेलू होने के कारण 30 यूनिट प्रतिमाह का मिनिमम खपत आना अनिवार्य हैं, जिस हेतु माह नवम्बर का बिल मिनिमम एडजस्टमेण्ट होते हुए ऊर्जा प्रभार के रूप में 0 रूपया लिया गया हैं। चूॅकि 120 यूनिट आंकलित खपत लगी थीं जिसका 30 यूनिट माह नवम्बर 2017 में एडजस्ट हो गया हैं। बचे 90 यूनिट का ऊर्जा प्रभार एवं विद्युत शुल्क आगामी दिसम्बर 2017 के बिल में समायोजना गणना राशि के रूप में दे दिये जाएंगे। अतः शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। अतः आपसे अनुरोध हैं कि उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करने का कष्ट करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में आवेदक ने कथन किया कि माह अप्रैल 2017 से उसका मकान बंद हैं, मीटर बाहर लगा हुआ हैं। दिनांक 22.05.2017 को आंकलित खपत लगाकर राशि रूपये 1650/– दिया गया, जिसका आवेदक द्वारा भुगतान कर दिया गया और आवेदक द्वारा उक्त बिल का भुगतान इसलिये करा था कि वितरण केन्द्र प्रभारी द्वारा कहा गया था किवह आगे के बिल में सुधार कर देंगे, किन्तु सुधार नहीं किया गया। दिनांक 12.09.2017 को मीटर रीडर द्वारा रीडिंग 5554 दर्ज की गई थीं, जिसको पूर्व रीडिंग से घटा कर कुल 79 यूनिट होता हैं। अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि मुझे मीटर में दर्ज रीडिंग के हिसाब से संशोधित बिल दिया जायें, जिसका वह भुगतान कर सकें।

अनावेदक ने प्रकरण में फोरम के समक्ष कथन किया कि उपभोक्ता श्री आशाराम पुत्र श्री भोंदेराम ग्राम हस्तिनापुर जिसका सर्विस क्रमांक 90–7–104917 हैं। उपभोक्ता के परिसर एवं विद्युत बिल की जॉच करने पर पाया गया कि उपभोक्ता के बिल में मई 2017 एवं

अगस्त 2017के बिल में 60–60 यूनिट की आंकलित खपत लगाई गई हैं। जिसका कारण उपभोक्ता का मीटर परिसर के अन्दर लगा था एवं परिसर बंद था। इसलिये मीटर की रीडिंग नहीं ली जा सकी एवं उपभोक्ता का 30 यूनिट प्रति माह का मिनीमम खपत आना अनिवार्य हैं। जिस हेतु माह नवम्बर 2017 का बिल मिनिमम एडजस्टमेण्ट देते हुए ऊर्जा प्रभार के रूप में शून्य लिया हैं। चूँकि 120 यूनिट आंकलित खपत लगी थीं। जिसका 30 यूनिट माह नवम्बर 2017 में एडजस्ट हो गया हैं। शेष 90 यूनिट का ऊर्जा प्रभार एवं विद्युत शुल्क आगामी माह दिसम्बर 2017 में बिल में समायोजित कर दिया जाएगा। अतः प्रकरण का निराकरण कर दिया गया हैं।

आवेदक ने कथन किया कि उसका विद्युत मीटर उसके परिसर के बाहर लगा दिया गया हैं और कहा गया हैं कि जब तक आपके घर में ताला लगा होगा तभी मिनीमम खपत का बिल देंगे तथा निकट भविष्य में कभी भी आंकलित खपत के बिल नहीं दिये जाएंगे, जो मीटर में रीडिंग दर्ज होगी, उसी के अनुसार बिल दिये जायेगें। अनावेदक द्वारा आवेदक के विद्युत देयकों के संशोधन करने के आश्वासन पर सहमति प्रकट की गई।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम के समक्ष आवेदक एवं अनावेदक द्वारा किये गये कथनों की विवेचना करने पर पाया गया कि आवेदक का परिसर अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017 तक बंद रहा। इस अवधि में आवेदक को आंकलित खपत लगाकर विद्युत देयक दिया गया। जिसका माह मई 2017 के विद्युत देयक रूपये 1650/– का भुगतान कर दिया था। माह सितम्बर 2017 में आवेदक ने अपना विद्युत देयक भुगतान हेतु अनावेदक से निकलवाया तो वह भी आंकलित खपत 60 यूनिट का दिया गया। अतः आवेदक ने दिनांक 12.09.2017 को अपने परिसर में स्थापित मीटर की रीडिंग करवाई, जिसमें मीटर में रीडिंग 5554 पाई गई। प्रकरण में प्रस्तुत विद्युत बिल का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक के मीटर की पूर्व में दिनांक 23 मार्च 2017 से अगस्त बिल्ड इन सितम्बर 2017 तक 6 माह की खपत 79 यूनिट दर्ज हुई हैं। जिसे अनावेदक ने भी स्वीकार किया हैं तथा इस अवधि में आवेदक को जारी आंकलित खपत के विद्युत बिलों को मीटर में दर्ज खपत के अनुसार संशोधित किया जायेगा, भी फोरम के समक्ष स्वीकार किया गया हैं।

अतः अनावेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि माह मार्च बिल्ड इन अप्रैल 2017 से अगस्त बिल्ड इन सितम्बर 2017 की 6 माह की अवधि में आवेदक के विद्युत की खपत मात्र 79 यूनिट हुई हैं, जो कि प्रति माह मिनिमम खपत से भी कम हैं। अतः माननीय नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ के अनुसार मिनिमम खपत माह वार लेकर अप्रैल 2017 से सितम्बर

2017 तक के विद्युत देयकों को संशोधित करें तथा इस अवधि में आवेदक द्वारा किये गये भुगतान की राशि को समायोजित कर विद्युत देयक जारी करें।

इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण कर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं। पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर फोरम को प्रस्तुत करें । अतः प्रकरण निर्णीत होने के कारण समाप्त किया जाता है ।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 14 / 12 / 2017
स्थान : भोपाल

(एस.एस. मंडलोई)	(आर.के लढ़िया)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य(अभियांत्रिकी)	सदस्य(राजस्व एवं लेखा)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक/वि.उ.शि.नि.फोरम/806–07 भोपाल, दिनांक 14.12.2017

प्रति,

श्री आशाराम/स्व. भोंदेराम
ग्राम व पोस्ट हस्तिनापुर,
ग्वालियर, (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 14/12/2017 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–24/2017) दिनांक 16/09/2017 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 14/12/2017 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

उप महाप्रबंधक संचा./संधा. संभाग, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–24/2017 दिनांक 16/09/2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 14/12/2017 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 027/2017

16.09.2017

श्रीमती गोमती बाई,
हरिजन बस्ती, नादरिया की माता **(आवेदक)**
कंपूरोड,लश्कर,
ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
शहर संभाग (दक्षिण), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 14.12.2017 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वाराप्रकरण क्रमांक जी.टी/27दिनॉक 16.09.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 12.10.17, 09.11.17 एवं 07.12.17 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि मैं श्रीमती गोमती बाई, हरिजन बस्ती, नादरिया की माता कंपू रोड, लश्कर,ग्वालियर,मैं एक गरीब परिवार से हूॅ। मैं गरीबी रेखा की सूची में आती हूॅ। मेरे पास में गरीबी रेखा का कार्ड हैं और इसी कार्ड के जरिये से मुझे बिजली कनेक्शन दिया गया था। मेरी समस्या यह हैं कि मुझे इन्होंने समाधान योजना का अभी तक लाभ नही दिया हैं। जब

(एस.एस. मंडलोई) **(आर.के लढ़िया)** **(राजीव अग्रवाल)**

भी मैं जाती हूॅ, उसमें से ये 10 से 20 प्रतिशत कम कर देते हैं और मौखिक बोलते हैं। सबूत के तौर पर हमें कोई पर्ची या स्लिप नहीं देते और न ही कोई समाधान योजना का फार्म भरवाते हैं जो कि हमे मालूम पड़े कि हमारा कितना बिल माफ हुआ हैं। मैं निवेदन ये करती हूॅ कि समाधान योजना का मुझे हिस्सा बनाया जायें। नियम के अनुसार समाधान योजना का जो फार्म भरा जाता हैं। वह फार्म भरकर जितना भी मेरा बिल माफ हो रहा हैं, उसे माफ किया जायें और बकाया बिल मेरा जो बचता हैं। उसको मैं हर महीने 100/– रूपये की किश्त लगाकर निपटाना चाहती हूॅ। मैं पूरा पेमेण्ट नहीं कर पाउॅगा, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति खराब हैं मैं मजदूर करता हूॅ वह भी मिलती हैं तब ऐसे मे ये मुझे पूरा पेमेण्ट भरने का दबाव डालते हैं, जिससे ये लाईट काटने का दबाव बनाते हैं और दूसरी बात मेरा मीटर काफी लंबे समय से खराब हैं, जिसकी डिस्प्ले खराब होने के कारण रीडिंग नहीं दिखती हैं। अन्दाजें से हर महीने 1000/– रूपये या इससे अधिक का बिल भेजते हैं, बिना रीडिंग लिए। मैंने अपना मीटर बदलवाने के लिए आवेदन दिया था, जो आज दिनांक तक मेरा मीटर नहीं बदला गया। मैं यह चाहती हूॅ कि मेरा मीटर चैंज किया जाए और उसकी रीडिंग देखकर मुझे दी जाए, जो भी व्यक्ति मीटर की रीडिंग लेने आए तो मुझे रीडिंग लिखकर अपना मोबाईल नम्बर बिल पर लिखकर जाएं, जिससे कि मुझे मालूम हो कि रीडिंग लेने कौन आया था और कितनी रीडिंग हैं। जैसे कि कंपनी के आदेश अनुसार मीटर की गारण्टी 5 साल की होती हैं। मेरा मीटर पहले भी बदला गया था, जो कि एक साल के भीतर ही खराब हो गया था। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि मैं चाहती हूॅ कि मुझे न्याय मिले और मेरा बिजली का बिल माफ करके और मेरा मीटर चैंज किया जाए।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक ने आवेदिका की शिकायत के संदर्भ में दि. 07/12/17 को फोरम के समक्ष पत्र क्रमांक 6291, दिनांक 04.12.2017 प्रस्तुत कर कथन कर बताया कि उपभोक्ता श्रीमती गोमती बाई पता हरिजन बस्ती, नादरिया की माता कंपू रोड, लश्कर ग्वालियर का सर्विस क्र. 9429662000 के बिल में चेक रिपोर्ट के आधार पर कनेक्शन कटा हुआ हैं। शुरू में आंकलित खत लग रहीं थी तथा बिजली का उपयोग हो रहा हैं। लोड के आधार पर 70 यूनिट लेकर अप्रैल 2016 से आंकलित खपत हटाने पर राशि रूपये 18381/– की क्रेडिट बिल में दी जा रही हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि प्रकरण को निरस्त करने की कृपा करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–** आवेदिका श्रीमती गोमती, अपने पुत्र श्री हरेन्द्र कुमार बागड़े के साथ फोरम के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया कि मेरे घर में लगे विद्युत मीटर की रीडिंग न करते हुए लगभग 1 वर्ष से आंकलित खपत का विद्युत बिल दिया

जा रहा हैं, जो कि गलत हैं। जबकि मैं एक गरीब महिला हूॅ। मेरी हालत भी दयनीय हैं और मुझे लगातार आंकलित खपत लगभग 300 यूनिट का बिल दिया जा रहा हैं। हमारी लगभग 6–8 माह से लाईट कटी हैं, तब से हम चिमनी जलाकर रह रहे है।

अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि मेरी आंकलित खपत को हटाकर तथा 6–8 माह से लाईट कटी होने के कारण लगातार दिये जा रहे बिल में संशोधन करने का कष्ट करें एवं शेष राशि को किश्तों में जमा कराने हेतु कंपनी अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें।

अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनावेदक ने आवेदिका की शिकायत के निराकरण में आवेदिका के परिसर की चैक रिपोर्ट के आधार पर कनेक्शन पोल से विच्छेदित पाया गया हैं। प्रारंभ में आंकलित खपत लग रही थीं तथा बिजली का उपयोग हो रहा हैं। परिसर में पाये गये विद्युत भार के आधार पर 70 यूनिट लेकर अप्रैल 2016 से आंकलित खपत हटाने पर राशि रूपये 18381/– की क्रेडिट आवेदिका के विद्युत बिल में दी जा रही हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि प्रकरण को निरस्त करने की कृपा करें।

आवेदिका एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों तथा किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा आवेदिका के परिसर की चैकिंग दिनांक 18.10.2017 को की गई जिसमें उनके परिसर का विद्युत भार 700 वॉट पाया गया तथा आवेदिका का कनेक्शन पोल से कटा हैं, लेकिन विद्युत का उपयोग हो रहा था। अतः अनावेदक ने आवेदिका के परिसर में विद्युत भार के अनुसार माह अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2017 तक के बिलों में लगाई गई आंकलित खपत हटाकर विद्युत भार अनुसार 70 यूनिट प्रतिमाह खपत लेकर विद्युत देयक संशोधिम कर रूपये 18381/– की क्रेडिट देना स्वीकार किया गया हैं। आवेदिका का यह कहना कि उसे समाधान योजना का लाभ नहीं दिया गया, सही नहीं हैं, जिसकी पुष्टि उपभोक्ता पासबुक से होती हैं। आवेदिका के प्रतिनिधि द्वारा अनावेदक द्वारा उनकी शिकायत के निराकरण में सहमति प्रदान की हैं।

इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण कर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं। पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर फोरम को प्रस्तुत करें । अतः प्रकरण निर्णीत होने के कारण समाप्त किया जाता है ।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 14/12/2017
स्थान : भोपाल

(एस.एस. मंडलोई) **(आर.के लढ़िया)** **(राजीव अग्रवाल)**

सदस्य(अभियांत्रिकी) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)
पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल
(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 844–45 भोपाल, दिनांक 19.12.2017

प्रति,

श्रीमती गोमती बाई,
हरिजन बस्ती, नादरिया की माता
कंपू रोड, लश्कर,
ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 14.12.2017 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–27 / 2017) दिनांक 16.09.2017 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 14.12.2017 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

उप महाप्रबंधक शहर संभाग(दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–27 / 2017 दिनांक 16.09.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 14.12.2017 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrf.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 873–74 भोपाल, दिनांक 28 / 12 / 2017

प्रति,

श्रीमतिहेमलता गुप्ता,
पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता,
सेक्टर नं. 2, विनय नगर,
ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :फोरम के निर्णय दिनॉक26.12.2017 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–31 / 2017 दिनॉक 16.09.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक26.12.2017 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग, (उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–31 / 2017 दिनांक 16.09.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 26.12.2017 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.31/2017

16.09.2017

श्रीमतिहेमलता गुप्ता, (आवेदक)
पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता,
सेक्टर नं. 2 विनय नगर,
ग्वालियर (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, शहरसंभाग, (उत्तर)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.)

आदेश

आज–26.12.2017 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/31 दिनॉक 16.09.17 को पंजीकृत कर दिनॉक, 12.10.2017, 09.11.2017, 07.12.2017 एवं 08.12.2017को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक का एक घरेलू विद्युत संयोजन है, जिसका सर्विस क्रमांक 5778992000 है। दिनांक 18 मई 2017 को मीटर रीडर ने बताया कि मीटर का डिस्प्ले खराब है, रीडिंग नही ली जा सकती है। अतः आप आवेदन देकर मीटर बदलवा लीजिये।

डिफेक्टिव मीटर को बदले जाने हेतु प्रार्थी ने 22 मई 2017 को विनय नगर जोन शहर संभाग उत्तर ग्वालियर में आवक क्रमांक 71 दिनांक 22.05.2017 को दर्ज है तद्उपरांत जून 2017 में 300 यूनिट औसत बिल दिया गया। माह जुलाई 2017 एवं अगस्त 2017 को

(एस.एस. मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

350 यूनिट का बिल दिया गया। किन्तु माह सितम्बर 2017 को 3062 यूनिट का देयक जारी किया गया जबकि मीटर मई 2017 से ही स्टोपएण्ड डिफेक्टिव मीटर के अंतर्गत मीटर रीडर द्वारा रीडिंग डायरी में डिसप्ले खराब है रीडिंग दिखाई नही दे रही है रिमार्क लगा हुआ है।

मीटर रीडर द्वारा मई 2017 में जानकारी देने एवं मेरे द्वारा 22 मई 2017 में मीटर बदलने हेतु आवेदन देने के उपरांत भी 29.08.2017 तक मीटर बदलने की कार्यवाही नही की गई जबकि खराब मीटर रिपोर्ट करने की दिनांक से 15 कार्य दिवस में बदलना चाहिये परंतु सितम्बर 2017 में 3062 यूनिट का अवैध बिल रू.26170/– का जारी कर दिया गया जो घोर अनयिमितता है। अनेक बार संपर्क करने के उपरांत 3 माह से भी अधिक समय उपरांत दूसरा मीटर लगाया गया मीटर दिनांक 05.09.2017 को बदला गया डिफेक्टिव मीटर (डिसप्ले खराब) होने से कोई भी रीडिंग वैध नही हो सकती है। दिनांक 30.08.2017 को पुनः मीटर बदले जाने एवं बिल सुधार हेतु आवेदन दिया गया। किन्तु श्रीमान जी द्वारा बिल संशोधित कर नही दिया गया। जबकि मीटर बदलने की रिपोर्ट में भी रीडिंग अंकित नही है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि :–

1. डिफेक्टिव मीटर की फर्जी रीडिंग का बिल निरस्त किया जावे।
2. मीटर डिफेक्टिव (डिसप्ले खराब) होना सूचित होने कि दिनांक 18 मई 2017 से वास्तविक औसत बिल के आधार पर बिल सुधार कर दिया जावे।
3. तीन माह 15 दिन तक मीटर नही बदले जाने के लिये जिम्मेदार अधिकारी को दण्डित किया जावे। ताकि अनियमित्ताओं पर रोक लग सके।

5. अनावेदक का कथन :–अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किउपभोक्ता द्वारा खराब मीटर की रीडिंग पर आधारित देयकों को संशोधित/निरस्त करने तथा खराब मीटर को कंपनी द्वारा निर्धारित समग्र से न बदलने पर जिम्मेदार कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई है।

प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों तथ्यों का अवलोकन करने पर यह पाया गया। कि मीटर रीडर को मीटर की रीडिंग लेने के दौरान अंक स्पष्ट न दिखाई देने के कारण माह 06/2017 में 300 यूनिट माह 07/2017 में 350, माह 08/2017 में 350 यूनिट आंकलित खपत के अनुसार देयक भुगतान के लिये भेजे गये। माह 09/2017 रीडिंग 3062 का देयक भुगतान के लिये भेजी गयी। माह 09/2017 की रीडिंग 3062 का देयक भुगतान के लिये भेजा गया। माह 09/2017 की रीडिंग 3062 के आधार पर बना गया देयक भुगतान के लिये भेजा गया जो विवाद का कारण बना।

उक्त मीटर को जोन कार्यालय में द्वारा आर.एम.टी. लैब में परीक्षण के लिये भेजा गया। मीटर की परीक्षण रिपोर्ट 04/81 दिनांक 31.10.17 को अनुसार मीटर डायल टेस्ट में सही पाया गया।

(एस.एस. मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

अतः मीटर सही है एवं मीटर द्वारा ली जा रही रीडिंग सही है। माह 09/17 में 3062 रीडिंग एकत्रित हो गई। लेकिन इससे पहले 06/17 से 08/17 तक आंकलित खपत ली गई है। इस कारण से एकत्रित हुये 3062 यूनिट को 4 में विभाजित करने पर 765 यूनिट प्रति माह बनता है। अतः माह 06/17 से 09/17 तक देयक 765 यूनिट प्रतिमाह के अनुसार संशोधित किया जा कर माह 17/17 का देयक 8300/– रूपये का समायोजन किया जा रहा है।

6. फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

आवेदिका प्रतिनिधि श्री प्रेमकुमार गुप्ता ने फोरम के समक्ष कथन किया कि 18.05.2017 को मीटर रीडर द्वारा मीटर में डिस्प्ले खराब होना बताये जाने के कारण 18.05.2017 को मीटर बदलने हेतु आवेदन दिया था। लगभग तीन माह तक निराकरण न होने के बाद दिनांक 29.08.2017 को पुनः आवेदन दिया जिसमें डिफेक्टिव मीटर के विरूद्ध 3062 यूनिट का राशि रू. 26170/– का विद्युत देयक अवैधानिक तरीके से दिया गया। इस आवेदन के पश्चात दिनांक 05.09.2017 को मीटर बदल दिया गया। किन्तु बिल संशोधित नही किया गया। अतः डिफेक्टिव मीटर की रीडिंग का बिल निरस्त किया जावे। डिस्प्ले खराब होने के दिनांक से नया मीटर बदले जाने की दिनांक तक पिछले माहों की आंकलित खपत के आधार पर औसत बिल दिया जो कि कम्पनी द्वारा निर्धारित खराब मीटर 15 दिन में नही बदलने के कारण सम्बधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे। ताकि ऐसी अनियमितता न हो यही मेरा माननीय फोरम से कहना है।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया कि मीटर रीडर को मीटर रीडिंग लेने के दौरान अंक स्पष्ट न दिखाई देने के कारण जून 2017 में 300 यूनिट, जुलाई 2017 में 350 यूनिट, एवं अगस्त 2017 में 350 यूनिट आंकलित खपत के अनुसार देयक भुगतान के लिये आवेदिका को भेजे गये। माह सितम्बर 2017, में रीडिंग 3062 के आधार पर बनाकर विद्युत देयक आवेदिका का भेजा गया जो विवाद का कारण बना।

उक्त मीटर को जोन कार्यालय के द्वारा आर.एम.टी. लेब में मीटर परीक्षण के लिये भेजा गया मीटर की परीक्षण रिपोर्ट 4/81 दिनांक 31.10.2017 के अनुसार मीटर डायल टेस्ट में सही पाया गया।

अतः मीटर सही है एवं मीटर द्वारा ली जा रही रीडिंग सही है। माह सितम्बर 2017 में 3062 रीडिंग एकत्रित हो गई है। लेकिन इससे पहले जून 2017, से अगस्त 2017 तक आंकलित खपत ली गई है। इस कारण एकत्रित हुए 3062 यूनिट को 4 माहों में जून 2017

(एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

से सितम्बर 2017 तक में विभाजित करने पर 765 यूनिट प्रतिमाह विद्युत खपत बनती है। अतः माह जून 2017 से सितम्बर 2017 तक प्रतिमाह विद्युत खपत 765 यूनिट लेकर विद्युत देयक संशोधित किया जा कर माह अक्टूबर 2017 में रू. 8300/– का समायोजन किया जा रहा है। फोरम के निर्देश पर आवेदिका का मीटर आर.एम.टी. लेब में उसकी उपस्थिति में दिनांक 08.12.2017 को टेस्ट कराया गया जिसकी रिपोर्ट फोरम के समक्ष प्रस्तुत है। इस प्रकार आवेदिका कि शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। अतः प्रकरण समाप्त किया जावे।

आवेदिका प्रतिनिधि द्वारा फोरम के समक्ष कथन किया कि अनावेदक द्वारा मेरी शिकायत को जो निराकरण किया है उससे वह सहमत है एवं संतुष्ट है और आगे कुछ नही कहना है।

आवेदिका एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं किये गये कथनों कि विवेचना करने पर पाया गया कि मीटर रीडर द्वारा माह जून 2017 में मीटर रीडिंग लेते समय मीटर के डिस्प्ले में रीडिंग नही पड़ी जा सकने के कारण माह जून 2017 से अगस्त 2017 तक 3 माहों में आंकलित खपत के विद्युत देयक आवेदिका को जारी किये गये तथा माह सितम्बर 2017 में मीटर में रीडिंग 19902 एवं विद्युत खपत 3062 यूनिट के जारी विद्युत देयकों के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। अनावेदक द्वारा दिनांक 31.10.2017 को मीटर टेस्ट कराया गया जो सही पाया गया। आवेदिका प्रतिनिधि की संतुष्टि हेतु मीटर पुनः उसकी उपस्थिति के आर.एम.टी. लेब ग्वालियर में टेस्ट कराया गया जिसमें भी मीटर सही पाया गया।

अनावेदक ने आवेदिका के विद्युत देयक माह जून 2017 से सितम्बर 2017 तक चार माह की मीटर में दर्ज इक्ट्ठी खपत को विभाजित कर विद्युत देयक संशोधित कर रू. 8300/– की क्रेडिट देते हुए विद्युत देयक आवेदिका को जारी किया जाना स्वीकार किया किया गया। जिससे आवेदिका प्रतिनिधि ने फोरम के समक्ष संतुष्ठि प्रकट की। आवेदिका की शिकायत का निराकरण हो गया है। अतः प्रकरण निराकृत होकर समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 26.12.2017
स्थान : भोपाल।

(एस.एस.मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**
सदस्य (अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 034 / 2017

19.09.2017

श्रीमती विमला भटनागर पत्नी श्री वीरेन्द्र भटनागर
झूलेलाल मंदिर के पीछे, माधोगंज **(आवेदक)**
लश्कर, ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
शहर संभाग(दक्षिण), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 15.12.2017 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी / 34दिनॉक 19.09.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 12.10.17, 09.11.17 एवं 07.12.17 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आवेदिका का एक छोटा मकान 20 फीट बाय 20 फीट यानी करीब 400 वर्गफीट का झूलेलाल मंदिर के पीछे, माधोगंज लश्कर, ग्वालियर में स्थित हैं। जिसमें 3 सी.एफ.एल. 15–15 वॉट की लगी हैं तथा एक फ्रिज एवं टी.वी. हैं तथा आवेदिका का मीटर नया हैं, जो दिनांक 03.04.2017 को लगाया गया हैं। जिस समय मीटर लगाया गया था, उस समय उक्त मीटर में रीडिंग 0040 थी, जिसका प्रमाण उक्त मीटर लगाते

(एस.एस. मंडलोई) **(आर.के लढ़िया)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

समय उक्त नये मीटर का मोबाईल से अनावेदकगण के मीटर लगाने आये कर्मचारी के समक्ष लिया फोटो हैं। आवेदिका का घरेलू सर्विस क्र. 4224307–50–104995200051 हैं।

2. यह कि पूर्व में आवेदिका को बिना मीटर रीडिंग लिये बिल जारी किये जा रहे थें तथा आंकलित बिल जारी किये जा रहें थें तथा गलत बिल जारी किये जा रहें थें तो मजबूर होकर आवेदिका ने अपने रिश्तेदार अजय भटनागर के माध्यम से सी.एम. हेल्प लाईन पर फरियाद की, क्योंकि आवेदिका बुजुर्ग एवं वृद्ध महिला हैं तथा वह ऑन लाईन आवेदन स्वयं करने में असमर्थ हैं।

3. यह कि उपरोक्त सी.एम. हेल्प लाईन पर की शिकायत से अनावेदकगण, आवेदिका से रूष्ट हो गये तथा उपरोक्त नवीन मीटर लगाते समय मीटर रीडिंग 0040 के स्थान पर दुर्भावनापूर्वक मीटर रीडिंग 0000 होना कहने लगे तथा उक्त मीटर लगाने की तारीख 03.04.17 के स्थान पर 13.04.17 बताकर फर्जी व अवैध, अनुचित बिल जारी कर अवैध वसूली करने का प्रयास किया, किन्तु आवेदिका ने अपने अभिभाषक श्री आर.एस. भटनागर से अनावेदकगण को रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी कराया, जो अनावेदकगण को प्राप्त हुआ।

4. यह कि अनावेदकगण ने आवेदिका को ऊपरवर्णित बिल निरस्त कर केवल एक माह यानी अप्रैल 2017 का बिल सही भेजा, किन्तु अनावेदकगण के मस्तिष्क में जो आवेदिका को तंग व परेशान करने की भावना भरी थीं, वह दूर नहीं हुई तथा अनावेदकगण अथवा उनका कोई कर्मचारी अधिकारी आवेदिका के उपरोक्त मीटर की रीडिंग लेने नहीं आता, जबकि उनका वैधानिक एवं पदीय दायित्व हैं किवे प्रतिमाह मीटर की वास्तविक रीडिंग लेकर रीडिंग के अनुसार Actual Consumption कीरीडिंग के बिल जारी करें, जिसका आवेदिका तत्काल भुगतान करने हेतु तैयार व तत्पर हैं।

5. यह कि माह जून 2017 का बिल बिना मीटर से लिए पुराने मीटर की रीडिंग(जो दिनांक 03.04.17 को निकाला गया) 12310 दर्शाते हुए तथा मीटर खपत 0 दर्शाते हुए आंकलित खपत 200 यूनिट का बिल भेज दिया, जबकि नवीन मीटर दिनांक 03.04.17 को 00040 यूनिट दर्शाते हुए लगाया जा चुका था, जो सही चल रहा हैं तथा आज भी सही चल रहा हैं। अनावेदकगण का उक्त कृत्य सरासर आवेदिका के साथ अन्याय तो है हीं, साथ ही सेवा में कमी की परिधि में आता हैं।

6. यह कि इसी प्रकार माह जुलाई 2017 का बिल भी आंकलित यूनिट 450 दर्शाते हुए, बिना मीटर रीडिंग लिए जारी कर दिया, जो कि गलत हैं।

7. यह कि अनावेदकगण द्वारा अनुचित व अवैध बिलों की शिकायत करने अनावेदकगण के कार्यालय आवेदिका पहुंची तो अनावेदकगण ने आवेदिका को धौंस दी जा रही हैं कि

अनावेदकगण, आवेदिका का कनेक्शन काट देंगे तथा आवेदिका को अंधेरे में रहने को मजबूर कर देंगे।

8. यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय तथा विद्युत नियामक आयोग एवं उपभोक्ता न्यायालय के स्पष्ट आदेश व निर्देश हैं कि जहॉ मीटर सही हैं वहॉ प्रतिमाह मीटर रीडिंग के अनुसार Actual Consumption का बिल जारी किया जावें तथा आंकलित यूनिट का बिल जारी नहीं किया जावें। ऐसा ही आदेश माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी. 14 दिनांक 18.07.16 आवेदक बृजमोहन श्रीवास्तव बनाम उप महाप्रबंधक म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि., डबरा के प्रकरण में दिनांक 24.08.2016 को पारित किया हैं। आदेश दिनांक 24.08.16 की प्रति श्रीमान के अवलोकन हेतु प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत हैं।

9. यह कि आवेदिका ने दिनांक 01.08.17 को पुनः रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस अपने अभिभाषक श्री आर.एस. भटनागर के माध्यम से अनावेदकगण को प्रेषित कर निवेदन किया कि अनावेदक उपरोक्त वर्णित बिल निरस्त करते हुए मीटर रीडिंग के अनुसार संशोधित बिल आवेदिका को प्रदान करें, ताकि आवेदिका उनका भुगतान कर सकें तथा पूर्व में दिनांक 03.04.17 के नवीन मीटर लगने के बाद जो आंकलित यूनिट के बिल की राशि आवेदिका ने अनावेदकण ने जबरन वसूल कर ली हैं, उसे आगामी बिलों में समायोजित किये जाने हेतु लेख किया। उक्त नोटिसेस अनावेदकगण को प्राप्त हुए, किन्तु आज दिनांक तक अनावेदकगण ने कोई कार्यवाही उपरोक्त नोटिस पर नहीं की हैं। यहॉ यह लिख जाना न्यायोचित हैं कि आवेदिका ने उपरोक्त वर्णित नोटिस दिनांक 01.08.2017 की प्रतियॉ श्रीमान मुख्य मंत्री महोदय भोपाल एवं श्रीमान विद्युत नियामक आयोग, भोपाल को रजिस्टर्ड ए.डी. पोस्ट प्रेषित की हैं।

10. यह कि आवेदिका का निवास ग्वालियर में होने से एवं अनावेदकगण के कार्यालय ग्वालियर में स्थित होने से श्रीमान न्यायालय को प्रस्तुत आवेदन पत्र के सुनवाई का अधिकार प्राप्त हैं।

(11.) यह कि आवेदन पत्र अविलम्ब समयावधि में प्रस्तुत हैं। अतः श्रीमानजी से निवेदन हैं कि आवेदिका का आवेदन पत्र स्वीकर कर, अनावेदकगण द्वारा माह जून 2017 एवं जुलाई 2017 के जो आंकलित बिल आवेदिका को भेजे हैं वे निरस्त किये जावें तथा उक्त मीटर बिल बाबत् दिनांक 03.04.2017 के बाद जो अवैध वसूली की हैं, उसे आगामी बिलों में समायोजित कराया जावें तथा दिनांक 03.04.17 से अब तक सही बिल मीटर रीडिंग के अनुसार जारी किया जावें। श्रीमान जी की अति कृपा होगा।

(एस.एस. मंडलोई) **(आर.के लढ़िया)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

5. **अनावेदक का कथन** :–अनावेदकगण द्वारा प्रकरण में फोरम के समक्ष उपस्थित होकर लिखित कथन किया कि आवेदक की शिकायत का निम्नानुसार निराकरण कर दिया गया हैं:–

1. उपभोक्ता के बिल में लगाई गई आंकलित खपत 450 यूनिट को Withdraw कर तथाइकठ्ठी आई खपत 592 यूनिट को चार माहों में विभाजित कर दिया गया हैं एवं रूपये (–) 3629/– का क्रेडिट समायोजन कर दिया गया हैं।
2. वर्तमान में उपभोक्ता को माह 10/2017 में 132 यूनिट का बिल रूपये 896/– का जारी किया गया हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय** :–आवेदिका ने अपने आवेदन पत्र में निवेदन किया हैं कि उनका एक घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 4224307–5–80–1049952000, झूलेलाल मंदिर के पीछे, माधोगंज, लश्कर ग्वालियर में हैं। उनके विद्युत बिल में लगाई आंकलित खपत को हटाकर मीटर में दर्ज खपत के अनुसार बिल में संशोधन हेतु अनावेदक से निवेदन किया गया था। माह जून 2017 का बिल बिना मीटर से रीडिंग लिये, पुराने मीटर की खपत 0 दर्शाते हुए आकलित खपत 200 यूनिट का भेजा गया। नवीन मीटर दिनांक 03.04.2017 को 00040 रीडिंग पर लगाया गाय तथा पुराने मीटर में रीडिंग 12310 पर निकाला गया था। नया मीटर चालू हैं एवं सही रीडिंग दे रहा हैं। अनावेदक का यह कृत्य सरासर आवेदिका के साथ अन्याय तो हैं ही, साथ ही सेवा में कमी की परिधि में आता हैं।

अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि आवेदिका का आवेदन पत्र स्वीकार अनावेदक द्वारा माह जून 2017 एवं जुलाई 2017 के जो आंकलित खपत के विद्युत बिल दिये गये हैं, को निरस्त किये जाये तथा दिनांक 03.04.2017 को स्थापित नये मीटर में दर्ज खपत के अनुसार बिल संशोधित किये जायें एवं आंकलित खपत के बिलों की भुगतान की गई राशि को संशोधित किये गये बिल राशि में समायोजित की जावें तथा आगामी विद्युत बिल मीटर में दर्ज खपत के अनुसार ही जारी किये जावें, यही निवेदन हैं।

अनावेदक ने फोरम के समक्ष कथन किया कि माह अगस्त 2017 में मीटर में दर्ज इकठ्ठी खपत 592 यूनिट को दो माह जुलाई 2017 एवं अगस्त 2017 में विभाजित कर इन माहों में लगाई गई आंकलित खपत को हटाते हुए मीटर में दर्ज खपत अनुसार बिल संशोधन करने के उपरांत आवेदिका को रूपये 3629/– की क्रेडिट देते हुए विद्युत देयकों का समायोजन कर दिया गया हैं। वर्तमान में आवेदिका को माह अक्टूबर 2017 का विद्युत बिल 132 यूनिट मीटर में दर्ज खपत के अनुसार रूपये 896/– का फोरम के समक्ष

प्रस्तुत है। आवेदिका की शिकायत का निराकरण हो गया हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने की कृपा करें।

प्रकरण में आवेदिका एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं किये गये कथनों की विवेचना करने पर यह पाया गया कि आवेदिका के मीटर में दिनांक 13 फरवरी 2017 को रीडिंग 12310 दर्ज हैं। इसके पूर्व मीटर में हर माह रीडिंग दर्ज हो रही है। इसके पश्चात 12 जून 2017 तक मीटर में 12310 रीडिंग दर्ज हैं एवं हर माह मीटर में 0 खपत दर्ज हैं। अतः आवेदिका का मीटर 13 फरवरी 2017 तक सही कार्य कर रहा था। इसके पश्चात मीटर खराब होना पाया गया। दिनांक 03.04.2017 को पुराना (खराब मीटर रीडिंग 12310 पर) हटाकर नया मीटर 00040 रीडिंग पर लगाया गया। नया मीटर लगाने की पुष्टि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन में भी की गई हैं एवं अनावेदक द्वारा भी नये मीटर में दर्ज खपत माह अगस्त 2017 में रीडिंग 594 एवं खपत 592 यूनिट से होती हैं। अनावेदक को माह अप्रैल 2017 का विद्युत बिल विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 8 की कण्डिका 8.35(ब) के अनुसार मीटर खराब होने पर मीटर खराब होने के पूर्व तीन माह की खपत का औसत लेकर माह अप्रैल 2017 का विद्युत बिल जारी करना था, जो अनावेदक द्वारा नहीं किया गया एवं 200 यूनिट आंकलित खपत लगाकर विद्युत देयक दिया गया। इसके पश्चात माह मई 2017, जून 2017 एवं जुलाई 2017 के विद्युत देयक मीटर में दर्ज खपत के अनुसार जारी करना था, जो कि अनावेदक द्वारा नहीं किये गये। अनावेदक का यह कृत्य सेवा में कमी को दर्शाता हैं।

प्रकरण में आवेदिका की ओर से फोरम के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु लगातार दिये गये तीन अवसर दिनांक 12.10.2017, 09.11.17 एवं 07.12.2017 को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग(उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना)(पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 के अध्याय 3 उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण के लिये फोरम हेतु दिशा निर्देश की कण्डिका 3.25 (ग), जहॉ शिकायतकर्ता फोरम के समक्ष सुनवाई की दिनांक को उपस्थित रहने में असफल रहता हैं तो ऐसी दशा में फोरम या तो शिकायत को अनुपस्थिति–दोष के लिये खारिज कर सकेगा या इसे गुण दोषों के आधार पर विनिश्चित कर सकेगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण के गुण–दोषों के आधार पर विवेचना उपरांत फोरम इस निष्कर्ष पर पहुंचा हैं कि माह अप्रैल 2017, मई 2017, जून 2017, जुलाई 2017 एवं अगस्त 2017 में जारी आंकलित खपत के विद्युत देयकों को निरस्त करता हैं एवं माह

जनवरी 2017 के बिल में लगाई गई 100 यूनिट आंकलित खपत के बिल को भी निरस्त करता हैं। अनावेदक को निर्देशित किया जाता हैं माह जनवरी 2017 का विद्युत देयक मीटर में दर्ज खपत 10 यूनिट लेकर देयक संशोधित करें।

माह अप्रैल 2017 का विद्युत देयक मीटर खराब होने के पूर्व दर्ज खपत 3 माह, मार्च 2017, फरवरी 2017 एवं जनवरी 2017 की क्रमशः 222, 88 एवं 10 यूनिट का औसत 107 यूनिट औसत खपत लेकर संशोधित विद्युत बिल जारी करें।

माह मई 2017, जून 2017, जुलाई 2017 एवं अगस्त 2017 के विद्युत देयक नये मीटर में दर्ज इक्टठी खपत माह अगस्त 2017 में 592 यूनिट को उपरोक्त 4 माहों में विभाजित कर 148 यूनिट प्रतिमाह खपत लेकर विद्युत देयक संशोधित करें। विद्युत देयक संशोधन उपरांत आवेदिका को दी जाने वाली क्रेडिट, पूर्व में दी गई क्रेडिट को कम करते हुए दी जायें एवं उपरोक्त माहों में आंकलित खपत के जारी विद्युत बिलों की भुगतान की गई राशि को संशोधन उपरांत जारी किये जाने वाले विद्युत बिलों में समायोजित की जायें।

इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण कर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर फोरम को प्रस्तुत करें । अतः प्रकरण निर्णीत होने के कारण समाप्त किया जाता है ।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 15/12/2017
स्थान : भोपाल

(एस.एस. मंडलोई) **(आर.के लढ़िया)** **(राजीव अग्रवाल)**
सदस्य(अभियांत्रिकी) **सदस्य(राजस्व एवं लेखा)** **अध्यक्ष**

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 846–47 भोपाल, दिनांक 15.12.2017

प्रति,

श्रीमती विमला भटनागर पत्नी श्री वीरेन्द्र भटनागर
झूलेलाल मंदिर के पीछे, माधोगंज
लश्कर, ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 15 / 12 / 2017के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–34 / 2017) दिनांक19.09.2017 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 15 / 12 / 2017 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक, शहर संभाग(दक्षिण), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.) – लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–34 / 2017 दिनांक 19.09.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 15 / 12 / 2017 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युतउपभोक्ताशिकायतनिवारणफोरम

(भोपाल एवंग्वालियर क्षेत्र)

पुरानापावरहाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल–ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 037/2017

17.10.2017

श्रीमतीप्रेमवतीकुशवाहपत्नी स्व. शिशुपालकुशवाह,
कोधरियोंकामोहल्ला, , **(आवेदक)**
वीरपुर, ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, दक्षिण), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आजदिनांक16.12.2017 कोपारितकियागया।

1. आवेदिका ने, अपनेविद्युतकनेक्शन के संबंध में यहआवेदन, विद्युतअधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहतप्रस्तुतकियाहै।

2. आवेदिका के इसआवेदनकोफोरम द्वाराप्रकरणक्रमांक जी.टी/37दिनॉक 17.10.17 कोपंजीकृतकरदिनॉक 09.11.17 एवं 07.12.17कोसुनागया।

3. प्रकरणमेंउभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थितहोकरअपनापक्ष रखा।

4. **आवेदककाकथन** :–आवेदिका ने अपनीशिकायत के संदर्भमेंकथन एवंआवेदनप्रस्तुतकरबतायाकिमैंअशिक्षितविधवागरीबीरेखामें जीवन यापनकरनेवालीमहिलाहूँ।मैंबिजलीकादुरूपयोगनहींकरतीहूँमेराछोटामकान व परिवारहै।मैंविधवापेंशनसेअपनेपरिवारकाभरणपोषणकरतीहूँ।बिजली की चोरीनहींकरतीहूँ।मैंमाहजनवरी 17 सेजुलाई 17 तकआंकलित खपत व अन्य उचितबिलज्ञान के अभावमेंनियत समय परजमाकरतीरहीहूँ।श्रीमानजीमाहअगस्त 17 के बिलमेंवर्तमानरीडिंगकोईनहींलिखी।मीटर खपत 2453 यूनिट + 300 यूनिटआंकलित खपतका रूपये 23554/–का

(एस.एस. मंडलोई) **(आर.के लढ़िया)** **(राजीव अग्रवाल)**

दियागयाथा, जोपूर्णअनुचितथा।उसमेंसुधारकर रूपये 16853/–काकरदिया, वहभीअनुचितथा।इसलियेमैंनेजमानहींकिया।श्रीमानजीगततीनमाहपूर्वडी.पी. मेंफैलहोने के कारणमेरामीटर बंद होगयाथा।मुझसे रूपये1375/–दिनांक07.07.17 कोजमाकराकरलगभग एक माह के भीतरमेरे यहॉनयामीटरलगादियागयाथा।आजदिनांककोमीटर की रीडिंग 103 यूनिटहैं।श्रीमानजीदिनांक29.09.2017 कोऑनस्पाटबिलमीटररीडिंगका न बनाकर 951 यूनिटअसिसटेटका + पूर्वअगस्त 17 कोअनउचितबिल रूपये 24342/– दे दियागयाहै।अतः श्रीमानजी, मीटररीडिंगकाउचितसुधारकरबिलदियाजावें, जिसेमैंअंतिमतिथि 23.10.17 तकजमाकरसकूॅ।

5. **अनावेदककाकथन** :–अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भमेंदि. 07/12/17 कोकथन एवंजवाबप्रस्तुतकरबतायाकिमाननीय फोरम के निर्देशानुसारमीटररीडिंगबुकतथामीटरबदलने के प्रपत्रानुसारजिसमें 12938/–कोक्रेडिटसमायोजनकरबिलपत्र के साथसंलग्नकरमहोदय के समक्ष प्रस्तुतहैं।

6. **फोरम द्वारा की गईसमीक्षा एवंनिर्णय** :–आवेदिका ने प्रकरणमेंफोरम के समक्ष उपस्थितहोकरकथनकिया ि कवह विधवा एवंगरीबीरेखा के नीचे जीवन यापनकररहींहै।उसकेविद्युतबिलमाहजनवरी 2017 सेजुलाई 2017 मेंआंकलित खपत के बिलदियेगयेहैं।उनकोमीटरमेंदर्ज खपत के अनुसारसंशोधितकरदियेजाये, ताकिवहउनकाभुगतानकरसकें।

अनावेदक ने फोरम के समक्ष कथनकियाकिउपभोक्ताकामीटरजलने के कारणमाहजुलाई 2017 मेंमीटर की कीमतजमाकरवाने के बादबदलागया।इससेपूर्वमेंउपभोक्ता की रीडिंग 4103 दर्ज की गईतथामीटरकापूर्ववाचन 1650–4103 = 2453 यूनिटइकठ्ठी खपतकाबिलजारीकियागया।उपभोक्ता की शिकायतपरइकठ्ठीआई खपतकोजून 2016 सेअगस्त 2017 तक 15 माहोंमें सम विभाजितकरकेविद्युतबिलसंशोधितकियेगयेजिसमें 6975/– रूपये की क्रेडिटसमायोजनकाबिलसंशोधितकरदियागयाहैं।

दिनांक 07.12.2017 कोअनावेदक ने फोरम के समक्ष कथनकियाकिउपभोक्ताकोमीटरबदलते समय अंतिम (F.R.)रीडिंग, पुरानेमीटर की गलतरीडिंगदर्जहोने के कारणगलतबिलजारीहुआ, जिसेसंशोधितकरतेहुए रूपये 6975 + 12938 = 19913 रूपये की क्रेडिटसमायोजनकरकेसंशोधितबिल रूपये 3884/–काउपभोक्ताकोदियागया।

(एस.एस. मंडलोई) (आर.के लढ़िया) (राजीव अग्रवाल)

आवेदिका ने प्रकरणमेंउनकीशिकायत के निराकरणमेंफोरम के समक्ष कथनकियाकिउनके विद्युतबिलोंमेंलगाईगईआंकलित खपतकोहटाकरमीटरमेंदर्ज खपत के अनुसारविद्युतदेयकसंशोधितकरउनकीशिकायतकानिराकरणकरदियागयाहैं।औरअनावेदक द्वारा उनके बिलसंशोधितकरदियेगयेहैं, जिससेवहसहमतहैं।

आवेदिका एवंअनावेदक द्वाराप्रकरणमेंप्रस्तुतदस्तावेजोंतथाफोरम के समक्ष कियेगयेकथनों की विवेचनाकरनेपर यह पायागयाकिअनावेदक द्वाराआवेदिका के मीटर की वाचन 17 फरवरी 2016 तकअनावेदकद्वारानियमित की गईतथाइससेपूर्वसभीविद्युतदेयकमीटरमेंदर्ज खपत के अनुसारजारीकियेगये, जिनकाभुगतानभीआवेदिका द्वाराकियाजातारहाहैं। 17 फरवरी 2016 के पश्चातअनावेदक द्वाराप्रतिमाहनियमितमीटरवाचननहींकियागयातथाआवेदिकाकोकभी–कभीआंकलित खपत एवंकभीमीटरमेंदर्ज खपत के विद्युतदेयकअप्रैल 2016 सेअगस्त 2017 तकजारीकियेजातेरहेंहैं, जबतककिमीटर खराब/जलने की रिपोर्ट न प्राप्तहुईहोंतथाआंकलित खपत के बिलोंकाभुगतानभीआवेदिका द्वाराकियाजातारहा।आवेदिका द्वारामीटर खराबहोनेपरमीटर की कीमतजमाकरने के उपरांतअनावेदक ने आवेदिकाकाजलामीटरक्रमांक 3488221 दिनांक 20.07.2017 कोबदला एवंनयामीटरक्रमांक 00066105, आरंभिकरीडिंग 0001 परलगायागया।इस समय पुरानेमीटरमेंरीडिंग 1335 पाईगई।अतः पुरानेमीटरमेंआंतिमरिडिंगसहीदर्ज न होने के कारणमात्र रू.6975/– की क्रेडिटआवेदिकाकोदीगईथी।अनावेदक द्वारापुनः माहअगस्त 2017 काविद्युतदेयक 150 यूनिटऔसतलेकरसंशोधितकरने के उपरांतराशि रू.12938/– की क्रेडिटआवेदिकाकोदीगईहै।आवेदिकाकोकुलक्रेडिट 6975 + 12938 = 19913/– रूपयेदेतेहुये रू 3836/–काविद्युतदेयकजारीकियागयाहै।जोकिन्याय संगत एवंविधि अनुसारहै।आवेदिका की शिकायतनिराकृतहोकरप्रकरणसमाप्तकियाजाताहै।

पालनप्रतिवेदनआदेशप्राप्तिदिनांकसे 15 दिवस के अन्दरफोरमकोप्रस्तुतकरें । अतः प्रकरणनिर्णीतहोने के कारणसमाप्तकियाजाताहै ।

दोनोंपक्षोंकोइसआदेश की प्रति, नियमानुसारनिःशुल्कभेजीजाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 16/12/2017
स्थान : भोपाल

(एस.एस. मंडलोई) **(आर.के लढ़िया)** **(राजीव अग्रवाल)**
सदस्य(अभियांत्रिकी) **सदस्य(राजस्व एवंलेखा)** **अध्यक्ष**

उपभोक्ताशिकायतनिवारणफोरम

(भोपाल एवंग्वालियर क्षेत्र)

पुरानापावरहाऊस, चांदबड़, भोपाल
(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल–ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 863–64 भोपाल, दिनांक28.12.2017

प्रति,

श्रीमतीप्रेमवतीकुशवाहपत्नी स्व. शिशुपालकुशवाह,
कोधरियोंकामोहल्ला,
वीरपुर, ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक16 / 12 / 2017के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकीशिकायत (प्रकरण क्रमांकजी.टी.–37 / 2017)दिनांक17.10.2017 कानिराकरणविद्युतउपभोक्ताशिकायतनिवारणफोरम, भोपाल द्वारादिनांक16 / 12 / 2017 कोकियाजाचुकाहैं।फोरम द्वारापारितनिर्णय की प्रतिइसपत्र के साथसंलग्नकरनिःशुल्कप्रेषित की जारहीहैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक, शहरसंभाग(दक्षिण), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.) –लेख हैंकिप्रकरणक्रमांकजी.टी.–37 / 2017 दिनांक 17.10.2017 मेंफोरम के निर्णय दिनांक16 / 12 / 2017 इसपत्र के साथसंलग्नकरआपकीओरप्रेषित की जारहीहैं।आपसेअनुरोध हैंकिफोरम द्वारापारितनिर्णय कापालनप्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांकसे 15 दिवस की अवधि मेंसंबंधितकोअवगतकरातेहुए उसकी एक प्रतिफोरमकोभीप्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 041/2017

17.10.2017

श्रीरामसिंह पुत्र श्री पतीराम कुशवाह,
शंकर कॉलोनी,
लश्कर, ग्वालियर, 474011 (म.प्र) **(आवेदक)**

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग दक्षिण),
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.) **(अनावेदक)**

आदेश

आज दिनांक 18.12.2017 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/41दिनॉक 17.10.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 09.11.17 एवं 07.12.17 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :-**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में प्रार्थी का निवेदन निम्नानुसार हैं:-

25 अगस्त 2014 से दिसम्बर 2016 तक 3598 यूनिट आंकलित खपत आरोपित की गई हैं। इस समय प्रार्थी के मीटर के डिस्प्ले में रीडिंग नहीं आ रही थी, जबकि मीटर गारंटी पीरियड में था। नया मीटर बदलने पर पुराने मीटर के लेब में चैक किये जाने पर 1715 यूनिट रीडिंग बिल में और दर्शायी गई एवं इस 1715 यूनिट रीडिंग का आंकलित खपत के भुगतान के बावजूद दिया गया। इस वजह प्रार्थी पर विद्युत व्यय का डबल भार

पड़ रहा हैं और नियत प्रभार विद्युत शुल्क आदि का भार भी बढ़ गया हैं। इस अवधि में प्रार्थी के द्वारा 23273/– रूपये के बिल का भुगतान भी किया गया एवं जबकि अभी 11407/– रूपये का कंपनी द्वारा बिल जुलाई माह में और जारी कर दिया गया जबकि प्रार्थी द्वारा समय समय पर आंकलित खपत का विरोध कंपनी कार्यालय में लिखित रूप में कई बार किया गया हैं, परन्तु कोई सुनवाई न होने से व्यथित होकर आपको न्याय दिलाने हेतु प्रार्थना कर रहा हूॅ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास हैं कि प्रार्थी पर आपके द्वारा न्याय किया जायेगा। अतः आपसे अनुरोध हैं कि प्रार्थी को इस संकट से मुक्त करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें।

5. **अनावेदक का कथन** :–अनावेदक द्वाराफोरम को लिखित में कथन किया गया कि उपभोक्ता की विद्युत बिल की शिकायत का अवलोकन करने पर पाया कि माह 3/2017 में उसकी इकठ्ठी खपत 1715 यूनिट दर्ज होकर इकठ्ठा बिल आया था तथा पूर्व में उक्त कनेक्शन के बिल में आंकलित खपत की बिलिंग हुई थीं। उपभोक्ता की शिकायत के निराकरण में इकठ्ठी दर्ज खपत को माह 3/16 से 3/17 के मध्य Bifurcate करते हुए तथा आंकलित खपत की राशि को समायोजित करते हुए रूपये (–) 10143/– का समायोजन माह 03/17 में कर दिया गया हैं तथा उसके बाद उपभोक्ता को मीटर वाचन के आधार पर वास्तविक खपत के बिल जारी हो रहे हैं। वर्तमान में उपभोक्ता का बिल सही हैं। अतः कृपया प्रकरण समाप्त करने की कृपा करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय** :–प्रकरण में अनावेदक प्रतिनिधि श्रीमती शकून कुशवाह, जो आवेदक की पत्नी हैं, द्वारा कथन किया गया कि मैने एक साल मार्च 2016 से मार्च 2017 तक विद्युत बिल नहीं भरा। इसी दौरान फरवरी 2017 में मेरी विद्युत लाईन काट दी गई तथा मैंने रूपये 500/– माह फरवरी 2017 में जमा किये थें एवं मेरी विद्युत लाईन जोड़ दी गई थी। मेरी लाईन माह जून 2017 में फिर काट दी गई एवं रूपये 400/– जमा करने पर पुनः लाईन जोड़ दी गई। मैंने मार्च 2017 में सिकन्दर कंपू जोन में आंकलित खपत को हटाने के लिये आवेदन दिया था, जिसका संशोधित बिल मुझे दिया जावें। मेरे आंकलित खपत के बिल मार्च 2016 से मार्च 2017 तक के बिलों में लगाई गई आंकलित खपत को हटाकर संशोधित बिल दिया जावे, ताकि वह अपने विद्युत बिलों का भुगतान कर सकें।

अनावेदक ने कथन किया कि उपभोक्ता के मीटर रीडिंग माह मार्च 2017 में 1715 यूनिट इकठ्ठी दर्ज हुई, जिसका विद्युत बिल उपभोक्ता को जारी हुआ। उपभोक्ता की शिकायत पर प्रकरण में जॉच करने पर पाया गया कि उपभोक्ता का मीटर फरवरी 2016

में बदला गया है, किन्तु उपभोक्ता को नये मीटर की खपत के अनुसार बिल जारी नहीं हुए एंव माह मार्च 2017 में इकठ्ठी यूनिट का बिल दिया गया। अतः शिकायत के निराकरण में उपभोक्ता की सम्पूर्ण खपत माह फरवरी 2016 से फरवरी 2017 तक सम विभाजित करते हुए बिल में संशोधन किया गया हैं, जिसमें रूपये 10143/– का क्रेडिट समायोजन किया गया। इस तरह उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं।

दिनांक 07.12.2017 को आवेदक प्रतिनिधि ने फोरम के समक्ष कथन किया कि जुलाई 2014 से मीटर खराब था, जो कि फरवरी 2016 तक मीटर बदलने तक हर माह उक्त अवधि में लगाई गई आंकलित खपत को हटाकर नियमानुसार मीटर बंद होने पर ली जाने वाली आंकलित खपत लेकर विद्युत देयक संशोधित किये जावें तथा उक्त अवधि में आंकलित खपत की राशि को बिल संशोधित किये जाने के बाद भुगतान किये जाने वाली राशि में समायोजित की जावें। शेष माह फरवरी 2016 में मार्च 2017 तक मीटर में दर्ज खपत अनुसार संशोधित बिलों से आवेदिका सहमत हैं। अतः उपरोक्तानुसार मेरे विद्युत देयक संशोधित कर दिये जावें, ताकि मैं बिजली के बिल का भुगतान कर सकूँ।

प्रकरण में आवेदिका एवं अनावेदक द्वारा फोरम की समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि आवेदिका के विद्युत मीटर में डिस्प्ले 25 जून 2014 को 1760 रीडिंग के बाद बंद हो गया, जिसकी पुष्टि मीटर रीडिंग डायरी एवं उपभोक्ता पासबुक से होती हैं। माह अगस्त 2014 से मई 2015 तक अनावेदक ने आवेदिका को प्रति माह औसत खपत लगभग 106 यूनिट होती हैं, लगाकर विद्युत देयक जारी किये गये हैं, जो कि विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 8 की कण्डिका 8.35 (ब) के अनुसार हैं। अतः फोरम इस मान्य करता हैं। माह जून 2015 से फरवरी 2016 तक 9 माह में लगाई गई आंकलित खपत नियमानुसार न होने एवं अधिक होने के कारण इसे फोरम निरस्त करता हैं एवं नये मीटर में दर्ज खपत के तीन माह की औसत के अनुसार प्रति माह 133 यूनिट औसत खपत लेकर आवेदिका के विद्युत बिल संशोधित करना था, जो कि अनावेदक द्वारा नहीं किये गये। शिकायत का शेष भाग मीटर स्थापना के बाद माह मार्च 2016 से मार्च 2017 तक नये मीटर में दर्ज इकठ्ठी खपत को बराबर 13 माहों में विभाजित कर आवेदिका के विद्युत देयक को संशोधित कर रूपये 10143/– की क्रेडिट आवेदिका को दी जा रही हैं। ऐसा अनावेदक ने स्वीकार किया हैं, जो नियमानुसार हैं।

7. **फोरम का निर्णयः**–अनावेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि वह आवेदिका के विद्युत देयक माह जून 2015 से फरवरी 2016 तक 9 माह के प्रतिमाह औसत 133 यूनिट खपत

लेकर संशोधित करें एवं माह जून 2015 से मार्च 2017 तक की अवधि में जारी आंकलित खपत के बिलों के भुगतान की राशि को संशोधन उपरांत भुगतान की जाने वाली राशि में समायोजित कर संशोधित विद्युत देयक जारी करें।

इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण कर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर फोरम को प्रस्तुत करें । अतः प्रकरण निर्णीत होने के कारण समाप्त किया जाता है ।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 18 / 12 / 2017
स्थान : भोपाल

(एस.एस. मंडलोई) **(आर.के लढ़िया)** **(राजीव अग्रवाल)**
सदस्य(अभियांत्रिकी) **सदस्य(राजस्व एवं लेखा)** **अध्यक्ष**

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 854–55 भोपाल, दिनांक 18.12.2017

प्रति,

श्री रामसिंह पुत्र श्री पतीराम कुशवाह,
शंकर कॉलोनी,
लश्कर, ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 18 / 12 / 2017के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–41 / 2017) दिनांक17.10.2017 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 18 / 12 / 2017 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक, (शहर संभाग, दक्षिण), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.) – लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–41 / 2017 दिनांक 17.10.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 18 / 12 / 2017 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 042/2017

17.10.2017

श्रीमती रमादेवी चौहान पत्नी श्री होशियार सिंह,
उपयोगकर्त्ता श्री राजेश चौहान, **(आवेदक)**
गुढ़ागुढ़ी का का नाका, लश्कर, ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग दक्षिण), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 18.12.2017 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/41दिनॉक 17.10.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 09.11.17 एवं 07.12.17 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक की ओर से शिकायत आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत हैं:–

(1) यह कि शिकायतकर्त्ता की मॉ रमा देवी चौहान के नाम से एक घरेलू विद्युत कनेक्शन बिजली कंपनी द्वारा प्रदान किया गया हैं, जिसका सर्विस क्रमांक 2424305–47–3–8988862000 हैं। शिकायतकर्त्ता की मॉ रमा देवी चौहान का देहान्त हो जाने के पश्चात वर्तमान में उपरोक्त विद्युत कनेक्शन का उपयोग शिकायतकर्त्ता श्री राजेश चौहान कर रहा हैं।

(एस.एस. मंडलोई) **(आर.के लढ़िया)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

(2) यह कि बिजली कंपनी के कर्मचारियों द्वारा विगत डेढ़ वर्ष से मीटर की रीडिंग नहीं ली जा रही थीं, इस कारण शिकायतकर्त्ता को आंकलित खपत के आधार पर विद्युत बिल भेजे जा रहें थें। शिकायतकर्त्ता जिनका भुगतान नियमित रूप से करता चला आ रहा था। शिकायतकर्त्ता द्वारा प्रत्येक माह रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल भेजे जाने बाबत् मौखिक व लिखित शिकायत बिजली कंपनी के कार्यालय पर की गयी, परन्तु बिजली कंपनी ने फिर भी शिकायतकर्त्ता को रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल नहीं दिये गये।

(3) यह कि शिकायतकर्त्ता को करीब डेढ़ वर्ष पश्चात रीडिंग के आधार पर माह जून 2017 का विद्युत बिल 4736 यूनिट का 40,932/– रूपये(चालीस हजार नौ सौ बत्तीस) का भेजा गया।

(4) यह कि शिकायतकर्त्ता द्वारा उक्त माह के विद्युत बिल के संबंध में शिकायत करने के बावजूद भी विजली कंपनी द्वारा शिकायतकर्त्ता द्वारा 1 जनवरी 2016 से मई 2017 तक जमा विद्युत बिल राशि को जून 2017 में दिये गये विद्युत बिल की राशि 40,932/– रूपये में से न घटा कर 50,605/– रूपये में से घटाया गया हैं, जो गलत हैं तथा शिकायतकर्त्ता का उक्त विद्युत बिल सही प्रकार से सुधार नहीं किया हैं।

(5) यह कि उक्त शिकायत का निवारण माननीय फोरम के क्षेत्राधिकार में होने से माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत हैं। अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि शिकायतकर्त्ता की शिकायत स्वीकार कर विपक्षी को आदेशित किये जावें कि :–

1. बिजली कंपनी शिकायतकर्त्ता को 1 जनवरी 2016 से मई 2017 तक जमा किये गये अनुमानित विद्युत बिलों की जमा राशि को माह जून 2017 में जारी किये गये विद्युत बिल 40,932/– रूपये में समायोजन कराया जाकर संशोधित बिल बिजली कंपनी से दिलाया जावें।
2. अन्य सहायता, जो माननीय फोरम उचित समझें, दिलायी जावें।

5. अनावेदक का कथन :–अनावेदक द्वाराफोरम को लिखित में कथन किया गया कि उपभोक्ता श्रीमती रमा देवी पत्नी श्री होशियार सिंह, पता गुढ़ागुढ़ी का नाका, लश्कर ग्वालियर सर्विस कनेक्शन क्र. 47–3–89888620000 के विद्युत बिल में माह जून 2016 से जून 2017 तक बिल में एकत्रित रीडिंग में से पूर्व में की मई आंकलित खपत को घटाकर उपभोक्ता के बिल से रूपये 19,236/– क्रेडिट कर दी हैं। उपभोक्ता के परिसर में चैक करवाने पर 13435 रीडिंग पाई गई, जबकि बिल में 14758 रीडिंग का बिल जारी किया गया था। बिल को पूर्ण निरीक्षित कर आंकलित खपत हटाने पर रूपये 27038/– की क्रेडिट कर दी गई हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि प्रकरण को निरस्त करने की कृपा करें।

(एस.एस. मंडलोई) (आर.के लढ़िया) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में आवेदिका प्रतिनिधि श्री आनंदवर्धन राजपूत अधिवक्ता ने फोरम के समक्ष कथन किया माह फरवरी 2016 में 7144 रीडिंग ली गई थी, इसके पश्चात रीडिंग न लेकर आंकलित खपत लगाकर विद्युत बिल मई 2017 तक दिये गये, जिनका भुगतान किया गया। जून 2017 में इकठ्ठी रीडिंग 11880 लेकर 4736 यूनिट का बिल राशि रूपये 40932/– का दिया गया। जिसके विरूद्ध रूपये 31565/– पूर्व में जारी आंकलित खपत के बिलों में जमा किये जा चुके हैं। जुलाई 2017 से नवम्बर 2017 तक 1485 यूनिट का उपयोग किया गया हैं, जो मीटर में दर्ज हैं, का बिल राशि रूपये 65212/– का दिया गया हैं। अतः मुझे मेरे बिलों में लगाई गई आंकलित खपत माह फरवरी 2016 से मई 2017 तक को हटाकर मीटर में दर्ज खपत के अनुसार संशोधित कर दिया जावें एवं पूर्व में जमा राशि को समायोजित कर संशोधित बिल दिया जावें, ताकि मैं इसका भुगतान कर सकूॅ। मुझे बिल भुगतान के लिये किश्त की जावें, ताकि भुगतान करने में सुविधा होगी।

अनावेदक द्वारा शिकायत के जवाब में प्रस्तु ऑफिस नोट के अनुसार जनवरी 2016 से जून 2017 तक बिल में इकठ्ठी रीडिंग आने के उपरांत बाईफरकेट कर आंकलित खपत हटाकर बिल संशोधित कर राशि रूपये 19239/– की क्रेडिट कर दी गई थीं। अक्टूबर माह में रूपये 40932/– का बिल दिया गया, इसके बाद में उपभोक्ता द्वारा विद्युत बिल जमा नहीं किया गया था। उपभोक्ता के परिसर में चैक करने पर मीटर में 13435 रीडिंग पाई गई, जबकि बिल में 14758 रीडिंग आ रही थीं। अतः बिल संशोधित कर बढ़ी हुई रीडिंग सुधार कर सितम्बर एवं अक्टूबर 2017 में आंकलित खपत हटाने के बाद बिल संशोधित कर राशि रूपये 27039/– की क्रेडिट कर दी गई हैं एवं राशि रूपये 11458/– की क्रेडिट और दी जाना हैं।

आवेदिका एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवंकिये गये कथनों की विवेचना उपरांत यह पाया गया कि अनावेदक ने आवेदिका के विद्युत मीटर की रीडिंग माह जनवरी 2016 से मई 2017 तक न लेकर आंकलित खपत के विद्युत देयक जारी किये जाते रहें। माह जून 2017 में इकठ्ठी रीडिंग लेकर 4736 यूनिट का विद्युत बिल राशि रूपये 40430/– एवं विद्युत खपत 2538 यूनिट का विद्युत बिल राशि रूपये 22191/– का जारी किया गया, जबकि अनावेदक को प्रतिमाह आवेदिका के विद्युत मीटर की रीडिंग लेकर मीटर में दर्ज विद्युत खपत के विद्युत देयक जारी किये जाने थें, किन्तु अनावेदक द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जो कि अनावेदक की सेवा में कमी को दर्शाता हैं।

अनावेदक ने आवेदिका को जारी आंकलित खपत के विद्युत देयक माह जनवरी

2016 से मई 2017 तक के विद्युत देयकों में से आंकलित खपत हटाकर माह जून 2017 में इकठ्ठी खपत मीटर में दर्ज रीडिंग 11880 एवं खपत 4736 यूनिट को उपरोक्त माह जनवरी 2016 से जून 2017 तक के माह में विभाजित कर विद्युत देयक संशोधित करने के बाद रूपये 19238/– की क्रेडिट आवेदिका को दे दी गई। माह सितम्बर 2017 एवं अक्टूबर 2017 के विद्युत देयक की मिनीमम खपत लेकर संशोधन उपरांत कुल राशि रूपये 27039/– की क्रेडिट माह अगस्त 2017 से नवम्बर 2017 तक के विद्युत देयकों को संशोधन उपरांत दी जाने योग्य हैं, मे से राशि रूपये 15581/– की क्रेडिट माह अगस्त 2017 के संशोधित बिल में दे दी गई हैं तथा शेष राशि रूपये 11458/– की क्रेडिट माह नवम्बर 2017 के विद्युत देयक में दी गई हैं, जो नियमानुसार एवं न्याय संगत हैं, जिसकी पुष्ठि फोरम के समक्ष प्रस्तुत विद्युत देयक से होती हैं, जिस पर आवेदिका के पुत्र श्री राजन सिंह चौहान ने फोरम के समक्ष शिकायत के निराकरण पर सहमति प्रकट की एवं निवेदन किया कि संशोधन उपरांत उन्हें जारी विद्युत देयक को किश्तों में भुगतान करने की अनुमति दी जावें। अनावेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि आवेदिका को संशोधन उपरांत जारी विद्युत देयकों को किश्तों में भुगतान करने की नियमानुसार सुविधा दी जावें।

इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण कर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर फोरम को प्रस्तुत करें । अतः प्रकरण निर्णीत होने के कारण समाप्त किया जाता है ।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 18/12/2017
स्थान : भोपाल

(एस.एस. मंडलोई) **(आर.के लढ़िया)** **(राजीव अग्रवाल)**
सदस्य(अभियांत्रिकी) **सदस्य(राजस्व एवं लेखा)** **अध्यक्ष**

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 854–55 भोपाल, दिनांक 18.12.2017

प्रति,

श्रीमती रमादेवी चौहान पत्नी श्री होशियार सिंह,
उपयोगकर्त्ता श्री राजेश चौहान,
गुढ़ागुढ़ी का नाका, लश्कर, ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 18 / 12 / 2017के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–41 / 2017) दिनांक17 / 10 / 2017 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 18 / 12 / 2017 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक, (शहर संभाग, दक्षिण), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.) – लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–41 / 2017 दिनांक 17 / 10 / 2017 में फोरम के निर्णय दिनांक18 / 12 / 2017 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 043/2017

17.10.2017

श्री मंगतू राम(सुरेश गर्ग),
आर्मी बजरिया–2, बटालियन के सामने, **(आवेदक)**
कंपू, लश्कर, ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग दक्षिण), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 20.12.2017 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/43दिनॉक 17.10.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 09.11.17 एवं 07.12.17 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के मीटर की रीडिंग माह अप्रैल 2017 से आज दिन तक नही ली गई है। जबकि प्रार्थी का मीटर आर्मड केबिल द्वारा परिसर के बाहर लगा हुआ है। मीटर रीडर से बिल मागने पर मीटर बिल नही दिया जा रहा है। वर्तमान में 24.07.2017 को मीटर की रीडिंग 10105 है। जब की मीटर चालू है। रीडर द्वारा रीडिंग बिल में 9365 दी जा रही है जो कि गलत है। अतः प्रार्थी इक्ट्ठी 740 यूनिट का बिल भरने में असमर्थ है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है। कि प्रार्थी की 740 यूनिट को वायफर केट करने की आज्ञप्रदान करें एवं बिल

(एस.एस. मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

की जो भी राशि हो उस का चार किस्तों में करने की कृपा करे। प्रार्थी का सर्विस नं. 2424305–63–10–9417172000 कम्पू डिवीजन है। दिनांक 25.07.2017 को कंपू जोन पर रीडिंग न लेने व बिल न देने की सूचना दी थीं, जिसका आज दिन तक कोई निराकरण नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा कई बार ए.ई. साहब एवं जे. ई. साहब से भी मिला, फिर भी श्रीमान जी द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया और न ही बिल ठीक करके दिया गया। अतः श्रीमान जी से अनुरोध हैं कि प्रार्थी को ड्यू डेट (बिल भरने की अंतिम तारीख) से पहले बिल देने की आज्ञा प्रदान करें, जिससे प्रार्थी अंतिम तारीख से पूर्व बिल का भुगतान कर सकें। अंतिम तारीख के उपरांत बिल प्राप्त होने पर प्रार्थी सरचार्ज भरने में असमर्थ रहेगा।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा फोरम को लिखित में कथन किया गया कि उपभोक्ता श्री मंगतू राम, सर्विस कनेक्शन क्र. 63–10–8904669746 का कनेक्शन कम्प्यूटर त्रुटि से पीडीसी हो गया था। इस हेतु उपभेक्ता को दूसरा नंबर 63–10–941772000 दिया गया था, जिसके कारण 795 रीडिंग आ गई, जो तीन माह की थी, जिसे तीन माह में विभाजित कर राशि 495/– रूपये का समायोजन उपभोक्ता के देयक में कर दिया गया हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि प्रकरण को निरस्त करने की कृपा करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**आवेदक श्री सुरेश गर्ग/मंगतूराम ने फोरम के समक्ष कथन किया कि मेरे विद्युत कनेक्शन के विद्युत बिल माह अप्रैल 2017 तक पूरा जमा हैं। माह मई 2017 में मेरे घर पर मीटर की रीडिंग लेने श्री श्रीवास्तव जी आये, उन्होंने मेरी पत्नी को विद्युत बिल दिया और बोले कि आप कुछ सेवा करों और 100 रूपये की मांग करने लगे। मेरी पत्नी बोली, लेन–देन भाई साहब ही करते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। मीटर रीडर गुस्सा होकर खंबे से लाईट कटी हुई बताकर झूठी रिपोर्ट ऑफिस में दी, जबकि घर की लाईट चालू थीं। मैंने बिजली ऑफिस जाकर सहायक यंत्री जी से मिला। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले महीने बिल ठीक होकर आयेगा। जब मैं अगले महीने गया तो सहायक यंत्री जी को लिखित रूप में एक आवेदन दिया जिस पर कोई निराकरण नहीं हुआ। तीसरे महीने मैंने फिर एक आवेदन दिया तथा साथ में कार्यपालन यंत्री को भी आवेदन दिया गया। फिर भी कोई निराकरण नहीं किया गया। फिर मैं गर्ग साहब से मिला तो गर्ग साहब ने कहा कि मैं तो रिटायर हो गया हैं, मैडम से मिलों । मैं मैडम के पास गया एवं कहा कि मेरे पूर्व में कितने रूपये जमा है और कितने बाकी हैं, उन्हें मैं जमा करने को तैयार हूॅ। मुझे बताया जाए। मैडम ने बताया कि 1670 रूपये जमा हैं और 103 रूपये क्रेडिट होना हैं। फिर मैडम बोलीं कि इसका निराकरण तो गर्ग साहब हीकर पायेंगे। मेरे द्वारा अप्रैल 2017 तक

(एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

पूर्ण भुगतान किया गया था, उसके बाद माह मई 2017 से सितम्बर 2017 तक मुझे कोई बिल नहीं दिया गया। माह अक्टूबी 2017 में मुझे इकठ्ठा रूपये 9076/– का बिल दिया गया हैं। मेरा विद्युत बिल हर माह रूपये 1000/– से 1200/– रूपये का आता हैं, जो लगभग 200 यूनिट प्रतिमाह का आता हैं। अतः 6 माह का लगभग रूपये 7200/– रूपये का बिल होता हैं। मेरे द्वारा पूर्व में रूपये 1773/– अग्रिम जमा किये थें, को कम करते हुए मेरे बिल में सुधार किया जावे तथा जो बिल बाकी हैं, उसे 4 किश्तों में जमा करने को तैयार हूॅ। यही निवेदन हैं।

अनावेदक ने फोरम के समक्ष कथन किया कि उपभोक्ता श्री मंगतूराम का कनेक्शन क्रमांक 8904669745 कम्प्यूटर में त्रुटिवश पी.डी.सी. हो गया था। उपभोक्ता श्री मंगतूराम का विद्युत कनेक्शन दोबारा खोल दिया गया हैं जिसका सर्विस क्रमांक 9417172000 हो गया हैं एवं 795 यूनिट को विभाजित कर उपभोक्ता को 495/– रूपये की क्रेडिट दे दी गई हैं। अतः फोरम से निवेदन हैं कि प्रकरण को समाप्त किया जावें।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम के समक्ष उभय पक्षों द्वारा किये गये कथनों की विवेचना उपरांत यह पाया गया कि कम्प्यूटर की त्रुटिवश स्थाई रूप से कनेक्शन विच्छेदित हो जाने के कारण आवेदक को विद्युत बिल जारी नहीं हो पायें थें। उपभोक्ता का कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित हो जाने के कारण नया सर्विस कनेक्शन क्रमांक 63–10–9417172000 दिया गया था, जिसके कारण 795 रीडिंग मीटर में दर्ज हुई, जो कि तीन माह की थीं, जिसे तीन माहों में विभाजित कर विद्युत देयक संशोधित कर रूपये 495/– की क्रेडिट आवेदक को देकर उनके विद्युत देयकों में समायोजन कर दिया गया हैं।

अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक को समय पर विद्युत देयक प्रदान करें तथा विद्युत देयक को किश्तों में भुगतान करने की सुविधा नियमानुसार दी जावें, ताकि वह उनका भुगतान कर सकें।

इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण कर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर फोरम को प्रस्तुत करें । अतः प्रकरण निर्णीत होने के कारण समाप्त किया जाता है ।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 20/12/2017
स्थान : भोपाल

(एस.एस. मंडलोई)
सदस्य(अभियांत्रिकी)

(राजीव अग्रवाल)
अध्यक्ष

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 865–66 भोपाल, दिनांक 28.12.2017

प्रति,

श्री मंगतू राम(सुरेश गर्ग)
आर्मी बजरिया–2, बटालियन के सामने,
कंपू, लश्कर, ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 20 / 12 / 2017के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–43 / 2017) दिनांक17.10.2017 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 20 / 12 / 2017 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक, (शहर संभाग, दक्षिण), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.) – लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–43 / 2017 दिनांक 17.10.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक20 / 12 / 2017 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 045/2017

17.10.2017

श्रीश्याम पंवार पुत्र श्री ए.जी. पंवार
34–ए, इन्द्रमणी नगर, मेला ग्राउण्ड के पीछे, **(आवेदक)**
लश्कर, ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग पूर्व), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 20.12.2017 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/45दिनॉक 17.10.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 09.11.17 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन** :–आवेदक द्वारा लिखित कथन किया गया कि प्रार्थी का विद्युत कनेक्शन क्रमांक 0859592000 विगत वर्ष 2007 से मकान बंद हैं एवं कनेक्शन काट दिया गया था। नवम्बर 2009 में प्रार्थी द्वारा विद्युत देयक की राशि 3489/– रूपये एवं 200/– रूपये आर.सी.डी.सी. चार्ज जमा कर कनेक्शन चालू करवाया, परन्तु प्रार्थी का उक्त मकान बंद ही रहा। विगत 2007 से सितम्बर 2017 तक के रीडिंग स्टेटस, जो कि 2007 में मीटर वाचन 953 था, वहीं मीटर वाचन सितम्बर 2017 में भी है। प्रार्थी द्वारा सहायक यंत्री थाटीपुर जोन को बिल सुधार हेतु आवेदन दिनांक 11.09.17 को दिया गया,

(एस.एस. मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

जिसमें उनके द्वारा न्यूनतम सुधार किया गया। प्रार्थी उक्त सुधार से संतुष्ट नहीं हैं। प्रार्थी का निवेदन हैं कि विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय क्रमांक 07 की कण्डिका 7.27 के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय बकाया राशि या प्रभारों का भुगतान न करने के कारण या इस संहिता के किसी निर्देश का पालन न करने के कारण आठ दिवस की अवधि तक विच्छेदित रहता हो तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को अनुबंध के समापन के लिये पन्द्रह दिवस का नोटिस जारी करेगा। यदि उपभोक्ता विच्छेदन के कारण को दूर करने के लिये या विद्युत प्रदाय पुनर्स्थापित करने के लिये प्रभावी कदम नहीं उठाता है तो नोटिस की अवधि समाप्त होने के उपरांत अनुज्ञप्तिधारी का अनुबंध समाप्त हो जाएगा। बशर्ते अनुबंध की प्रारम्भिक अवधि समाप्त हो चुकी हों। संयोजन को भी स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जाएगा तथा अन्य उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति को प्रभवित किये बगैर उक्त विशिष्ट त्रुटिकर्ता उपभोक्ता के संयोजन की विद्युत प्रणली(नेटवर्क) से हटा लिया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जाएगा।

एवं कण्डिका 7.28के अनुसार घरेलू या एकल फेज गैर–घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता 15 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध का समापन कर सकते हैं। उपभोक्ता दर्शाई गई श्रेणियों के अलावा अन्य उपभोक्ता अनुबंध के दो वर्ष की प्रांरभिक अवधि के समाप्त होने के बाद एक महीने का नोटिस दे कर अनुबंध का समापन कर सकते हैं। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के अंतिम बिल को बनाने में सुविधा हेतु आपसी सहमति से निश्चित की गई तिथि को विशेष मापयंत्र (मीटर) वाचन लेने की व्यवस्था करेगा। अनुबन्ध का समापन बिलिंग माह की अन्तिम तिथि को किया जाएगा तथा अनुज्ञप्तिधारी तदानुसार अन्तिम देयक भुगतान हेतु तैयार करेगा। अतः प्रार्थी का अनुरोध हैं कि उक्त नियमों में क्रमशः 15 दिवसीय नोटिस के पश्चात स्थाई रूप से विच्छेद किये जाने का प्रावधान हैं, परन्तु उक्त प्रावधान के पश्चात भी मेरा कनेक्शन, जो कि 2009 से पुनः विच्छेदित कर दिया गया था, को कार्यालयीन अभिलेखों में स्थाई रूप से विच्छेदित कर बिलिंग नहीं रोकी गई, चूँकि प्रार्थी उक्त भवन में निवास नहीं करता था, जिस कारण विद्युत देयकों के संबंध में कोई जानकारी नहीं थीं। फलस्वरूप भुगतान न होने की स्थिति में निरंतर सरचार्ज भी लगाया जाता रहा।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कण्डिका क्रमांक 7.27 एवं 7.28 के अनुसार दिसम्बर 2009 डिस्कनेक्शन तिथि से बिलिंग एवं सरचार्ज कम करते हुए बिल में आवश्यक सुधार किया जावें, जिससे प्रार्थी सुधार किये देयक का भुगतान कर सकें।

(एस.एस. मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

5. **अनावेदक का कथन** :–अनावेदक की ओर से दिनांक 07.12.2017 को फोरम के समक्ष लिखित कथन किया गया कि उपभोक्ता श्री श्याम पंवार इन्द्रमणी नगर, मेला ग्राउण्ड के पीछेथाटीपुर के द्वारा अपने विद्युत सर्विस क्रमांक 0859592000 ने की शिकायत के तारतम्य में निवेदन हैं कि उपभोक्ता द्वारा पूर्व में कार्यालय में दिये गये आवेदन के अनुसार कनेक्शन पर लगे माह 2007 से लगे समस्त आंकलित खपत हटाकर बिल सुधार कर दिया गया था। उपभोक्ता द्वारा नवम्बर 2009 से आर.सी.डी.सी. चार्ज जमा कर कनेक्शन चालू करा लिया गया था। उपभोक्ता द्वारा अपने श्किायती आवेदन पत्र में स्वयं इस बात का उल्लेख किया हैं कि विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय क्रमांक 07 की कण्डिका 7.23 में स्पष्ट उल्लेख हैं कि अस्थाई विच्छेदन के दौरान न्यूनतम/मांग प्रभार उपभोक्ता को देने होंगे। चूँकि इस प्रकरण में श्री श्याम पंवार का कनेक्शन अस्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया था तथा मीटर भी उनके परिसर से नहीं निकाला गया था और न ही कोई नोटिस अनुबंध समाप्ति का श्री श्याम पंवार को जारी किया गया था। इस तारतम्य में बिल के सुधार पश्चात उपभोक्ता के देयक से 27.06.2017 को रूपये 4388/– एवं 05.10.2017 को रूपये 9504/– का क्रेडिट कर सी.सी.बी. द्वारा दिया जा चुका हैं। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हैं कि अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के अनुबंध की शर्तों के अनुसार बिल में सुधार कर प्रदान कर चुका है। इस प्रकार उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण पूर्व में ही किया जा चुका हैं एवं नियमों के तहत ही किया गया हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय** :–दिनांक 09.11.2017 को आवेदक स्वयं फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं कथन किया कि मेरे द्वारा वर्ष 2009 में बिल का पूर्ण भुगतान कर दिया था। जब से मेरा मकान खाली पड़ा हैं और उसमें बिजली का भी उपयोग नहीं हो रहा हैं। अब उस खाली मकान में रहने के लिये एवं जो बिजली कटी हुई थीं, को जोड़ने के लिये कंपनी के कार्यालय में सम्पर्क किया तो उनके द्वारा हमे राशि रूपये 35246/– के लगभग का बिल दिया गया। जब हमारे द्वारा निवेदन किया तो उनके द्वारा बिल में आंशिक सुधार कर बिल राशि रूपये 21457/– का बिल दिया गया, जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं। अतः श्रीमान जी फोरम से निवेदन हैं कि मेरे बिल में सही प्रकार से सुधार किया जाये, तो मैं बिल का पूर्ण भुगतान कर कटी हुई लाईन को जुड़वाकर उक्त मकान में निवास कर सकूँ एवं विगत 6–7 वर्ष में लगा हुआ अधिभार भी हटाते हुए उसमें सुधार करने का कष्ट करें।

(एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

अनावेदक ने दिनांक 07.12.2017 को लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए फोरम के समक्ष कथन किया कि उपभोक्ता का कनेक्शन पूर्व में विच्छेदित था एवं जनवरी 2007 से प्रतिमाह लगी आंकलित खपत को हटा कर बिल को संशोधित कर दिया गया था। माह नवम्बर 2009 में आर.सी./डी.सी. की राशि जमा करके आवेदक ने कनेक्शन को पुनः चालू करवा लिया था, क्योंकि विद्युत प्रदाय संहित 20013 के अनुसार अस्थाई विच्छेदन होने पर भी उपभोक्ता से मिनिमम चार्ज लेने का अधिकार हैं एवं उपभोक्ता का कनेक्शन अस्थाई रूप से विच्छेदित था एवं परिसर से मीटर नहीं निकाला गया और न ही अनुबंध समाप्ति का कोई नोटिस जारी किया गया था। उपभोक्ता के विद्युत देयकों में पाई गई विसंगतियों को सुधार कर 27.09.2017 को राशि रूपये 4369/– एवं पुनः 05.10.2017 को राशि रूपये 9504/– की क्रेडिट आवेदक को दी जाकर संशोधित विद्युत देयक उपभोक्ता को जारी किया गया हैं। इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। आवेदक द्वारा अभी तक कोई राशि जमा नहीं की गई हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने हेतु निवेदन हैं।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं आवेदक तथा अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की विवेचना उपरांत फोरम ने यह पाया कि आवेदक द्वारा उसके परिसर में स्थापित विद्युत संयोजन क्रमांक 24–24–903–31–33–0859592000, जो कि जनवरी 2007 से अस्थाई रूप से विच्छेदित था, को नवम्बर 2009 में विद्युत देयक राशि रूपये 3489/– एवं आर.सी./डी.सी. चार्ज राशि रूपये 200/– का भुगतान कर अपने परिसर का विद्युत संयोजन चालू करवा लिया था, के पश्चात आवेदक के परिसर में विद्युत का उपयोग दिसम्बर 2017 तक भी नहीं किया एवं नवम्बर 2009 के बाद विद्युत देयक (मिनिमम चार्ज) का भी भुगतान नहीं किया। दिनांक 11.09.2017 को आवेदक ने एक आवेदन सहायक यंत्री, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., थाठीपुर ग्वालियर को संबोधित कर विद्युत बिल सही करने एवं लाईन कनेक्शन कराने बाबत् दिया गया।

आवेदक ने 2007 से विद्युत का उपयोग नही किया है एवं कनेक्शन कटा रहा है। माह नवम्बर 2009 में आवेदक पर राशि रू.3489/– बकाया थी एवं 19.11.2017 को राशि रू. 3490/– जमा करे एवं रू.200/– कनेक्शन चालू करने के लिए जमाकर लाईन चालू करवाई, रीडिंग 953 लगातार बने रहने से यह प्रतीत होता है कि नवम्बर 2009 में कनेक्शन चालू करवाये जाने के पश्चात् भी उपभोक्ता ने विद्युत का उपयोग नही किया परन्तु कनेक्शन को स्थाई रूप से विच्छेदित करने हेतु किसी तरह का आवेदन अनावेदक कंपनी को नही दिया।

(एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

आवेदक ने अनावेदक की कमी का लाभ लेने के लिये मिनिमम विद्युत खपत के जारी विद्युत देयकों के भुगतान न करना पड़े, के कारण विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 7 की कण्डिका 7.27 एवं 7.28 का सहारा लिया गया, जिसे फोरम मान्य नहीं करता हैं, क्योंकि आवेदक ने भी अपने विद्युत कनेक्शन को नवम्बर 2009 के बाद नवम्बर 2017 तक की अवधि में विद्युत बिल का भुगतान करने एवं विद्युत का उपयोग न होने के कारण अस्थाई/स्थाई रूप से विच्छेदन का आवेदन, अनावेदक कार्यालय में नहीं दिया गया।

अनावेदक ने आवेदक के विद्युत देयकों में लगाई गई आंकलित खपत को हटाते हुए मिनिमम टैरिफ लेकर विद्युत देयक संशोधन उपरांत दिनांक 27.09.2017 को रूपये 4369/– एवं दिनांक 05.09.2017 को रूपये 9540/–की क्रेडिट आवेदक के बिलों में दे दी गई हैं, जो नीति एवं न्यायसंगत है। क्रेडिट देने के उपरांत संशोधित विद्युत देयक आवेदक कोदेना भी फोरम के समक्ष स्वीकार किया गया है, जिस पर आवदेक द्वारा भी फोरम के समक्ष सहमति प्रकट की गई हैं।

इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण कर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

अतः प्रकरण निर्णीत होने के कारण समाप्त किया जाता है ।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 20/12/2017
स्थान : भोपाल

(एस.एस. मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**
सदस्य(अभियांत्रिकी) **अध्यक्ष**

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)
पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल
(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 886–87 भोपाल, दिनांक 29.12.2017

प्रति,

श्री श्याम पंवार पुत्र श्री ए.जी. पंवार
34–ए, इन्द्रमणी नगर, मेला ग्राउण्ड के पीछे,
लश्कर, ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 20 / 12 / 2017के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–45 / 2017) दिनांक17.10.2017 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 20 / 12 / 2017 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग पूर्व), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–45 / 2017 दिनांक 17.10.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 20 / 12 / 2017 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrf.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 882–83 भोपाल, दिनांक 26 / 12 / 2017

प्रति,

श्री मुकेश कुमार, पुत्र श्री राम दयाल,
जगजीवन नगर, थाटीपुर, मुरार,
ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :फोरम के निर्णय दिनॉक26.12.2017 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–50 / 2017 दिनॉक 17.10.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक26.12.2017 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग, (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–50 / 2017 दिनांक 17.10.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 26.12.2017 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.50/2017

17.10.2017

श्री मुकेश कुमार, (आवेदक)
ज्गाजीवन नगर, थाटीपुर, मुरार,
ग्वालियर (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, शहरसंभाग, (पूर्व)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.)

आदेश

आज–26.12.2017 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/50 दिनॉक 17.10.17 को पंजीकृत कर दिनॉक, 10.11.2017 एवं 08.12.2017को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक को अभी जो ऑन स्पॉट बिल प्राप्त हुआ है, उसमें वर्तमान वाचन 8939 अंकित कर, 1969 यूनिट का बिल दिया गया है, जबकि मीटर रीडर से मेरे द्वारा कहॉ गया कि इतनी यूनिट किसी भी स्थिति में नही हो सकती है परन्तु उन्होंने इस ओर ध्यान नही दिया और मुझे भारी भरकम राशि का बिल दे दिया। उसके बाद मेरे द्वारा जब मीटर में रीडिंग देखी गई तो उसमें वर्तमान वाचन 7045 अंकित है। इसके साथ श्रीमान जी जुलाई 2017 के बिल में भी 250 यूनिट की आंकलित खपत लगा दी गई है। पूर्व में भी मेरे साथ ऐसा होता रहा है जिसके कारण मेरा बिल अत्यधिक राशि का हो गया है।

(एस.एस. मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

महोदय जी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नही है, मै सुरायसिस बीमारी से ग्रस्त हूॅ बीमारी एवं भारी भरकर बिल के कारण आवेदक अत्यधिक परेशानी से गुजर रहा हूॅ इसी कारण मेरे द्वारा बिजली का कम से कम उपयोग किया जाता है इसके बाद भी रू. 46,674/– का बिल दिया गया है। इसी कारण से आवेदक आज दिनांक पूर्व की राशि जमा नही कर सका तथा वर्तमान बिल में इतनी अधिक यूनिट की राशि को और जोड़कर बिल दे दिया गया है जिसे आवेदक किसी भी स्थिति में जमा नही कर सकता हूॅ। आवेदक द्वारा इस संबंध में दिनांक 03.10.2017 को श्रीमान सब इंजीनियर महोदय जी, विद्युत मंडल, बस स्टेण्ड, स्टेशन की ओर भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है परन्तु आज दिनांक तक मेरी इस समस्या का निराकरण नही किया गया है।

अतः श्रीमान जी से आपसे निवेदन है कि जुलाई बिल से आंकलित खपत हटाकर एवं वर्तमान बिल, मीटर में अंकित रीडिंग के अनुसार देने एवं पूर्व की राशि में भी मुझे राहत देने की कृपा करें जिससे कि आवेदक किसी तरह वर्तमान बिल को जमा कर सकूॅ।

5. अनावेदक का कथन :–अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किउपभोक्ता श्री मुकेश कुमार/श्री रामदयाल जगजीवन नगर थाटीपुर के द्वारा अपने विद्युत सर्विस क्रमांक 4822303000 में की शिकायत के तारतम्य मे निवेदन है कि उपभोक्ता के आंकलित खपत के संबंध में प्रकरण में अवलोकन किया जाकर माह जुलाई से नवम्बर 2017 तक के बिलों का सुधार किया जाकर चैक रीडिंग के अनुसार बिल संशोधित कर दिया गया है एवं इस संशोधित के फलस्वरूप उपभोक्ता को रू.30370/– की क्रेडिट दी गई है।

उक्त प्रकर उपभोक्ता की शिकायत का पूर्णरूपेण निराकरण किया जाकर रू. 30370/– का क्रेडिट कर दिया गया है।

श्रीमान जी की ओर निवेदन कर लेख है कि प्रकरण में और सुधार किया जाना संभंव नही होने से प्रकरण समाप्त करने हेतु सादर जबाव प्रस्तुत है।

6. फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

आवेदक ने फोरम के समक्ष कथन किया कि मेरे अक्टूबर 2017 का बिल 1969 यूनिट मीटर में दर्ज खपत का दिया गया है। जो गलत है। मेरे अगस्त 2017 के बिल में 250 यूनिट आंकलित लगाकर दिया गया है। बिल में संशोधन आंकलित खपत हटाकर मीटर में दर्ज खपत लेकर किया जावे।

(एस.एस. मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

अनावेदक ने प्रकरण में फोरम के समक्ष कथन किया कि आवेदक को माह जुलाई 2017 से नवम्बर 2017 तक विद्युत बिलों में लगाए गयी आंकलित खपत को हटाकर मीटर में दर्ज यूनिट अनुसार विद्युत देयक संशोधित कर उपभोक्ता को रू. 30370/– की क्रेडिट दे दी गई है। अतः आवेदक की शिकायत का निराकरण हो गया है। प्रकरण समाप्त करने का निवेदन है।

आवेदक ने फोरम के समक्ष कथन किया कि मेरे बिल में लगाई गई आंकलित खपत को हटाकर मीटर में दर्ज खपत के अनुसार विद्युत देयक संशोधित कर दिया गया है। जिससे में सहमत हूॅ। अब आगे मुझे कुछ नही कहना है।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम के समक्ष किये गये कथनों कि विवेचना करने पर पाया गया कि अनावेदक ने आवेदक के मीटर की रीडिंग न लेकर माह जुलाई 2017 एवं अगस्त 2017 में आंकलित खपत 250 लगाकर विद्युत देयक जारी किया गया। माह अक्टूबर 2017 में मीटर रीडिंग लेकर 1969 यूनिट इक्ट्ठी का विद्युत देयक जारी किया गया तथा नवम्बर 2017 में आंकलित खपत 780 यूनिट का विद्युत देयक जारी किया गया जिससे व्यथित होकर आवेदक ने विद्युत शिकायत निवारण फोरम में शिकायत दर्ज कराई।

अतः अनावेदक द्वारा आवेदक के विद्युत मीटर की नियमित रीडिंग न लेकर आकलित खपत के विद्युत देयक जारी करना सेवा में कमी को प्रदर्शित करता है।

अनावेदक ने आवेदक के विद्युत देयकों में माह जुलाई 2017, अगस्त 2017 एवं नवम्बर 2017 में लगाई गई आंकलित खपत हटाकर तथा माह अक्टूबर 2017 में इक्ट्ठी दर्ज खपत को हटाते हुये माह जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एवं नवम्बर 2017 के विद्युत देयकों को माह अक्टूबर 2017 में मीटर में इक्ट्ठी दर्ज खपत 1969 यूनिट के अनुसार उक्त माहो में विभाजित करते हुये विद्युत देयक संशोधित कर रू.30370/– की क्रेडिट देकर विद्युत देयक संशोधन उपरांत आवेदक को दिया जाना फोरम के समक्ष कथन किया गया है। आवेदक ने भी अनावेदक द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही से सहमत होते हुए फोरम के समक्ष संतुष्टि प्रकट की है।

अतः आवेदक की शिकायत निराकृत होकर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 26.12.2017
स्थान : भोपाल।

(एस.एस.मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**
सदस्य (अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrf.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 860–61 भोपाल, दिनांक 28 / 12 / 2017

प्रति,

श्रीमति ज्योति खुराना (उपयोगकर्ता),
पत्नी स्व. श्री किशनलाल,
हनुमान नगर, फाल्का बाजार, ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :फोरम के निर्णय दिनॉक28.12.2017 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–53 / 2017 दिनॉक 17.10.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक28.12.2017 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग, (केन्द्रीय) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–53 / 2017 दिनांक 17.10.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 28.12.2017 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.53/2017

17.10.2017

श्रीमति ज्योति खुराना (उपयोगकर्ता), (आवेदक)
पत्नी स्व. श्री किशनलाल,
हनुमान नगर, फाल्का बाजार, ग्वालियर (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, शहरसंभाग, (केन्द्रीय)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.)

आदेश

आज–28.12.2017 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/53 दिनॉक 17.10.17 को पंजीकृत कर दिनॉक, 10.11.2017 एवं 08.12.2017को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदिका का कथन :–**आवेदिका ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आवेदिका प्रार्थीनी एच.आई.वी. रोग से पीडित हूॅ। आवेदक की आर्थिक स्थिति ठीक नही है, मैं लाईट को बहुत कम उपयोग करता हूॅ।लेकिन इसके उपरांत भी बिल अधिक आ रहा है। आवेदिका का मीटर स्वः श्री किशनलाल खुराना के नाम से कनेक्शन है। जिसका आवेदिका उपयोग करती है। मेरे घर में एक रसोईघर, 1 कमरा है, जिसमें एक पंखा, एक सी.एफ.एल., एक टी.वी. एवं एक फिज है, जिसका मै उपयोग करती हूॅ। इसके उपरांत भी मेरे घर में 150 से 200 यूनिट की खपत आ रही है, जो कि बहुत

ज्यादा है। अतः उसे जांच कर मेरे विद्युत बिलों संशोधित किया जावे। ताकि मै बिजली के बिलो का भुगतान कर सकूॅ । अगर मीटर खराब हो तो उसे बदला जावे।

5. अनावेदक का कथन :–अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किउपभोक्ता के द्वारा बिलिंग सुधार हेतु कार्यालय में कोई भी आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। रीडिंग डायरी एवं उपभोक्ता की पास बुक का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता को मीटर रीडिंग की खपत के अनुसार ही बिल प्रदाय किये जा रहे है। बिल में किसी भी प्रकार का सुधार किया जाना संभव नही है। सुलभ संदर्भ हेतु उपभोक्ता की पास बुक एवं मीटर रीडिंग डायरी की छाया प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

6. फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

आवेदिका ने फोरम के समक्ष कथन किया कि स्व. श्री किशनलाल खुराना के नाम से एक घरेलू विद्युत कनेक्शन है जिसका सर्विस क्रमांक 2425001–22–15–5800862000, हनुमान नगर फाल्का बाजार लश्कर ग्वालियर में है, जिसका वह उपयोग करती है। जो मेरे ससुर है। मेरे घर में एक रसोई घर, 1 कमरा है जिसमें एक पंखा, एवं सी.एफ.एल. का उपयोग करती है। 1 टी.वी., 1 फ्रिज है, जिसमें बिजली का उपयोग करती है। इसके उपरांत भी मेरे घर में 150 से 200 यूनिट बिजली की खपत आ रही है। जो कि बहुत ज्यादा है। अतः उसे जांचकर मेरे विद्युत बिलों में संशोधन किया जावे, ताकि मै बिजली के बिलों का भुगतान कर सकूॅ अगर मीटर खराब हो तो उसे बदला जावे।

अनावेदक ने प्रकरण में कथन किया कि आवेदिका को जो विद्युत बिल जारी किये गये है वह मीटर में दर्ज रीडिंग के अनुसार विद्युत खपत के जारी किये गये है। आवेदिका के निवेदन पर कम्पनी द्वारा दिनांक 22.05.2017 को मीटर चैक कराया गया था। मीटर सही पाया गया जिसकी टेस्टिंग रिपोर्ट एव एम.आर.आई. रिपोर्ट फोरम के सम्मुख प्रस्तुत है। आवेदिका के विद्युत बिल में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नही है। शिकायत सही नही है। अतः शिकायत निरस्त करने योग्य है। अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि प्रकरण को समाप्त करने का कष्ट करे।

आवेदिका एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों तथा किये गये कथनो कि विवेचना उपरांत यह पाया गया कि आवेदिका को नये मीटर स्थापना के पश्चात जारी विद्युत बिल माह मई 2017 बिल्ड़ जून 2017 मे एस.आर, नये मीटर एवं एफ.आर. पुराने मीटर को सही कर खपत की गणना कर संशोधित विद्युत देयक आवेदिका को जारी करना था जो कि प्रस्तुत दस्तावेजों में सही गणना परिलक्षित नही हो रही है। तथा माह सितम्बर

2017 एवं अक्टूबर 2017 के विद्युत देयक भी मीटर में दर्ज रीडिंग के अनुसार संशोधन उपरांत विद्युत देयक जारी करे तथा उक्त बिलों के भुगतान की गई राशि को भी संशोधित विद्युत देयको में समायोजित करते हुए संशोधित विद्युत देयक आवेदिका को जारी करे।

अतः आवेदिका कि शिकायत निराकृत होकर, प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 28.12.2017
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस.मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrf.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 884–85 भोपाल, दिनांक 28 / 12 / 2017

प्रति,

श्री राजकुमार पुत्र श्री ग्याप्रसाद,
नई सड़क, हरी निर्मल टॉकीज के पास,
लश्कर,ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :फोरम के निर्णय दिनॉक28.12.2017 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–54 / 2017 दिनॉक 17.10.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक28.12.2017 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क .प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग, (केन्द्रीय) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–54 / 2017 दिनांक 17.10.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 28.12.2017 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.54/2017

17.10.2017

श्री राजकुमार पुत्र श्री ग्याप्रसाद, (आवेदक)
नई सड़क, हरी निर्मल टॉकीज के पास,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, शहरसंभाग, (केन्द्रीय)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.)

आदेश

आज–28.12.2017 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/54 दिनॉक 17.10.17 को पंजीकृत कर दिनॉक, 10.11.2017,एवं 08.12.2017को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक का एक घरेलू विद्युत संयोजन है, जिसका सर्विस क्रमांक 55–14–5751072000 है। लगभग 10 वर्षो से बिजली बिल का लगतार भुगतान करता आ रहा है। किन्तु माह अक्टूबर 2017 में राशि रू. 95947/– का बिल दिया गया जो कि गलत है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आवेदक के माह अक्टूबर 2017 का बिल सही संशोधित करवाने का कष्ट करे, ताकि मै उसका भुगतान कर सकू क्योकि आवेदक एक चर्तुथ श्रेणी सेवानिवृत्त कर्मचारी है। आवेदक द्वारा उपरोक्त बिल में राशि रू.3000/–

(एस.एस. मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

दिनांक 23.10.2017 को जमा किये गये है, आवेदक द्वारा माह सितम्बर 2017 का बिल मीटर रीडर द्वारा राशि रू.5245/– का दिया, जिसका भुगतान आवेदक उसी समय मीटर रीडर को राशि रू. 5245/– का भुगतान किया। किन्तु उक्त भुगतान राशि का समायोजन माह अक्टूबर 2017 के बिल में नही किया गया है।

अतः श्रीमान जी से पुनः निवेदन है कि आवेदक द्वारा माह सितम्बर 2017 में जमा राशि रू.5245/– का समायोजन एवं अक्टूबर का बिल जो अधिक आया है, उसमें मेरे द्वारा जमा राशि का समायोजन कर एवं ज्यादा आये बिल को संशोधित कराने का कष्ट करे।

5. अनावेदक का कथन :–अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किउपभोक्ता श्री राजकुमार/ग्याप्रसाद का घरेलू विद्युत कनेक्शन स्थापित है जिसका स्वीकृत भार 3000 वाट है थ्री फेस कनेक्शन है।

दिनांक 09.11.2017 को परिसर का भौतिक सत्यापन कराने पर पाया गया भार 8435 वाट है। एम.डी. 4.56 कि.वा पाई गई है। दो मंजिला भवन जिसमें उपरी आधे भाग में हॉस्पीटल संचाचित है। आधा भाग रिहायशी परिसर है।

उपभोक्ता द्वारा इस कार्यालय में मीटर तेज चलने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। उपभोक्ता की शिकायत पर दिनांक 13.10.2017 को उपभोक्ता एम.आर नम्बर 45326/197, दिनांक 13.10.2017 को 100/– रू. मीटर टेस्टिंग फीस जमा कराई गई है।

मीटर टेस्टिंग फीस जमा कराने के उपरांत दिनांक 14.10.2017 को उपभोक्ता के परिसर में मीटर क्रमांक 00004576 एच.पी.एल. 3x10.60 एम्पीयर में बदली करा दिया गया है। उपभोक्ता के परिसर से मीटर निकालकर एल.टी.एम.टी. लैब में दिनांक 20.10.2017 को भेजा गया है।

दिनांक 23.10.2017 को एल.टी.एम.टी लैब में मीटर टेस्ट हुआ। जिसकी रिपोर्ट ओ.के. ठीक पाई गई साथ ही एम.आर.आई. रिपोर्ट भी दी गई है। अतः लैब रिपोर्ट एम.आर.आई रिपोर्ट अनुसार मीटर फास्ट नही पाया गया। उपभोक्ता को सितम्बर 2017 का देयक 84118–94780–10662+637 (आंकलित)=11299 यूनिट का बिल जारी किया गया था।

डायरी में जर्द टीप अनुसार मीटर ऊॅचाई पर लगा है। ढ़क्कन खराब होने के कारण रीडिंग नही दिखती थी। इस कारण उपभोक्ता को प्रतिमाह पूरी खपत रीडिंग के बिल जारी नही किये गये।

अतः प्रकरण में सितम्बर 2017 आंकलित खपत का समायोजन कर 5454/– रू. की क्रेडिट पूर्व दी गई थी।

(एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

पुराने मीटर की खपत 66325–96763 = 30468
नये मीटर की खपत 9 – 686 = 677
कुल खपत यूनिट = 31145

145 यूनिट को दिसम्बर 2015 से नवम्बर 2017 तक जो 1298–1297 यूनिट को विभाजन किया गया है। जिसमें उपभोक्ता को 5046 की क्रेडिट पुनः दी जा रही है।

इस प्रकार उपभोक्ता को

17–10–17 को दी गई क्रेडिट = 5454
22–11–17 को दी गई क्रेडिट = 5046
कुल दी गई क्रेडिट = 10500

10500/– रूपये उपभोक्ता के बिल में कम किये गये है। अतः उपभोक्ता के प्रकरण का निराकरण कर दिया गया है। अतः प्रकरण समाप्त किये जाने का कष्ट करें।

6. फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

आवेदक ने दिनांक 10.11.2017 को फोरम के समक्ष कथन किया कि मैं लगभग 10 वर्षो से बिजली बिल का लगातार भुगतान करता आ रहा हूॅ। किन्तु माह अक्टूबर 2017 में राशि रू. 95947/– का बिल दिया गया जो कि गलत है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा माह अक्टूबर 2017 के बिल को सही संशोधित करने का कष्ट करे ताकि मै उसका भुगतान कर सकू क्योकि मै एक चतुर्थ श्रेणी सेवानिवृत्त कर्मचारी हूॅ। मेरे द्वारा उपरोक्त बिल में राशि रू.3000/– दिनांक 23.10.2017 को जमा की गई है। मेरे द्वारा माह सितम्बर 2017 के बिल की राशि रू.5245/– मीटर रीडर के द्वारा भुगतान किया गया जिसका समायोजन माह अक्टूबर 2017 के बिल में नही किया गया है।

अतः श्रीमान जी से पुनः निवेदन है कि मेरे द्वारा माह सितम्बर 2017 में जमा राशि रू.5245/– का समायोजन एवं माह अक्टूबर का बिल जो अधिक आया है उसे मेरे द्वारा जमा राशि का समायोजन कर एवं ज्यादा आये बिल को संशोधित करने का कष्ट करे।

अनावेदक ने प्रकरण में फोरम के समक्ष कथन किया कि आवेदक द्वारा मीटर तेज चलने की शिकायत पर मीटर को जांच हेतु भेजा गया है मीटर परीक्षण के बाद रिपोर्ट के आधार पर बिल को संशोधित किया जाएगा। अतः फोरम से निवेदन है कि प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहिये।

(एस.एस. मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

अनावेदक ने प्रकरण में दिनांक 08.12.2017 को फोरम के समक्ष कथन किया कि आवेदक का मीटर एल.टी.एम.टी. लैब में चैक किया गया। मीटर चैक करते समय मीटर ओ.के. (सही) पाया गया। इसके साथ–साथ मीटर की एम.आर.आई. रिपोर्ट एवं टेस्ट रिपोर्ट भी फोरम के समक्ष प्रस्तुत है। नवम्बर 2017 में इक्ट्ठी आई रीडिंग खपत को पूर्व माह दिसम्बर 2015 से नवम्बर 2017 तक विभाजित करते हुए राशि रू. 10500/– की क्रेडिट उपभोक्ता को दी गई है। जिसमें माह सितम्बर 2017 में लगाई गई आंकलित खपत की राशि रू. 5454/– की क्रेडिट माह नवम्बर 2017 के देयक मे दे दी गई है। उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 09.11.2017 को सम्बंधित जोन द्वारा कनेक्शन चेक कर स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई थी। जिसमें टीप है कि आधे परिसर में हॉस्पिटल संचालित एवं आधे परिसर में रिहायसी उपयोग है। मौके पर पाया गया भार 8435 वाट पाया गया है। जबकि स्वीकृत भार 3 किलोवाट है। जिसके कारण आवेदक के यहॉ खपत अधिक आई है। इस प्रकार आवेदक की शिकायत को निराकृत कर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन है।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं आवेदक तथा अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की विवेचना करने पर यह पाया गया कि आवेदक के विद्युत मीटर क्रमांक 3200458 में दर्ज खपत माह जून 2015 से नवम्बर 2015 तक प्रत्येक माह खपत लगभग 1000 से 1880 यूनिट के मध्य रही है। माह दिसम्बर 2015 से नवम्बर 2017 की समय अवधि में माह अप्रैल 2017, जून 2017 एवं सितम्बर 2017 को छोड़कर शेष माहों में 0 से 1000 यूनिट खपत दर्ज हुई जिसमें अधिकांश माहों में 200 से 500 यूनिट खपत दर्ज हुई है। उक्त कम दर्ज खपत होने का कारण आवेदक का मीटर उचाई में स्थापित होने से मीटर रीडर द्वारा ठीक से रीडिंग न पढ पाना, अनावेदक द्वारा स्वीकार किया गया तथा मीटर डयरी में लिखे नोट से भी इसकी पुष्टि होती है। माह अप्रैल 2017 में दर्ज खपत 3702 यूनिट जून 2017 मे 1900 यूनिट एंव सितम्बर 2017 में 10662 यूनिट दर्ज हुई है इससे भी पुष्टि होती है की मीटर रीडर द्वारा ठीक से रीडिंग न ली गई और अनावेदक कम्पनी के वरिष्ठ अधिकारी ने भी इस पर संज्ञान नही लिया गया। आवेदक को माह सितम्बर 2017 में 11299 यूनिट के विद्युत देयक जारी होने पर उसके द्वारा इस विद्युत बिल पर आपत्ति लेते हुए मीटर टेस्ट करवाने का आवेदन अनावेदक को देने पर दिनांक 14.10.2017 को मीटर क्रमांक 3200458 को बदलते समय मीटर में दर्ज रीडिंग 96793 पाई गई एवं नया मीटर क्रमांक 00004576 मेक एच.पी.एल प्रारंभिक रीडिंग 00009 पर स्थापित कर मीटर टेस्टिंग के लिये निकाला गया। मीटर क्रमांक 3200458 को एल.टी.एम.टी.एल लेब ग्वालियर में दिनांक 23.10.2017 को टेस्ट किया गया। टेस्टिंग में मीटर सही पाया गया। अनावेदक द्वारा आवेदक के परिसर को दिनांक 09.11.2017 को चेक किया गया जिसमें आवेदक के परिसर में संयोजित विद्युत भार 8435 वाट पाया गया, जबकि आवेदक का स्वीकृत भार 3000 वाट है एवं निरीक्षण रिपोर्ट में नोट परिसर के ऊपर आंधे हिस्से में हॉस्पिटल संचालित है। आंधे हिस्से में रिहायशी परिसर

(एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

है। मीटर में रीडिंग 1093 एवं अधिकतम मांग 4.56 कि.वाट दर्ज है। मीटर की एम.आर.आई. रिपोर्ट में विगत माहों में 6.36 से 6.96 कि.वाट तक दर्ज हुई है जो मीटर में हुई खपत की पुष्टि करती है।

अनावेदक ने आवेदक के विद्युत देयक माह दिसम्बर 2015 से नवम्बर 2017 तक मीटर में दर्ज वास्तविक खपत को उरोक्त 24 माह की अवधि में विभाजित कर विद्युत देयक संशोधित कर आवेदक की रू.10500/– की क्रेडिट दे दी गई है जो कि विधि एवं न्याय संगत है। आवेदक की शिकायत निराकृत अतः प्रकरण समाप्त किया जाता है एवं अनावेदक को निदेर्शित किया जाता है ि कवह आवेदक के विद्युत संयोजन के प्रायोजन में परिवर्तन करने की विधि संगत उपचारिकताए पूर्ण कर प्रायोजन परिवर्तन करे।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 28.12.2017
स्थान : भोपाल।

(एस.एस.मंडलोई) **(राजीव अग्रवाल)**
सदस्य (अभियांत्रिकी) अध्यक्ष